<u>सामाजिक प्रभाव आंकलन -रिपोर्ट</u>

गोंदलपुरा कोयला उत्खनन परियोजना

जिला - हजारीबाग, अंचल - बड़कागाँव

Client: उपायुक्त,
हजारीबाग
झारखण्ड - **825301**

प्रस्तुतकर्ता :
एस आई ए एजेंसी : नाबार्ड कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
पानी टंकी के पास, बरियातु, बूटी रोड
राँची - **834009**

विषय सूचि:

1. कार्यकारी सारांश 5

1.1. परियोजना स्थल और लोक प्रयोजन 5

1.2. भूमि अधिग्रहण का आकार और विशेषताएं 5

1.3. विकल्प 5

1.4. सामाजिक प्रभाव 5

1.5. न्यूनीकरण उपाय सामाजिक लागत और लाभ का आकलन 6

2. विस्तृत परियोजना विवरण 7

2.1. परियोजना की पृष्ठभूमि 7

2.2. परियोजना के लिए तर्क 11

2.3. विकल्पों की समीक्षा 11

2.4. परियोजना निर्माण के चरण 11

2.5. मुख्य डिजाइन सुविधाएँ और आकार और सुविधाओं के प्रकार 21

2.6. सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता 21

2.7. कार्य बल की आवश्यकताएं 22

2.8. एस आई ए एजेंसी का विवरण 22

2.9. प्रयोज्य कानून और नीतियां 22

3. एस आई ए एजेंसी की टीम विवरणी, दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली 69

3.1. टीम के सदस्यों की विवरणी 69

3.2. सामाजिक प्रभाव आंकलन की विधि एवं कार्यप्रणाली 70

3.3. सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति 73

3.4. उपयोग किए गए सूचना/ डेटा स्रोतों का अवलोकन 73

3.5. प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित जन सुनवाई का संक्षिप्त विवरण 73

4. भूमि मूल्यांकन 74

4.1. भूमि सूची और प्राथमिक स्रोत से प्राप्त जानकारी 74

4.2. परियोजना के प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र 75

4.3. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 86

4.4. परियोजना क्षेत्र के आसपास के किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग .. 86

4.5. परियोजना के लिए पूर्व में अधिग्रहण या खरीदगी 87

4.6. परियोजना हेतु अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान 87

4.7. भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और कृषि भूमि की दशा में सिंचाई कवरेज और फसल पैटर्न्स 87

4.8. जोत का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि वितरण, और आवासीय घरों की संख्या 90

4.9. भूमि की कीमतें और पिछले 3 वर्षों में भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण और उपयोग में हाल के परिवर्तन 91

5. प्रभावित परिवार और संपत्ति की गणना 91

5.1. प्रभावित परिवार पर प्रभाव 91

5.2. भूमि पर प्रभाव 92

5.3. संरचना पर प्रभाव 92

5.4. परियोजना प्रभावित परिवार और सदस्य 93

5.5. अधिग्रहीत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर काश्तकार हैं/कब्जा करते हैं 94

5.6. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है 94

5.7. सार्वजनिक संरचना 94

5.8. राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि का निपटान नही किया गया है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन नहीं है 96

5.9. अधिग्रहण से पहले तीन साल के लिए आजीविका के प्राथमिक स्रोत एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 96

6. प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रुपरेखा 96

6.1. परियोजना में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण क्षेत्र। 96

6.2. आय और गरीबी का स्तर 97

6.3. विपन्नता एवं कमजोर वर्ग 98

6.4. भूमि उपयोग और आजीविका 100
6.5. स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ 100
6.6. स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक 100
6.7. रिश्तेदारी के पैटर्न और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन 101
6.8. प्रशासनिक संगठन 101
6.9. राजनीतिक संगठन 102
6.10. समुदाय आधारित और नागरिक समाज-संगठन 102
6.11. पर्यावरण की गुणवत्ता 102
7. सामाजिक प्रभाव 102
7.1. प्रभाव की पहचान के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण 102
7.2. आजीविका और आय पर प्रभाव 104
7.3. स्वास्थ्य पर प्रभाव 105
7.4. खतरों के सम्पर्क में आने की संभावना पर प्रभाव 105
7.5. संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव 105
7.6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अनुभव एवं सामुदायिक धारणाएं 106
8. लागत एवं लाभ का विश्लेषण तथा अधिग्रहण पर अनुशंसा 109
8.1. अंतिम निष्कर्ष: सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन 109
8.2. कम-विस्थापन विकल्प, भूमि की न्यूनतम आवश्यकताएं 109
9. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना 110
10. उपरोक्त विश्लेषण इक्विटी सिद्धांत का उपयोग कर अधिग्रहण पर अंतिम अनुशंसा की जाएगी 129

1. कार्यकारी सारांश

1.1. परियोजना स्थल और लोक प्रयोजन

गोंदलपुरा कोयला क्षेत्र का नाम इसी नाम के एक गांव के नाम पर रखा गया है और यह हजारीबाग जिले के उत्तर कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है।

निर्देशांक एवं परियोजना की भौगोलिक स्तिथि

अक्षांश - 23°50'20" उत्तर से 23°51'20" उत्तर

देशान्तर - 85°18'20" पूर्व से 85°20'15" पूर्व

लोक प्रयोजन : कोयला इस जिले में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। इस जिले के महत्वपूर्ण कोयला भंडारों में उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड के चरही, कुजू, घाटो टांड और बड़कागांव शामिल हैं। कोयला खदानें इस जिले के निवासियों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। इस जिले के लोग काफी मेहनती माने जाते हैं। कोयला उत्पादन ताप बिजली, लॉह अयस्क एवं अन्य उद्योग के उत्पादन लागत को कम करने में सहायता करेगा। ये परियोजना अदानी इंटरप्राइजेज की ओर से किया जा रहा है, अतः धारा 2(2) के अनुसार 80 % रैयतों की सहमति चाहिए। ग्राम सभा के पश्चात इसे प्राप्त किया जाएगा और इसे सार्वजनिक उद्देश्य कहा जाएगा।

1.2. भूमि अधिग्रहण का आकार और विशेषताएं

गोंदलपुरा कोयला परियोजना में 5 गाँव प्रभावित हैं । 2 गाँव हाहे और फुलांग में रैयती भूमि प्रभावित नहीं है। परियोजना से प्रभावित कुल 1638 खसरा एवं 942 रैयत एवं 781 प्रभावित परिवार हैं।

1.3. विकल्प

इस उत्खनन कार्य में व्यर्थ की भूमि नहीं ली जा रही है, अतः इस दृष्टिकोण से ये न्यूनतम अर्जन है, और ये न्यूनतम विस्थापन है।

1.4. सामाजिक प्रभाव

इस परियोजना से 781 परिवार विस्थापित होंगे और इनको बसने के लिए नए सामाजिक परिवेष का निर्माण करना होगा बाहर से आए कामगार और स्थानीयों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा।

1.5. न्यूनीकरण उपाय सामाजिक लागत और लाभ का आकलन

इसका आकलन ग्राम सभा के पश्चात किया जाएगा। ग्राम सभा के प्रस्तावों को विचार कर इसे आकलन में समाहित किया जाएगा।

2. विस्तृत परियोजना विवरण

2.1. परियोजना की पृष्ठभूमि

झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित भू - अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मे उचित प्रतिकर का अधिकार नियमावली, 2015 तथा भू - अर्जन अधिनियम - 2013 मे निहित प्रावधानानुसार सभी प्राइवेट कंपनी की योजनाओ के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन किया जाना आवश्यक है।
सरकार ने भू - अर्जन नियमावली 2015 में नियम - 7 के प्रावधानुसार सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप मे नैबकॉन्स को अधिसूचित किया है।

परियोजना परिचय एवं परियोजना का विवरण

कोयला क्षेत्र की पृष्ठभूमि

झारखण्ड राज्य के चौबीस जिलों में से एक हजारीबाग है, जिसका जिला मुख्यालय भी हजारीबाग है। यह वर्तमान में रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। वर्ष 1976 में हजारीबाग से अलग होकर गिरिडीह जिला का निर्माण हुआ था । वर्ष 1999 में फिर से हजारीबाग को विखंडित कर चतरा और कोडरमा जिले का निर्माण हुआ । 15 नवंबर 2000 को झारखण्ड राज्य बनने पर हजारीबाग जिला झारखण्ड के जिलों में शामिल हुआ । 12 सितंबर 2007 को, हजारीबाग के क्षेत्र के साथ एक और जिला "रामगढ़" बनाया गया ।
कोयला इस जिले में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। इस जिले के महत्वपूर्ण कोयला भंडारों में उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड के चरही, कुजू, घाटो टांड और बड़कागांव शामिल हैं। कोयला खदानें इस जिले के निवासियों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। इस जिले के लोग काफी मेहनती माने जाते हैं।
पतरातू एवं भुरकुंडा भी हजारीबाग के कोयला खदान क्षेत्र हैं लेकिन ये रामगढ़ जिले में आते हैं । वर्ष 2006 में भारत सरकार ने हजारीबाग जिला को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक घोषित किया है । यह झारखण्ड के 21 जिलों में से एक है जिसे वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (बी.आर.जी.एफ.) से निधि की प्राप्ति होती है ।

जिले को दो अनुमंडलों में बांटा गया है:- हजारीबाग एवं बरही। हजारीबाग अनुमण्डल में ग्यारह (11) प्रखंड शामिल हैं: हजारीबाग, कटकम सांडी, बिष्णुगढ़, बड़कागांव, केरेडारी, इचाक, चुरचू,

दारू, तातिझरिया, कटकमबाग और दारी। बरही अनुमण्डल में पाँच(5) प्रखंड शामिल हैं: पद्मा, बरही, चौपारण, बरकथा और चालकुसा ।

इस जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, मांडू और हजारीबाग। ये सभी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की जनसंख्या 17,34,495 है। जनसंख्या के हिसाब से भारत के कुल 640 जिलों में से हजारीबाग 279वें स्थान पर आता है। जिले की जनसंख्या घनत्व 403 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर (1,040 / वर्ग मील) है। 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.75% थी। हजारीबाग में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं का लिंगानुपात है, और साक्षरता दर 70.48% है।

परियोजना स्थल

गोंदलपुरा कोयला क्षेत्र का नाम इसी नाम के एक गांव के नाम पर रखा गया है और यह हजारीबाग जिले केउत्तर कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है।

निर्देशांक एवं परियोजना की भौगोलिक स्तिथि

अक्षांश - 23°50'20" उत्तर से 23°51'20" उत्तर

देशान्तर - 85°18'20" पूर्व से 85°20'15" पूर्व

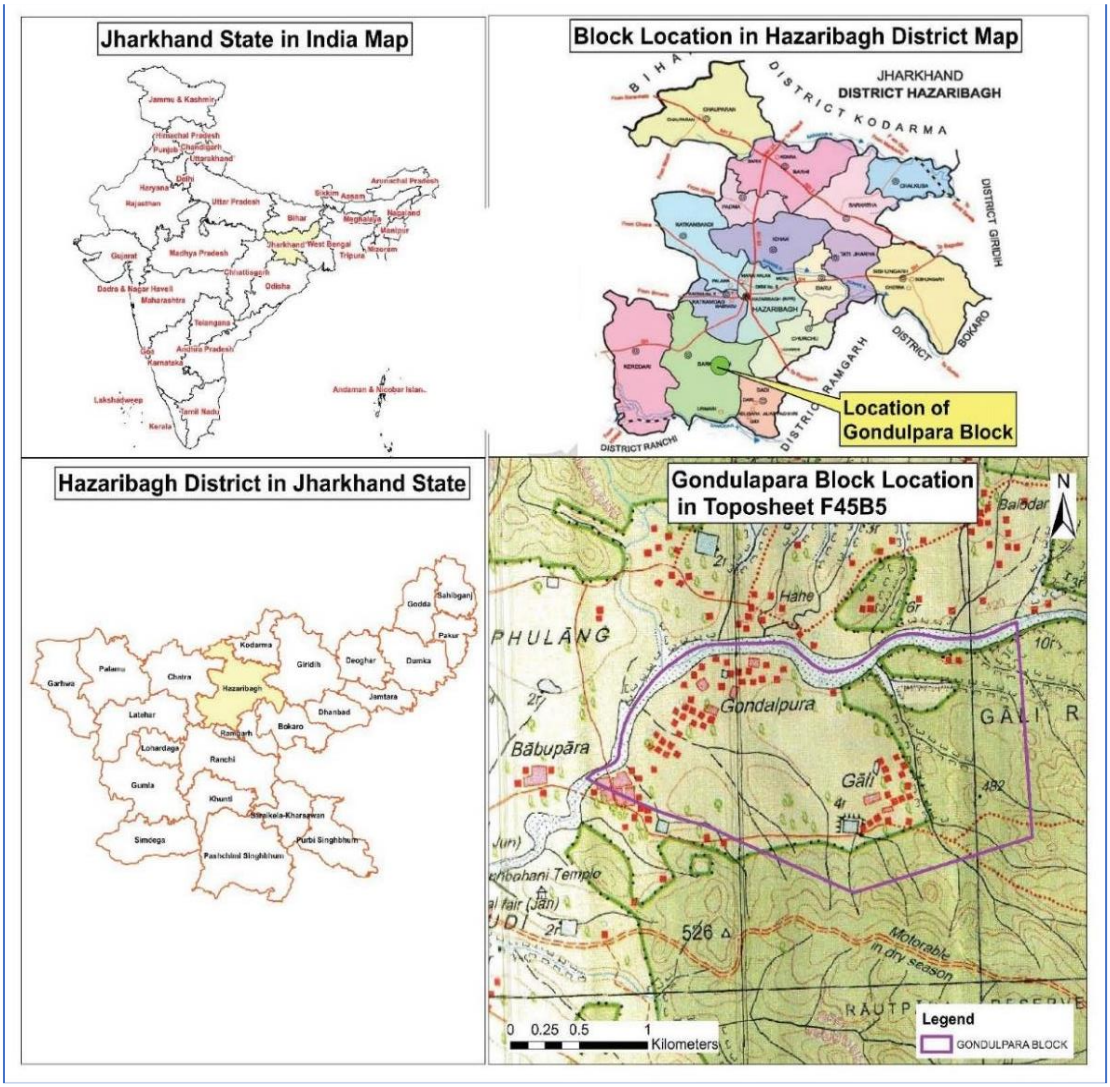

अवस्थिति

प्रखण्ड की अवस्थिति निम्नवत है:

ग्राम- गोंदलपुरा, बालोदर, गाली, हाहे, फुलांग

अंचल/तालुका - बड़कागांव

जिला - हजारीबाग

राज्य - झारखण्ड

प्रखंड परिसीमा

गोंदलपुरा कोयला क्षेत्र की सीमाएँ इस प्रकार हैं:

उत्तरी - उत्तरी सीमा गोंदलपुरा और मोइत्रा प्रखंड के बीच प्रखंड सीमा द्वारा चिह्नित है ।

पश्चिमी - पश्चिमी सीमा गोंदुलपारा और बादाम प्रखंड के बीच प्रखंड सीमा द्वारा चिह्नित है ।

दक्षिणी - दक्षिणी सीमा बादाम प्रखंड सीमा और निचली बराकर / कहारबारी चट्टानों द्वारा चिह्नित है।

पूर्वी - पूर्वी सीमा निचली बराकर / कहारबारी चट्टानों द्वारा चिह्नित है।

स्थलाकृति

गोंदलपुरा कोयला क्षेत्र झारखण्ड के हजारीबाग जिले के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में उत्तर कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी खंड में स्थित है। **गोंदलपुरा** क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी आयाम 2.7 किमी है एवं उत्तर दक्षिणी आयाम लगभग 1.6 किमी है। यह हजारीबाग शहर से 35 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। यह कोलियरी, सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोशीट नंबर 73 ई/5 में अंकित है। गोंडुलपुरा कोयला क्षेत्र से दक्षिण की ओर लगभग 35 किमी की दूरी पर दक्षिण-पूर्व रेलवे का पतरातू निकटतम रेलवे स्टेशन है। निकटतम गांव बादाम लगभग 3 कि.मी. और जिला मुख्यालय हजारीबाग लगभग 35 किमी है। निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग सं-33, लगभग 25 कि.मी. दूर पूर्व की ओर चरही में है। निकटतम हवाई अड्डा - रांची, लगभग 120 किमी दूर है। स्थान मानचित्र चित्र-1 में दिखाया गया है।

स्थानीय संपर्क

- **सड़क संपर्क** - निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है जो कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के पूर्व में चरही में लगभग 25 कि.मी. दूर है।
- **रेल संपर्क** - निकटतम रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे का पतरातू स्टेशन है जो कोयला क्षेत्र से लगभग 35 किमी दूर है।
- **हवाई संपर्क** - निकटतम हवाई अड्डा रांची में है जो कोलियरी से लगभग 120 कि.मी. दूर स्थित है।

2.2. परियोजना के लिए तर्क

कोयला इस जिले में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। इस जिले के महत्वपूर्ण कोयला भंडारों में उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड के चरही, कुजू, घाटो टांड और बड़कागांव शामिल हैं। कोयला खदानें इस जिले के निवासियों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। इस जिले के लोग काफी मेहनती माने जाते हैं। कोयला उत्पादन ताप बिजली, लॉह अयस्क एवं अन्य उद्योग के उत्पादन लागत को कम करने में सहायता करेगा।

2.3. विकल्पों की समीक्षा

क्योंकि यह उत्खनन कोल ब्लॉक भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है अतः इसमें कोई फेर बदल संभव नहीं है। अतः यह सबसे उपयुक्त संरेखण है । इसके किसी दूसरे विकल्प की समीक्षा नही की जा सकती है ।

2.4. परियोजना निर्माण के चरण

परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभाव का विवरण

परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है।

- निर्माण चरण के दौरान प्रभाव
- परिचालन चरण के दौरान प्रभाव

निर्माण चरण के दौरान प्रभाव

आर्थिक गतिविधि

कार्यबल की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया गया है- कुल और लिंगवार, बीपीएल परिवार, वैवाहिक स्थिति, बुजुर्ग आबादी के रूप में आश्रितों की संख्या, आय का स्तर और भूमिहीन मजदूरों का प्रतिशत।

कार्यबल की भागीदारी

यद्यपि तीन दशकों में कुल कार्य भागीदारी (व्यक्तियों में) में वृद्धि हुई है, कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) ने अध्ययन के दिए गए दशकों में एक लहर जैसी प्रवृत्ति दिखाई है। तालिका 1 के अनुसार, डब्ल्यूपीआर 1991 में 33.6% से बढ़कर 2001 में 52.9% हो गया और फिर घटकर 41.7% हो गया, लेकिन फिर 2011-2021 के दशक में 43.5% तक बढ़ने का अनुमान है।

तालिका:1 - कार्यबल की भागीदारी								
गाँव का नाम	**कुल कार्यशील जनसंख्या _1991**	**कार्य सहभागिता दर_P_1991**	**कुल कार्यशील जनसंख्या _2001**	**कार्य सहभागिता दर_P_2001**	**कुल कार्यशील जनसंख्या _2011**	**कार्य सहभागिता दर_P_2011**	**कुल कार्यशील जनसंख्या _2021***	**कार्य सहभागिता दर_P_2021***
गाली	66	34.0	136	49.1	161	50.8	209	55.0
बालोदर	198	70.0	291	61.0	289	30.2	335	26.0
हाहे	46	21.0	111	33.0	127	32.2	168	35.0
फुलांग	0	0.0	1	33.3	1	14.3	2	14.0
गोंदलपुरा	440	29.0	1007	55.1	1101	46.8	1432	52.0
कुल	**750**	**33.6**	**1546**	**52.9**	**1679**	**41.7**	**2144**	**43.5**
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

पुरुषों के लिए डब्ल्यूपीआर ने गांवों में या तो गिरावट या लहर जैसी प्रवृत्ति दिखाई है। तालिका 2 के अनुसार, गाली और गोंदलपुरा में, डब्ल्यूपीआर (पुरुष) में गिरावट आई है। गाली में, डब्ल्यूपीआर (पुरुष) में 1991 में 66.7% से 2021 में अनुमानित 47% की गिरावट आई और गोंदलपुरा ने 1991 में 81.1% से 2021 में अनुमानित 51.6% की गिरावट दर्ज की। हाहे, फुलांग और बालोदर डब्ल्यूपीआर (पुरुष) में प्रत्यावर्ती वृद्धि और कमी प्रकट करते हैं ।

तालिका:2 - कार्यबल की भागीदारी दर (पुरुष)								
गाँव का नाम	**कुल कार्यशील जनसंख्या_ पुरुष_1991**	**कार्य सहभागिता दर_ पुरुष _1991**	**कुल कार्यशील जनसंख्या _ पुरुष _2001**	**कार्य सहभागिता दर_ पुरुष _2001**	**कुल कार्यशील जनसंख्या _ पुरुष _2011**	**कार्य सहभागिता दर _ पुरुष _2011**	**कुल कार्यशील जनसंख्या _ पुरुष _2021***	**कार्य सहभागिता दर _ पुरुष _2021***
गाली	44	66.7	73	51.8	80	49.7	98	47.0
बालोदर	107	54.0	145	60.7	218	44.8	274	81.8
हाहे	40	87.0	71	41.3	96	46.2	124	74.0
फुलांग	0	0.0	1	100.0	1	50.0	2	100.0
गोंदलपुरा	357	81.1	527	56.2	611	49.1	738	51.6
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

तालिका 3, गाली में डब्ल्यूपीआर (महिला) में लगातार वृद्धि दर्शाती है (1991 में 33.3% से 2021 में अनुमानित 53%)। बालोदर में, 2001 में महिला श्रमिकों की आमद थी (1991 में 91

महिला कामगार 2001 में 146 महिला कामगार) जो 2011 में घटकर 71 रह गई और 2021 में इसके और कम होकर 61 रह जाने का अनुमान है। फुलांग में कोई महिला कामगार नहीं है और हाहे सबसे कम डब्ल्यूपीआर (महिला 13% थी जबकि उच्चतम अनुमानित 26% थी) - महिलाओं के लिए समग्र रूप से कम डब्ल्यूपीआर। केवल गोंदलपुरा में महिला श्रमिकों की संख्या 83 (1991 में) से बढ़कर 490 (2011) हो गई है और 2021 तक इसके बढ़कर 694 हो जाने की उम्मीद है, जो स्पष्ट रूप से बाकी चार गांवों में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर देती है।

तालिका:3 - कार्यबल की भागीदारी दर (महिला)

गाँव का नाम	कुल कार्यशील जनसंख्या _ महिला _1991	कार्य सहभागिता दर _ महिला _1991	कुल कार्यशील जनसंख्या _ महिला _2001	कार्य सहभागिता दर _ महिला _2001	कुल कार्यशील जनसंख्या _ महिला _2011	कार्य सहभागिता दर _ महिला _2011	कुल कार्यशील जनसंख्या _महिला _2021*	कार्य सहभागिता दर _ महिला _2021*
गाली	22	33.3	63	46.3	81	51.9	111	53.0
बालोदर	91	46.0	146	61.3	71	15.1	61	18.2
हाहे	6	13.0	40	24.4	31	16.7	44	26.0
फुलांग	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
गोंदलपुरा	83	18.9	480	53.8	490	44.2	694	48.4

स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)

तालिका 4 बताती है कि फुलांग में अत्यधिक कम जनसंख्या के कारण मुख्य श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है और कुल श्रमिकों में उनका प्रतिशत स्थिर बना हुआ है। हाहे में, 1991 में 46 से 2011 में 103 तक मुख्य श्रमिकों में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2021 में 132 हो जाने का अनुमान है, जबकि कुल कार्य बल में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 1991 में 100% से धीरे-धीरे घटकर 2021 में 63% हो गया है। बालोदर और गोंदलपुरा में अध्ययन के दूसरे दशक में मुख्य श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई थी लेकिन उसके बाद संख्या में गिरावट आई; कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों के प्रतिशत में भी तीन दशकों में गिरावट देखी गई है। गाली में, 2001 के बाद से मुख्य श्रमिकों में तेज गिरावट देखी गई है और 2021 तक नकारात्मक होने का अनुमान है। इससे काम और आजीविका के अवसरों की कमी के कारण इन क्षेत्रों से मुख्य श्रमिकों के उच्च दर प्रवासन का पता चलता है। इतनी तेज गिरावट यह दर्शाती है कि कुशल श्रमिकों को कहीं और

काम मिल जाता है और संबंधित क्षेत्रों में उचित आय पैदा करने वाले व्यवसाय और अवसरों की कमी है।

तालिका:4 - मुख्य श्रमिक और कुल श्रमिकों का प्रतिशत (व्यक्तियों)								
गाँव का नाम	**मुख्य श्रमिक P_1991**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_1991**	**मुख्य श्रमिक _P_2001**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_2001**	**मुख्य श्रमिक _P_2011**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_2011**	**M मुख्य श्रमिक _P_2021***	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_2021***
गाली	66	100.0	126	92.6	12	7.5	-15	-7.0
बालोदर	198	100.0	237	81.4	206	71.3	210	63.0
हाहे	46	100.0	109	98.2	103	81.1	132	79.0
फुलांग	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0
गोंदलपुरा	368	84.0	809	80.3	501	45.5	568	40.0
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

बालोदर, हाहे और फुलांग में पुरुष मुख्य श्रमिकों की संख्या विचाराधीन तीन दशकों में बढ़ी है (लेख तालिका 5) लेकिन मुख्य श्रमिकों (पुरुष) का प्रतिशत हाहे (1991 में 87.9% से 2021 में 58.8% तक) और बालोदर (1991 में 54% से 2021 में 63.4%) दोनों में औसतन गिरावट आई है । गोंदलपुरा ने भी 1991 में मुख्य कार्यकर्ता (पुरुष) की आबादी 357 में 312 की कमी के रूप में 2021 के लिए अनुमानित 312 दिखाया है। पुरुष मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत भी गोंदलपुरा में 1991 में 81.1% से घटकर 2021 में अनुमानित 21.8% हो गया है। जबकि गाली में मुख्य श्रमिकों (पुरुष) की संख्या 44 (1991 में) से घटकर -9 (2021 में) हो गई है और कुल कार्यबल में मुख्य कार्यकर्ता (पुरुष) का प्रतिशत भी 66.7% (1991 में) से घटकर अनुमानित (2021 में) -4.1% हो गया है।

तालिका:5 - मुख्य श्रमिक और कुल श्रमिकों का प्रतिशत (पुरुष)								
गाँव का नाम	**मुख्य श्रमिक _M_1991**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का % 1991**	**मुख्य श्रमिक _M_2001**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %**	**मुख्य श्रमिक _M_2011**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_2011**	**मुख्य श्रमिक _M_2021***	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_2021***
गाली	44	66.7	70	95.9	9	11.3	-9	-4.1
बालोदर	107	54	122	84.1	177	81.2	212	63.4
हाहे	40	87.9	70	98.6	79	82.3	99	58.8
फुलांग	0	0	1	100.0	1	100.0	2	100.0
गोंदलपुरा	357	81.1	457	86.7	327	53.5	312	21.8
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

तालिका 5 और 6 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फुलांग में केवल पुरुष श्रमिक हैं और कोई महिला श्रमिक नहीं है। शेष सभी गांवों में 2001 तक मुख्य कार्यकर्ता (महिला) की वृद्धि हुई थी और उसके बाद तेजी से गिरावट आई है। गाली और बालोदर में यह गिरावट क्रमश: -7 और -2 होने का अनुमान है। गाली के लिए कुल कार्यबल में मुख्य कार्यकर्ता (महिला) का प्रतिशत भी 1991 में 33.3% से गिरकर 2021 में -3.1% और 1991 में 46% से गिरकर 2021 में -0.6% होने का अनुमान है। इसके विपरीत, हाहे और गोंदलपुरा 1991 के बाद से कुल कार्यबल में मुख्य कार्यकर्ता (महिला) और मुख्य कार्यकर्ता (महिला) के प्रतिशत में वृद्धि दिखाते हैं। इससे इस तथ्य का पता चलता है कि गाली और बालोदर की महिलाएं पड़ोसी क्षेत्रों में काम कर रही होंगी।

तालिका: 6 - मुख्य श्रमिक और कुल श्रमिकों का प्रतिशत (महिला)								
गाँव का नाम	**मुख्य श्रमिक _F_1991**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_1991**	**मुख्य श्रमिक _F_2001**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का %_2001**	**मुख्य श्रमिक _F_2011**	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का % _2011**	**मुख्य श्रमिक _F_2021***	**कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का % _2021***
गाली	22	33.3	56	88.9	3	3.7	-7	-3.1
बालोदर	91	46	115	78.8	29	40.8	-2	-0.6
हाहे	6	13	39	97.5	24	77.4	33	19.7
फुलांग	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
गोंदलपुरा	11	2.5	352	73.3	174	35.5	256	17.8
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

1991 में केवल गोंदलपुरा में 72 सीमांत श्रमिक थे जो कुल श्रमिकों का लगभग 16% थे (तालिका 7 के अनुसार)। यह संख्या 2011 में लगातार बढ़कर 600 हो गई और 2021 में इसके 864 होने की उम्मीद है यानी सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कुल श्रमिकों के 19.7% (1991) से बढ़कर 60.4% (2021) हो गया। गाली, बालोदर और हाहे ने भी सीमांत श्रमिकों की संख्या और कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत दोनों में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्ज की है। फुलांग में कोई सीमांत श्रमिक नहीं है।

तालिका:7 - सीमांत श्रमिक और कुल श्रमिकों का प्रतिशत (व्यक्तियों)								
गाँव का नाम	**सीमांत श्रमिक _P_1991**	**कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_1991**	**सीमांत श्रमिक _P_2001**	**कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2001**	**सीमांत श्रमिक P_2011**	**कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2011**	**सीमांत श्रमिक _P_2021***	**कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2021***
गाली	0	0	10	7.4	149	92.5	224	107.2
बालोदर	0	0	54	18.6	83	28.7	125	37.2
हाहे	0	0	2	1.8	24	18.9	36	21.5
फुलांग	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
गोंदलपुरा	72	16.0	198	19.7	600	54.5	864	60.4
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

गाली, बालोदर और गोंदलपुरा में 2001 में 96 पुरुष और 166 महिला सीमांत श्रमिक थे, जो 2011 में बढ़कर 396 पुरुष और 436 महिला सीमांत श्रमिक हो गए और 2021 तक 595 पुरुष और 618 महिला सीमांत श्रमिकों तक बढ़ने का अनुमान है। इस प्रकार, ये तीन गांवों में कुल मिलाकर पुरुष सीमांत श्रमिकों की तुलना में महिला सीमांत श्रमिक अधिक हैं। हाहे में सभी तीन दशक के वर्षों में पुरुष सीमांत श्रमिकों की संख्या महिला सीमांत श्रमिकों की तुलना में अधिक है। यहां तक कि गाली, बालोदर और गोंदलपुरा में कुल श्रमिकों में महिला सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत पुरुष सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत से अधिक है और यह हाहे में इसके विपरीत है।

तालिका :8 - सीमांत श्रमिक और कुल श्रमिकों का प्रतिशत (पुरुष)

गाँव का नाम	सीमांत श्रमिक _M_1991	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_1991	सीमांत श्रमिक _M_2001	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2001	सीमांत श्रमिक _M_2011	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2011	सीमांत श्रमिक _M_2021*	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2021*
गाली	0	0	3	4.1	71	88.8	107	51.1
बालोदर	0	0	23	15.9	41	18.8	62	18.4
हाहे	0	0	1	1.4	17	17.7	26	15.2
फुलांग	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
गोंदलपुरा	0	0	70	13.3	284	46.5	426	29.8

स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)

तालिका:9 - सीमांत श्रमिक और कुल श्रमिकों का प्रतिशत (महिला)

गाँव का नाम	सीमांत श्रमिक _F_1991	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_1991	सीमांत श्रमिक _F_2001	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2001	सीमांत श्रमिक _F_2011	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2011	सीमांत श्रमिक _F_2021*	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का %_2021*
गाली	0	0	7	11.1	78	96.3	117	56.1
बालोदर	0	0	31	21.2	42	59.2	63	18.8
हाहे	0	0	1	2.5	7	22.6	11	6.3
फुलांग	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
गोंदलपुरा	72	16.0	128	26.7	316	64.5	438	30.6

स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)

इस परियोजना से निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव को जन्म दे सकते है, जिनका आकलन सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान किया गया:-

- अध्ययन क्षेत्र में गैर- कुशल और अर्ध- कुशल मजदूरों से लेकर/ उपठेकेदारों के रूप में लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि
- सेवाओं की वृद्धि (जैसे खुदरा दुकानें, ऑटोमोबाइल कार्यशालाएं, आदि) और सेवा क्षेत्र में रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि।
- जब व्यय करने की क्षमता में विस्तार होगा और विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तिओं का आगमन होगा तो क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में सुधार होगा। चूंकि क्षेत्र में औद्योगीकरण हो चुका है तो प्रस्तावित परियोजना के कारण सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष नहीं हो सकते हैं।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और क्षेत्र का समग्र आर्थिक उत्थान और परिवहन, संचार, स्वास्थ्य और शैक्षणिक सेवाओं में सुधार।

तालिका:10 - परियोजना का सकारात्मक प्रभाव

ग्राम	कोई जवाब नहीं	रोजगार एवं जमीन की कीमत में बढोत्तरी	आर्थिक और रोजगार के अवसरों एवं सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि	आर्थिक और रोजगार के अवसरों तक पहुंच एवं, भूमि की कीमतों में वृद्धि	सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच एवं भूमि की कीमतों में वृद्धि	कुल
बलोदर	7	35	0	0	0	41
गाली	13	47	0	0	0	61
गोंदलपुरा	66	341	2	2	5	416
कुल	**86**	**423**	**2**	**2**	**5**	**518**

परियोजना के नकारात्मक प्रभाव :

82% उत्तरदाताओं ने भूमि का नुकसान (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी का प्रवाह, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, बाहरी लोगों

के साथ संघर्ष, सड़क में वृद्धि दुर्घटनाओं को नकारात्मक प्रभाव माना। तालिका 11 में आकलन प्रदर्शित है।

तालिका:11 - परियोजना के बारे में नकारात्मक प्रभाव							
ग्राम	**भूमि का नुकसान (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी का प्रवाह, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, सड़क में वृद्धि दुर्घटनाओं**	**भूमि का नुकसान (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी की आमद, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि**	**भूमि की हानि (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि)**	**मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी की आमद, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि)**	**बाहरी आबादी की आमद, एचआईवी/एड्स के प्रति संवेदनशीलता, बाहरी आबादी की आमद के कारण, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि**	**कोई जवाब नहीं**	**कुल**
बलोदर	35	0	0	0	0	6	41
गाली	47	0	0	0	0	14	61
गोंदलपुरा	343	3	1	1	3	65	416
कुल	**425**	**3**	**1**	**1**	**3**	**85**	**518**

नकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया जा सकता है:

- अस्थायी जनसंख्या में वृद्धि के कारण नागरिक सुविधाओं (जैसे सड़क, परिवहन, संचार, जल आपूर्ति और स्वाच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजक सुविधाओं) पर दबाव पड़ना।
- लोगों और गांवों के पुनर्वास के कारण क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता में बदलाव होगा जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष हो सकते हैं।
- जमीन, मकान और अन्य संपत्ति गंवाने वाले लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। इससे गरीब होने और सीमांत पर जाने का खतरा बढ़ जाएगा।
- जो प्रभावित जनसँख्या है, उसे जो मुआवजा मिलेगा उसके कारण क्षेत्र में अचानक से ही घन का उछाल आएगा और इसके कारण बातचीत का पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि लोगों के एक निश्चित समूह पहले की तरह ही गरीब रहेगा। इससे सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है।

- स्थानीय सेवाओं और उत्पादों जैसे अंडा, मछली, सब्जियां, दूध आदि के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि।

परिचालन चरण के दौरान प्रभाव

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है बातचीत की पद्धति और सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन होगा, जिससे सामाजिक तनाव और सामाजिक अव्यवस्था हो सकती है। साथ ही खनन कार्यों से वायु और जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए। विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ-साथ वातावरण में जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनके साथ-साथ नियामक मानकों को लागू करने से ही स्वास्थ्य की स्थिति पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित होगा।

2.5. मुख्य डिजाइन सुविधाएँ और आकार और सुविधाओं के प्रकार

विभिन्न कम्पोनन्ट में उपयोग में लाने वाले भूमि का विवरण तालिका 12 में वर्णित है।

तालिका: 12

S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)	Total (ha)
1	External OB Dump Area Outside of Block	65.23	38.03	103.26
2	External OB Dump Area Within block	24.59	1.5	26.09
3	Excavation Area	100.39	225.62	326.01
4	Safety Zone	2.6	3.9	6.5
5	Settling pond	2.2	0	2.2
6	Road & Infrastructure area	10.12	2.68	12.8
7	Embankment	2.3	16.24	18.54
8	Green Belt	10.69	0	10.69
9	Water Reservoir/River	0	5.56	5.56
10	Garland Drain	1.53	0	1.53
	Total	**219.65**	**293.53**	**513.18**

2.6. सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

परियोजना प्रभावित क्षेत्र से सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण से पता चलता है कि शैक्षणिक और अन्य विकास के मामले में यह क्षेत्र मध्यम रूप से विकसित है। साक्षारता, कार्य भागीदारी दर, सुविधाओं तक पहुंच आदि के संदर्भ में लक्षित जनसंख्या का समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति निम्नतम है।

अत: इस क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं पर जोर देने की आवश्यकता है तथा रोजगार सृजन पर भी अधिक ध्यान दी जानी चाहिए ताकि प्रभावित आबादी को शिक्षा और विकास की आधुनिक सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी मिल सकें।

2.7. कार्य बल की आवश्यकताएं

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 200 परिवारों का रोजगार सृजन होगा। इसके लिए रोजगार सृजन के लिए अलग से कौशल आकलन किया जाएगा और कौशल विकास योजना के तहत रोजगार का सृजन होगा।

2.8. एस आई ए एजेंसी का विवरण

इस परियोजना का लिए एस आई ए एजेंसी के लिए नाबार्ड कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है । परियोजना प्रभावित संभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा 24.09.2021 से 18.01.2022 तक आयोजित सर्वेक्षण जनित आंकड़ो के आधार पर तैयार किया गया है । यह जानकारी सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा गृह स्वामी या घर के किसी अन्य व्यस्क सदस्य से एकत्रित की गई है। सर्वेक्षण के नतीजे के परिणामस्वरूप परियोजना प्रभावित सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी प्राथमिकताओं, उम्मीदों एवं आशंकाओं की पूरी पहचान हुई। सर्वेक्षण एसआईए के लिए नियुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा आयोजित की गई जिसमे प्रणय कुमार, सचिदानंद परुस्ती, प्रेम प्रकाश सिंह, रौशन कुमार, नवीन कुमार मेहता, सुबोध कुमार यादव, कामेश्वर गोप, संजय यादव, सूर्य कुमार, दीपक कुमार, मनोज कुमार एवं श्रवण कुमार आदि शामिल थे।

2.9. प्रयोज्य कानून और नीतियां

प्रमुख सामाजिक कानून और अधिनियम

यह भाग भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पुनर्वास और पुनर्वासन नीति के लिए कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रभावित पात्र परिवारों के लिए पात्रता भी शामिल है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के आधार पर; पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित मुद्दों के लिए विश्व बैंक के ओपी 4.12 और राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न सरकारी आदेश के आलोक में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति विकसित की है । इस नीति के द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों की आजीविका का पुनर्स्थापन की आवश्यकता की पहचान होती है, प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए

मानदंड का निर्धारण होता है और मोटे तौर पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण और संस्थागत ढांचे की रूपरेखा तैयार की जाती है। परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य सामाजिक नियम और कानून नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:-

तालिका: 13 - प्रासंगिक सामाजिक विधान

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	इस परियोजना के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम		भारत में पाए गए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवशेषों का संरक्षण।	नहीं। ऐसी सुविधाओं से 300 मीटर के भीतर स्थित परियोजना के लिए |	पुरातत्व विभाग भारत सरकार, इंडियन हेरिटेज सोसाइटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज (INTACH)। ठेकेदार प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले सामान्य संपत्ति संसाधनों का निर्माण करेगा |
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार	2013	अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा; भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित आबादी का पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित सभी लोगों का आर्थिक पुनर्वासन ।	हां। भूमि अधिग्रहण के मामले में	राजस्व विभाग। संबंधित राज्य सरकार

तालिका: 13 - प्रासंगिक सामाजिक विधान

अधिनियम/नियम/ नीति	वर्ष	उद्देश्य	इस परियोजना के लिए प्रयोज्यता	जिम्मेदार एजेंसी
पंचायती राज अधिनियम	1992	यह अधिनियम विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करते हुए, ग्राम स्तर के कार्यों को व्यापक बनाकर निर्णय लेने में पंचायत स्तर की संस्थाओं की भागीदारी को सक्षम बनाता है। अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं विशेषकर ग्राम सभा/पंचायत को परियोजना तैयार करने और कार्यान्वयन के दौरान शामिल करने का प्रावधान है। परियोजना की तैयारी और क्रियान्वयन में ग्राम स्तर की पंचायतों को शामिल किया जाएगा।	हाँ, विशेष रूप से पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी भी उप परियोजना के लिए	पंचायती राज विभाग
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम		वन कानूनों के कारण होने वाले अन्याय को आंशिक रूप से ठीक करते हुए, पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। वन और वन्यजीव संरक्षण में समुदायों और जनता को आवाज देने की दिशा में एक शुरुआत करता है	हाँ, यदि परियोजना सड़क आरक्षित और संरक्षित वनों सहित प्रथागत वन भूमि; संरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक वन से गुजरती है ।	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय कल्याण विभाग

तालिका: 14 - अनैच्छिक अधिग्रहण और RFCTLARRA 2013

क्रमांक	विषय/मुद्दे/क्षेत्र	RFCTLAR&R
1.	भूमि अधिग्रहण का आवेदन	***धारा 2*** उन परियोजनाओं के लिए लागू जहां सरकार अपने स्वयं के उपयोग,PSU और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए धारण और नियंत्रण हेतु भूमि का अधिग्रहण करती है; पीपीपी के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास जारी है; निजी कंपनियां जहां 80% **भूमि मालिकों** ने सहमति दी है, या पीपीपी के मामले में 70% **भूमि मालिकों** ने सहमति दी है ।

तालिका: 14 - अनैच्छिक अधिग्रहण और RFCTLARRA 2013		
क्रमांक	**विषय/मुद्दे/क्षेत्र**	**RFCTLAR&R**
	परिहार का सिद्धांत	अध्याय II में अधिनियम के रूप में विचार किए जाने वाले विकल्प, बिंदु # 4 (डी) के अनुसार- "अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम है; और (ई) कहता है कि वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और पाया गया कि यह संभव नहीं है ।
2.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का आवेदन	उपरोक्त के अलावा , ***धारा 2(3)*** सरकार द्वारा निर्धारित निजी कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि या सरकार द्वारा अधिग्रहित भाग ।
3.	प्रभावित क्षेत्र	***धारा 3 (बी)*** : 'अधिग्रहण' के लिए अधिसूचित क्षेत्र
4.	परिवार	***धारा 3 (एम)*** में व्यक्ति, उसकी और उसकी पत्नी, नाबालिग बच्चे, एवं आश्रित नाबालिग भाई और बहन शामिल हैं। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।
5.	पात्रता के लिए प्रभावित परिवार	***धारा 3 (ए)*** : जिसकी जमीन और अन्य अचल संपत्ति अर्जित की गई हो । ***(बी) और (ई)*** : प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार जैसे मजदूर, किरायेदार, वन और जल निकायों पर निर्भर, आदि जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत अधिग्रहण के कारण प्रभावित होता है ***(सी)*** अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी जिनके अधिकार वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत मान्यता प्राप्त हैं। ***(एफ)*** परिवार को किसी भी योजना के तहत राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जमीन सौंपी गई ***(जी)*** शहरी क्षेत्र में किसी भी भूमि पर निवास करने वाला परिवार जिसे अधिग्रहित किया जाएगा या अधिग्रहण से आजीविका का प्राथमिक स्रोत प्रभावित होगा ।
6.	निर्दिष्ट तिथि	***धारा 3 सी (ii), (iv) (vi) :*** "भूमि के अधिग्रहण" से 3 साल पहले से या उससे अधिक समय तक रहने वाले परिवार।
7.	अध्याय II का लागू न होना	***धारा 6(2):*** सिंचाई परियोजनाएं जहां अन्य कानूनों के तहत ईआईए की आवश्यकता होती है, एसआईए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
8.	तैयारी के दौरान परामर्श - चरण 1	***धारा 4(1)***: एसआईए करने के लिए पीआरआई, शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि के साथ पहले परामर्श के लिए जारी की गई तारीख । ***धारा 5*** : प्रभावित क्षेत्र में एसआईए की जन सुनवाई। दिनांक और समय का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें।
9.	SIA और SIMP तैयार करने की समय अवधि	***धारा 4(2)*** : इसके शुरू होने की तारीख से ***छह महीने के भीतर ।***

तालिका: 14 - अनैच्छिक अधिग्रहण और RFCTLARRA 2013		
क्रमांक	**विषय/मुद्दे/क्षेत्र**	**RFCTLAR&R**
10.	प्रकटीकरण - चरण 1	***धारा 6(1)*** : पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी सरकारी निकायों में उपलब्ध स्थानीय भाषा में अनुवादित; जिला प्रशासनिक कार्यालय और संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइटें ।
11.	एसआईए और एसआईएमपी का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन	***धारा 7(1):*** एक बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह का गठन करें जिसमें विकेंद्रीकृत सरकारी संस्थानों (पीआरआई, यूएलबी) के सदस्य शामिल हों।
12.	समूह को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय	***धारा 7(4): इसके गठन की तारीख से दो महीने के भीतर*** अपनी रिपोर्ट जमा करें
13.	विशेषज्ञ समूह के कार्य का दायरा	***धारा 7 (4) (ए एंड बी)*** : आकलन करें कि क्या यह किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं; यदि सामाजिक लागत संभावित लाभों से अधिक है तो छोड़ दिया जाना चाहिए; ***धारा 7 (5) (ए एंड बी)*** : यदि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो इसने न्यूनतम भूमि अधिग्रहण और विस्थापन को कम करने के लिए वैकल्पिक विकल्पों पर विचार किया है; संभावित लाभ सामाजिक लागतों से अधिक हैं
14.	मूल्यांकन के दौरान परामर्श - चरण II	***धारा 2 (2): पीपीपी में 80*** % और 70% भूमि मालिकों की पूर्व सहमति प्राप्त कर लिया गया है, जहां निजी कंपनी ने शेष भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार से संपर्क किया है, ,
15.	प्रकटीकरण - चरण II	***धारा 7 (6): 7(4 और 5)*** के तहत विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को जिला और ब्लॉक प्रशासनिक कार्यालय और पीआरआई में स्थानीय भाषा में सार्वजनिक किया गया है।
16.	बहुफसली भूमि पर प्रभाव को कम करना	***धारा 10:*** यदि असाधारण परिस्थितियों में बहुफसली भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, तो अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं की कुल भूमि से अधिक नहीं हो सकता है। अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुवाई क्षेत्र से अधिक नहीं हो सकता है। अधिग्रहित क्षेत्र के दोगुने के बराबर बंजर भूमि का विकास किया जाएगा।
17.	प्रारंभिक सूचना का सूचना प्रसार	***धारा 11 (1), (2) और (3)*** परियोजना के उद्देश्य, एसआईए का सारांश और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए नियुक्त प्रशासक के विवरण के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए स्थानीय भाषा और ग्राम सभाओं , नगर पालिकाओं की बैठकों में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की सूचना का प्रकाशन ।
18.	भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना	***धारा 11 (5)*** एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, तदनुसार ***धारा 19 के तहत नोटिस जारी किया जाना है, जिसके बाद दो महीने के भीतर भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाना है।***
19.	जनगणना और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं की तैयारी	***धारा 16 (1) (2)*** : प्रभावित लोगों और उनकी प्रभावित होने वाली संपत्ति, आजीविका की हानि और प्रभावित होने वाली सामान्य

तालिका: 14 - अनैच्छिक अधिग्रहण और RFCTLARRA 2013		
क्रमांक	**विषय/मुद्दे/क्षेत्र**	**RFCTLAR&R**
		संपत्ति की जनगणना करना; पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन के लिए समय सीमा सहित ।
20.	सूचना प्रसार और जन सुनवाई - चरण III	***धारा 16(4) और (5)*** : पुनर्वास क्षेत्र सहित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना पर सूचना का प्रसार करना अनिवार्य है और पेसा के तहत आवश्यकतानुसार अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा, नगर पालिका और परामर्श में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना मसौदा पर जन सुनवाई आयोजित करना अनिवार्य है।
21.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का अनुमोदन	***धारा 17 एवं 18*** : जनसुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों को दूर करने एवं अनुमोदित करने के बाद पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना मसौदा को अंतिम रूप दिया जाना है।
22.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की अंतिम घोषणा	***धारा 19 (2)*** : आवश्यक निकाय द्वारा पैसा जमा करने के बाद ही सरकार **19(1) के साथ नोटिस जारी करेगी** ।
23.	समयावधि निर्धारित।	***धारा 19 (2):*** भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने, सूचना प्रसारित करने, प्रारंभिक सर्वेक्षण, जनगणना, आपत्तियों की सुनवाई, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन, धन जमा करने की पूरी प्रक्रिया उस तारीख से ***12 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए*** जिस तारीख को धारा 11 के तहत प्रारंभिक नोटिस जारी किया गया हो । ***धारा 19 (7) : यदि धारा 11 (1) के 12*** महीनों के भीतर अंतिम घोषणा नहीं की जाती है , तो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रक्रिया व्यपगत हो जाएगी।
24.	भूमि अधिग्रहण योजना की तैयारी	***धारा 20:*** अधिग्रहण योजना तैयार करने के लिए भूमि चिह्नित एवं मापी गई।
25.	दावों की सुनवाई	***धारा 21 (1) (2)*** : भूमि पर कब्जा करने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाते हुए नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मुआवजे और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पर दावा धारा 21 (1) के जारी होने की तारीख से ***एक महीने से कम और छह महीने से अधिक*** में नहीं किया जा सकता है।)
26.	प्रतिकर घोषित करने के लिए निर्धारित समयावधि	***धारा 25:*** भूमि अधिग्रहण योजनाओं को पूरा करने, आपत्ति की सुनवाई, पुरस्कार की घोषणा के लिए व्यक्तिगत दावों का निपटान करने के बाद ***धारा 19 (भूमि अधिग्रहण की अंतिम घोषणा, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना) के जारी होने के 12 महीने के भीतर*** प्रतिकर की घोषणा करना आवश्यक है । यदि निर्धारित समय के भीतर प्रतिकर नहीं दिया जाता है, तो पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
27.	LA अधिनियम 1984 को व्यपगत माना जाता है और RFCTLAR&R लागू होता है	***धारा 24*** : जहां धारा 11 के तहत प्रतिकर घोषित नहीं किया गया है, या जहां पांच साल पहले बनाया गया है, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है या जहां प्रतिकर घोषित किया गया है

तालिका: 14 - अनैच्छिक अधिग्रहण और RFCTLARRA 2013		
क्रमांक	**विषय/मुद्दे/क्षेत्र**	**RFCTLAR&R**
		लेकिन अधिकांश लाभार्थी के खाते में पैसा जमा नहीं किया गया है।
28.	भूमि के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने की पद्धति	***धारा 26 और पहली अनुसूची:*** 3 विधियों को मान्यता देता है और जो भी अधिक हो उस पर विचार किया जाएगा जिसे पहली अनुसूची में दिए गए एक कारक से गुणा किया जाएगा; पूर्व में दिए गए मुआवजे पर विचार नहीं किया जाएगा; यदि दरें उपलब्ध नहीं हैं तो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है; बाजार मूल्य को अद्यतन करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं ।
29.	संरचनाओं का मूल्यांकन	***धारा 29 (1)*** मूल्यह्रास मूल्य में कटौती किए बिना।
30.	सोलेटियम और ब्याज	***धारा 30(1)*** मुआवजे की राशि का 100% ***धारा 30(3)*** : एसआईए की अधिसूचना की तिथि से लेकर वार्ड या भूमि अधिग्रहण की तिथि तक बाजार दर पर 12% प्रतिवर्ष
31.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर	***धारा 31, दूसरी अनुसूची*** : एक परिवार को एक इकाई के रूप में मुआवजे के अलावा और जो मुआवजे के हकदार नहीं हैं, उन्हें पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अनुदान प्राप्त होगा। ***दूसरी अनुसूची:*** बेघर निर्माण के हकदार, मुआवजे के एवज में सिंचाई परियोजनाओं में भूमि के लिए भूमि , शहरीकरण के लिए अधिग्रहण की स्थिति में, विकसित भूमि का 20% मुआवजे की नौकरी के बराबर मूल्य पर मालिकों के लिए आरक्षित या एकमुश्त भुगतान या 20 वर्ष के लिए वार्षिकी निर्वाह अनुदान, परिवहन, भूमि और मकान संयुक्त नाम पति और पत्नी, आदि पर पंजीकृत
32.	पारदर्शिता	***धारा 37(1):*** प्रत्येक परिवार की जानकारी जिसमें हानि, मुआवजा दिया जाना आदि शामिल है, वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
33.	जमीन का कब्जा	***धारा 38(1)*** : मुआवजे के तीन महीने के भीतर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और 6 महीने के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ वितरित किए जाएंगे; मुआवजे के लिए धारा 30 के तहत दिए गए प्रतिकर की तारीख से 18 महीने के भीतर पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की सुविधा पूरी हो जाएगी; सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में जलमग्न होने से छह महीने पहले पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पूरा किया गया ।
34.	विस्थापन	***धारा 39:*** विस्थापितों को निर्धारित मुआवजे के बराबर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा
35.	आपातकालीन उद्देश्य के लिए अधिग्रहण	***धारा 40(5)*** : 75% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान मुआवजे की राशि से अधिक किया जाएगा
36.	अधिग्रहण और अलगाव से पहले पूर्व सहमति	***धारा 41(3)*** अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा, पंचायत, स्वायत्त परिषदों से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

तालिका: 14 - अनैच्छिक अधिग्रहण और RFCTLARRA 2013		
क्रमांक	**विषय/मुद्दे/क्षेत्र**	**RFCTLAR&R**
37.	एससी और एसटी के लिए विकास योजनाएं	***धारा 41:*** अलग से विकास योजनाएं तैयार करें, अधिग्रहण से पहले भूमि अधिकारों का निपटारा करें; वन भूमि पर वैकल्पिक ईंधन चारा, गैर-इमारती उपज 5 वर्ष के भीतर विकसित करने का प्रावधान; पहली किश्त के रूप में भुगतान की जाने वाली 1/3 मुआवजा राशि और कब्जा लेने के समय शेष राशि; अनुसूचित क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजाति का पुनर्वास; सामुदायिक प्रयोजन के लिए नि:शुल्क भूमि; भूमि हस्तांतरण शून्य होगा और एसटी और एससी को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों के लिए माना जाएगा; सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में मछली पकड़ने के अधिकार बहाल ; यदि जिले के बाहर बसना चाहते हैं तो मौद्रिक शर्तों में अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाएंगे; अन्य कानूनों के तहत प्राप्त सभी अधिकार जारी रहेंगे। ***दूसरी अनुसूची*** : सिंचाई परियोजनाओं में भूमि के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त प्रावधान, निर्वाह अनुदान के अतिरिक्त राशि
38.	संस्थागत व्यवस्था	***धारा 43-45:*** प्रशासक, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त की नियुक्ति, जब 100 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन किया जाएगा, ग्राम सभा और नगर पालिकाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी।
39.	भूमि उपयोग में परिवर्तन	***धारा 46(4):*** भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी को तब तक हस्तांतरित नहीं की जाएगी जब तक कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है
40.	जाँचना और परखना	***धारा 48- 50:*** प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन
41.	दावों का निपटान करने का अधिकार	***धारा 51-74:*** अधिग्रहण और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद को निपटाने के लिए प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, इसके बाद पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय में जा सकता है।
42.	टैक्स और शुल्क से छूट	***धारा 96:*** मुआवजा और समझौते कर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे
43.	अधिग्रहित भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं	***धारा 99*** : एक बार किसी विशेष उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के बाद, इसका उद्देश्य नहीं बदला जा सकता है
44.	अनुपयोगी भूमि की वापसी	***धारा 101:*** यदि अधिग्रहीत भूमि 5 वर्षों तक अनुपयोगी रहती है, तो उसे मूल मालिक, वारिस या भूमि बैंक में शामिल कर वापस कर दिया जाएगा
45.	हस्तांतरित भूमि के बढ़े हुए मूल्य का वितरण	***धारा 102*** : अधिग्रहीत भूमि के मूल्यांकित मूल्य का 40% मालिकों को वितरित किया जाएगा बशर्ते कि कोई विकास नहीं हुआ हो।

तालिका: 15 - सभी प्रकार की परियोजनाओं और निर्माण स्थान के लिए सहमति आवश्यकताएँ {u/s 2 (2)}

परियोजना प्रकार + क्षेत्र	सहमति	
	भूमि स्वामी और किरायेदार	ग्राम सभा /पंचायत /स्वायत्त जिला परिषद
सार्वजनिक + गैर-अनुसूचित क्षेत्र	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
सार्वजनिक + अनुसूचित क्षेत्र	आवश्यक नहीं	आवश्यक
पीपीपी + गैर-अनुसूचित क्षेत्र	आवश्यक (70%)	आवश्यक नहीं
पीपीपी + अनुसूचित क्षेत्र	आवश्यक (70%)	आवश्यक
निजी + गैर-अनुसूचित क्षेत्र	आवश्यक (80%)	आवश्यक नहीं
निजी + अनुसूचित क्षेत्र	आवश्यक (80%)	आवश्यक

i. "अनुसूचित क्षेत्र" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र से है। अधिनियम में पंचायतों के प्रावधानों को नौ राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में विस्तारित किया है, जिनमें पांचवीं अनुसूची क्षेत्र हैं।

ii. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 या PESA "अनुसूचित क्षेत्रों" को आच्छादित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, जो भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन या पंचायती राज अधिनियम में शामिल नहीं है। इसे 24 दिसंबर 1996 को अधिनियमित किया गया था ताकि ग्राम सभाओं को अपने प्राकृतिक संसाधनों को स्व-शासन करने में सक्षम बनाया जा सके। यह पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए एक अधिनियम है।

iii. _____ परियोजना श्रेणी 1- (सार्वजनिक + गैर-अनुसूचित क्षेत्र) के अंतर्गत आती है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और इसके लिए भूमि मालिकों और किरायेदारों या ग्राम सभा / पंचायत से सहमति की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

::अधिसूचना::

संख्या- 10ए0/भू0अ0नि0/नियामवली-21/2015/131नि.रा0 राँची, दिनांक-30.03.2015

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धराा की धारा-112 के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-53/नि. दिनांक 27.02.2015 द्वारा झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियामवली, 2015 के प्रारूप पर प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यतियों से प्रकाषन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक के लिए सुझााव की मांग की गई।

2. प्रारूप नियामवली पर लोक एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों पर झारखण्ड सरकार द्वारा विचार किया गया।

अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उपधारा -(1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत झारखण्ड राज्यपाल द्वारा झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियामवली, 2015 गठित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियामवली, 2015

अध्याय - I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. यह नियमावली ''झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियामवली, 2015 कही जा सकेगी।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
3. यह राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।

1. इस नियामवली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) एवं संशोधन अधिनियम यदि कोई हो।

(ख) ''प्रषासक'' से अभिप्रेत है धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी।

(ग) प्रभावित क्षेत्र से अभिप्रेत है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र जहाँ भूमि अर्जन किया जाना है।

(घ) ''समुचित सरकार'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार और इसके अन्तर्गत है धारा-3 के खंड (ड़) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित जिला का उपायुक्त तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई पदाधिकारी।

(ड़) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार।

(च) ''समाहर्त्ता'' से अभिप्रेत है उपायुक्त और इसके अन्तर्गत है अपर समाहर्त्ता, अपर उपायुक्त और इस अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता के सभी अथवा किसी कृत्य को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई अन्य पदाधिकारी जैसे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी।

(छ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का आयुक्त,

(ज) ''प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र,

(झ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा,

(ञ) ''एस.आई.ए.'' से अभिप्रेत है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन,

(ट) ''एस.आई.ए. इकाई'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए और सामाजिक प्रभाव बंधन योजना को तैयार करने के लिए नियुक्त एजेंसी अथवा एजेंसियाँ,

(ठ) ''सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किया जानेवाला मूल्यांकन,

(ड) ''सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना,

(ढ़) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(ण) ''ग्राम सभा'' से अभिप्रेत है, ग्राम सभा जैसा कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में परिभाषित है।

(त) ''शहरी क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह निगम क्षेत्र जैसा कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में परिभाषित है।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमश: समनुदेशित किए गए हों।

अध्याय - II

भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव

3. भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव

(1) अधियाची निकाय द्वारा प्रपत्र I में, यथास्थिति, निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव समाहर्त्ता को प्रस्तुत की जायेगी :-

(i) प्रपत्र-I में प्रस्ताव

(ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अथवा प्रशासनिक स्वीकृति अथवा संबंधित विभाग/अधियाची निकाय का स्वीकृति आदेश

(iii) परियोजना की अनुमानित लागत,

(iv) अर्जनाधीन भूमि को दर्शानेवाला ग्राम मानचित्र (मानचित्रों) की तीन प्रतियाँ,

(v) अर्जित की जानेवाली भूमि के खतियान की प्रमाणित प्रतियाँ,

(vi) यह सूचना कि क्या भूमि सिंचित बहुफसली भूमि है तो क्या यह धारा 10 के परन्तुक के अधीन आच्छादित है। यदि नहीं, तो भूमि को अर्जित करने के लिए प्रदर्शनीय विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या हैं।

(vii) समाहर्त्ता द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अथवा सूचना।

(2) प्रस्ताव प्राप्त होने पर समाहर्त्ता स्थल का दौरा करने और यह जाँच पड़ताल करने के लिए क्या प्रस्ताव धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों से संगत है, राजस्व और कृषि पदाधिकारियों/वन विभाग के पदाधिकारी और अन्य कोई पदाधिकारी जो उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाय, का एक दल गठित करेगा। दल अधियाची निकाय के साथ क्षेत्र का दौरा करेगा, राजस्व अभिलेख की पड़ताल करेगा, प्रभावित होनेवाले संभावित परिवारों से मिलेगा और धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के सुसंगत अथवा विरूद्ध होने के बारे में प्रस्ताव संबंधित समाहर्त्ता को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, परन्तु धारा 10 के परन्तुक से आच्छादित रेखीय परियोजनाओं के लिए की गई प्रस्ताव की दशा में, ऐसी पड़ताल अपेक्षित नहीं होगी।

(3) दल के प्रतिवेदन, उनसे प्राप्त अन्य सूचना और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आधार पर यदि समाहर्त्ता का समाधान हो जाय कि प्रस्ताव धारा 10 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों से संगत है तो वह इस आशय का एक सकारण तार्किक आदेश पारित करेगा। यदि उसका समाधान हो जाय कि

प्रस्ताव उक्त उपबंधों से संगत नहीं है तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और अधियायी निकाय को प्रस्ताव लौटा देगा।

(4) यदि समाहर्त्ता का समाधान हो जाय कि प्रस्तावित भूमि अर्जित की जा सकती है तो वह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की अनुमानित लागत की गणना करेगा और अधियाची निकाय से उसे जमा करवायेगा। भू-अर्जन की अनुमानित लागत और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की अनुमानित लागत की गणना कर धारा-19(1) के तहत् अधिघोषणा प्रकाशन के पूर्व जमा करायी जायगी।

(5) अर्जन की अनुमानित लागत जमा करने के पश्चात् समुचित सरकार अधिनियम और इस नियमावली के अनुसार अर्जन की कार्रवाई करेगा।

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-3 के खण्ड (ड़) के उप खण्ड (5) के परन्तुक के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है, तथा इस संबंध में समुचित सरकार समझा जायगा।

क्र0सं0	**निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल**	**समुचित सरकार**
1.	5000 हेक्टेयर तक	उपायुक्त
2.	5000 हेक्टेयर से अधिक	राज्य सरकार

4. अधियाची निकाय द्वारा अर्जन की लागत जमा करने की नीति।

(1) नियम 3 उप-नियम (4) के अधीन अधियाची निकाय द्वारा जमा की जानेवाली अर्जन की अनुमानित लागत और अन्य प्रभार भूमि की अनुमानित लागत, उक्त भूमि पर अवस्थित परिसंपत्तियों का मूल्य, तोषण, अधिनियम के अधीन उपबंधित अन्य अतिरिक्त प्रतिकार राशि, विनिर्दिष्ट स्थापना एवं आकस्मिकता प्रभार के साथ भूमि का 25 वर्षों का लगान, सेस सहित होगा।

(2) स्थापना प्रभार निम्नलिखित होंगे :-

(i) भू-अर्जन का स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा राशि का पाँच प्रतिशत,

(ii) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का स्थापना प्रभार के रूप में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा का पाँच प्रतिशत,

(iii) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए स्थापना प्रभार के रूप में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुल्क का पाँच प्रतिशत।

(3) आकस्मिकता प्रभार के रूप में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन शुल्क, भू-अर्जन के पंचाटित राशि एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के मुआवजा राशि का 0.5% होगा।

(4) अधियाची निकाय अर्जन की अनुमानित लागत, जिसमें स्थापना और आकस्मिकता प्रभार सम्मिलित है, समाहर्त्ता को बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा और समाहर्त्ता भू-अर्जन के लागत को जिला कोषागार के जमा खाता में जमा करेगा या अनुसूचित बैंक खाता जो इस प्रयोजन हेतु अलग से संधारित किया जायेगा तथा भू-अर्जन पदाधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा, में जमा करेगा।

(5) तत्पश्चात् समाहर्त्ता द्वारा चालान के माध्यम से भूमि राजस्व शीर्ष-0029008000001 में स्थापना प्रभार जमा कराया जाएगा।

(6) समाहर्त्ता द्वारा आकस्मिकता प्रभार को अनुसूचित बैंक के बचत खाता में जमा कराया जाएगा, जो जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित होगा। आकस्मिकता प्रभार की राशि का लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहन, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर आपरेटर, अमीन, ड्राफ्ट्समेन एवं उपायुक्त द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात अन्य मदों आदि के व्यय पर उपयोग किया जायेगा।

(7) अंतिम प्राक्कलन तैयार करने के पश्चात् यदि प्राधिकार अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अधिक मुआवजा राशि अधिनिर्णित की जाती है तो अधियाची निकाय को वह राशि उसी रीति से जमा करनी होगी।

(8) अधियाची निकाय को उसी रीति से वह राशि भी जमा कराना आवश्यक होगा जो प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए समुचित सरकार द्वारा परिकलित की जाय।

अध्याय - III

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन

5. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट ।

जहाँ धारा 40 के अधीन अत्यावश्यक उपबंधों अथवा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट संबंधी कोई अन्य लोक हित परियोजना का सहारा लेकर कोई भूमि अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित हो तो उपायुक्त इसके लिए और ऐसे अर्जन में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट जाने के लिए तर्कपूर्ण कारणों को देकर तार्किक आदेश पारित करेगा। वैसे मामले में जहां राज्य सरकार, समुचित सरकार हैं वैसे मामले में, समाहर्त्ता राज्य सरकार को अनुशंसा भेजेगा, उसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा तार्किक आदेश पारित किया जायेगा तथा अपने इस निर्णय से समाहर्त्ता को अवगत कराएगा। तत्पश्चात् समाहर्ता अधिनियम और इस नियमावली के अनुसार अर्जन की कार्रवाई करेगा।

6. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ।

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार इस नियमावली के प्रपत्र II के भाग-ख के अनुसार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी और इसे यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं छावनी क्षेत्र में जो लागू हो, हिन्दी भाषा में तथा उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी। और प्रभावित क्षेत्र में प्रचालित दो दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायगी। प्रभावित क्षेत्र के कुछ सहज दृश्य स्थलों पर हिन्दी भाषा में आम नोटिस के रूप में भी चिपकाई जायेगी तथा इसे समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाली जायेगी। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाली जायेगी। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए समुचित सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई का नाम अधिसूचित करेगी।

परन्तु ऐसी अधिसूचना नियम-7 के उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित एस.आई.ए. अध्ययन करने के लिए अधियाची निकाय द्वारा प्रक्रियागत फीस के जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जारी की जायेगी।

(2) इस अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनार्थ एस.आई.ए. प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर अथवा वार्ड स्तर पर यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा नगर निगम के परामर्श से किया जायेगा, तत्पश्चात प्रभावित परिवारों का विचार अभिनिश्चित करने के लिए तिथि एवं समय और स्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी देकर प्रभावित क्षेत्रों में आम सुनवाई की जायेगी, जिसे अभिलिखित किया जायेगा।

(3) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इसके प्रारंभ होने की तारीख से छह माह के अन्दर प्रपत्र III में समुचित सरकार को समर्पित किया जायेगा तथा इसमें प्रभावित परिवारों के लिखित रूप में अभिलिखित किये गए विचार सम्मिलित होंगे।

(4) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन परियोजना के प्रभाव को दूर करने के लिए किए जानेवाले अपेक्षित बेहतर उपायों को सूचीबद्ध कर सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना प्रपत्र IV में समुचित सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(5) एस.आई.ए. प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण स्तर अथवा शहरी वार्ड स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा नगर निगम तथा उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचलाधिकारी कार्यालय में हिन्दी भाषा में उपलब्ध करायी जायेगी। एस.आई.ए. प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का सारांश प्रभावित क्षेत्र में प्रचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा एवं प्रभावित क्षेत्र के कुछ सहज दृश्य स्थलों पर आम नोटिस के रूप में चिपकाया जाएगा तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा।

7. संस्थागत समर्थन और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए सुविधा ।

(1) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए किसी एजेन्सी यो एजेन्सियों की पहचान, चयन व सूचीबद्ध करेगा ताकि उन्हें राज्य एस.आई.ए. इकाई (याँ) या निर्धारित क्षेत्राधिकार वाले एस.आई.ए. इकाईयों के रूप में अधिसूचित किया जा सके। एस.आई.ए. इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन के सभी मामलों के लिए एस.आई.ए. दल द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) सम्पादित हो।

(2) एस.आई.ए. इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगी, यथा:-

(क) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए योग्य, संसाधन युक्त, भागीदार तथा कार्यकर्ता का राज्य डाटाबेस तैयार करना तथा उसे लगातार बढ़ाना जो भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताओं के साथ व्यक्तियों और संस्थाओं के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा,

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट संदर्भ निबंधन (इसमें इसके पश्चात् टी.ओ.आर. के रूप में संदर्भित) तैयार कर के संचालित किए जाने वाले एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार अथवा जिला समाहर्ता के अनुरोध पर तुरंत जवाब देना,

(ग) एस.आई.ए. दल और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना और विश्लेषण के लिए मैन्युअल, साधन, मामले के अथ्ययन का तुलनात्मक प्रतिवेदन और अपेक्षित अन्य सामग्री उपलब्ध कराना,

(घ) एस.आई.ए. प्रक्रिया के दौरान यथापेक्षित चालू समर्थन उपलब्ध कराना और सुधारात्मक कार्रवाई करना,

(ड.) जहाँ तक संभव हो नियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए एस.आई.ए. और एम.आई.एस. हेतु संव्यवहार आधारित वेब-आधारित कार्य प्रवाह संधारित किया जाए तथा सभी सुसंगत दस्तावेज अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकट किया जाय,

(च) सभी एस.आई.ए. तथा सहबद्ध प्राथमिक सामग्री के कैटलॉग को संधारित करना और

(छ) एस0आई0ए0 की गणवत्ता और राज्य में उन्हें सम्पादित करने के लिए उपलब्ध क्षमता की लगातार समीक्षा करना, मूल्यांकन करना और मजबूत करना।

3. किसी भी स्थिति में एस.आई.ए. दल या एस.आई.ए. इकाई असमर्थ्य या अन्य कोई कारण से एस.आई.ए. प्रक्रिया को पूर्ण करने और एस.आई.ए. प्रतिवेदन या एस.आई.एम.पी. प्रतिवेदन तैयार करने में असमर्थ हो जाता है तो समुचित सरकार कारण पृच्छा के द्वारा एस.आई.ए. इकाई अथवा एस.आई.ए. दल को काली सूची में डाल देगा एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पूर्ण करने के लिए दूसरा एस.आई.ए. दल का गठन करेगा या सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए किसी दूसरे एस.आई.ए. इकाई को आवंटित कर देगा।

हालाँकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार किसी भी एस.आई.ए. इकाई को समुचित कारण अंकित करते हुए किसी भी समय अयोग्य घोषित करने एवं गैर सूचीबद्ध करने के लिए सक्षम होगा ।

8. परियोजना विनिर्दिष्ट संदर्भ निबंधन (टी.ओ.आर.) तथा एस.आई.ए. के लिए प्रक्रियागत फीस।

(1) जहाँ समुचित सरकार का भूमि अर्जन का आशय हो वहाँ ऐसी भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव, राज्य एस.आई.ए. इकाई को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ भेजा जायेगा जो-

(क) भूमि अर्जन के हरेक प्रस्ताव के लिए विस्तृत परियोजना विनिर्दिष्ट टी.ओ.आर. तैयार करेगी जिसमें इस नियमावली के प्रपत्र II के भाग-क में यथावर्णित एस.आई.ए. के लिए प्रमुख परिदेय हेतु किए जानेवाले सभी आवश्यक क्रियाकलाप, दल का समुचित आकार (और क्षेत्रीय दलों की संख्या) तथा कार्य पूरा करने की नियत तिथि सूचीबद्ध होगी,

(ख) समुचित सरकार के साथ परामर्श से हरेक मद अथवा क्रियाकलाप के साथ लागत के स्पष्ट विवरण के साथ टी.ओ.आर. पर आधारित अनुमानित एस.आई.ए. फीस विनिश्चित करेगी। फीस की राशि परिभाषित पैरामीटर, जिसमें क्षेत्रफल, परियोजना का प्रकार तथा प्रभावित परिवारों की संख्या सम्मिलित है, पर आधारित होगी।

(2) संदर्भ निबंधन तथा अनुमानित एस.आई.ए. फीस प्रतिवेदन तैयार करने के लिए तथा इसे समुचित सरकार को भेजने के लिए प्रशासनिक खर्च के रूप में एस.आई.ए. इकाई को एस.आई.ए. फीस का 10% आवंटित किया जायेगा।

(3) अधियाची निकाय इस प्रयोजन के लिए समाहर्त्ता के अनुसूचित बैंक में खोले गये खाता में एस.आई.ए. फीस जमा करेगा।

9. एस.आई.ए., दल का चयन।

(1) राज्य एस.आई.ए. इकाई सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले संसाधन युक्त योग्य भागीदारों और कार्यकर्ताओं के राज्य-डाटाबेस में निबंधित अथवा सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं से हरेक परियोजना के लिए एस.आई.ए. दल का चयन करने हेतु जवाबदेह होगी।

(2) एस.आई.ए. का कार्य करने हेतु नियुक्त किए जानेवाले एस.आई.ए. दल की नियुक्ति में अधियाची निकाय किसी प्रकार से अंतर्ग्रस्त नहीं होगा।

(3) एस.आई.ए. दल का आकार और चयन का मापदंड राज्य एस.आई.ए. इकाई द्वारा विकसित परियोजना विनिर्दिष्ट टी.ओ.आर. के अनुसार होगा।

(4) एस.आई.ए. अथवा संबंधित क्षेत्र आधारित मूल्यांकन आयोजित करने में अनुभवी व्यक्तियों अथवा संगठन जो एस.आई.ए. संचालित करने में अनुभव रखता हो या इस क्षेत्र में अध्ययन कराता हो, को नियुक्त करके एस.आई.ए. दल गठित की जा सकेगी और दल में कम-से-कम एक महिला सदस्य को शामिल किया जा सकेगा।

(5) पूरे मूल्यांकन अवधि में राज्य एस.आई.ए. इकाई से सम्पर्क स्थापित करने के लिए एस.आई.ए. दल से एक दल नेता नियुक्त किया जायेगा।

(6) एस.आई.ए. दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त दल के सदस्यों के बीच हित का विरोध न हो।

(7) (i) यदि किसी चरण में, यह पाया जाता हो कि दल का कोई सदस्य अथवा दल के किसी सदस्य का कोई पारिवारिक सदस्य अधियाची निकाय अथवा परियोजना में किसी अन्य जोखिम उठाने वाले से प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: कोई लाभ प्राप्त किया है तो उक्त सदस्य को अयोग्य करार कर दिया जायेगा।

(ii) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के सभी सदस्य इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के कुटुंब सदस्य का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अधियाची निकाय या परियोजना में किसी भी पदाधिकारी से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा ।

10. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने की प्रक्रिया।

(1) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने में एस.आई.ए. दल परिमाणात्मक और गुणात्मक आँकड़ों को एकत्रित करेगा और विश्लेषण करेगा, स्थल का विस्तृत दौरा करेगा, सहभागी पद्धति जैसे केन्द्रित समूह चर्चा, सहभागी ग्रामीण मूल्य निरूपण तकनीक और सूचक साक्षात्कार का प्रयोग करेगा।

(2) यथापोषित सभी सुसंगत प्रतिवेदन और साध्यता अध्ययन, समूची एस.आई.ए. प्रक्रिया के दौरान, एस.आई.ए. दल को उपलब्ध कराया जायेगा। एस.आई.ए. दल से सूचना की मांग का कोई अनुरोध शीघ्रता से जो सात दिन से अधिक नहीं होगा, पूरा किया जायेगा। एस.आई.ए. दल द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने की जवाबदेही जिला समाहर्त्ता की होगी।

(3) सभी सुसंगत भूमि-अभिलेख और आँकडे, क्षेत्र सत्यापन समीक्षा और समान परियोजनाओं के साथ तुलना के सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर एक विस्तृत मूल्यांकन एस.आई.ए. दल द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन निम्नलिखित विनिश्चित करेगा, यथा:-

(क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी दोनों शामिल हैं, के अधीन प्रभाव का क्षेत्र,

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

(ड.) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु-फसली भूमि है और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,

(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्यसंक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियत हो,

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है।

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्त्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,

(ञ) धृतियों का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि-वितरण, आवासीय घरों की संख्या और निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसंपत्तियों, और

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षो में भूमि का उपयोग

(4) भूमि मूल्यांकन, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन के आधार पर, एस.आई.ए. प्रभावित परिवारों तथा उनमें से विस्थापित परिवारों का वास्तविक मूल्यांकन उपलब्ध करायगी, तथा जहाँ तक संभव हो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रभावित परिवार की गणना कर ली गई है।

परन्तु जहाँ गणना संभव नहीं हो वहाँ प्रतिनिधि सैम्पल (नमूना) लिया जाएगा।

(5) प्रपत्र- III के अनुसार उपलब्ध आँकड़े और सांख्यिकी क्षेत्र दौरा तथा परामर्श के आधार पर प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रोफाइल (रूपरेखा) आवश्य तैयार की जानी चाहिए,

परन्तु ऐसी परियोजना जहाँ पुनर्स्थापन अपेक्षित हो वहाँ चिन्हित पुनर्स्थापन स्थल का दौरा किया जायेगा तथा भूमि का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाईल का सार और वर्त्तमान निवासियों की जनसंख्या को इंगित किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं से एकत्र किए गये आँकड़ो के आधार पर तथा प्रभावित समुदायों एवं प्रमुख जोखिम उठाने वालों से परामर्श कर एस.आई.ए. दल प्रपत्र III के अनुसार प्रस्तावित परियोजना तथा भूमि अर्जन से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की प्रकृति, विस्तार एवं तीव्रता को चिन्हित करेगा और उनका मूल्यांकन करेगा।

(7) (i) एस.आई.ए. प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना शामिल है जो मूल्यांकन के दौरान चिन्हित सामाजिक प्रभाव को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रस्तुत करेगी।

(ii) एस.आई.ए. दल द्वारा लागत समय सीमा और क्षमता के स्पष्ट उपदर्ष्य सहित शमन तथा प्रबंधन रणनीति की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iii) एस.आई.एम.पी. में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित होंगे कि-

(क) इस अधिनियम में यथाउपदर्शित प्रभावित परिवारों के सभी वर्गों के लिए प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के निबंधनों के अनुसार विनिर्दिष्ट किये गए हैं।

(ख) अधियाची निकाय ने कहा है कि परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का वह जिम्मा लेगी।

(ग) अधियाची निकाय द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उपाय जिसका जिम्मा एस.आई.ए. प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्ष के जबाव में उसके द्वारा लिया गया है।

(घ) एस.आई.ए. दल प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के विपरीत सामाजिक प्रभाव और सामाजिक लागत एवं लाभ के संतुलन और वितरण का स्पष्ट मूल्यांकन उपलब्ध करायेगा, जिसमें शमन उपाय

भी सम्मिलित हैं तथा यह भी मूल्यांकन उपलब्ध करायेगा कि क्या प्रस्तावित परियोजना से होनेवाले लाभ सामाजिक लागत और विपरीत सामाजिक प्रभाव जो प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है, से अधिक है अथवा प्रस्तावित न्यूनतम उपायों के पश्चात् भी उक्त भूमि अर्जन और पुनर्स्थापन के फलस्वरूप प्रभावित परिवार आर्थिक रूप से अथवा सामाजिक रूप् से बद्तर स्थिति का खतरा बना हुआ है।

11. लोक सुनवाई करने की प्रक्रिया।

(1) एस.आई.ए. के प्रमुख निष्कर्ष को बताने, निष्कर्षों पर मंतव्य मांगने तथा अंतिम दस्तावेज में इसे सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त सूचना और मंतव्य मांगने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई की जायेगी।

(2) लोक सुनवाई प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम सभाओं अथवा "शहरी वार्ड सभा में संचालित की जायेगी।

(3) लोक सुनवाई की तारीख और स्थान की घोषणा दो सप्ताह पहले जनसूचना के माध्यम से एवं प्रभावित क्षेत्रों में डुगडुगी बजाकर और समुचित सरकार के वेबसाइट पर सूचना डालकर की जायेगी।

(4) (i) एस.आई.ए. प्रतिवेदन प्रारूप और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना, लोक सुनवाई के दौर सप्ताह पूर्व हिन्दी भाषा में प्रकाशित कराये जायेंगे और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किये जायेंगे। प्रतिवेदन प्रारूप की एक प्रति उपायुक्त, अवर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, विषेश भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी और समुचित सरकार के वेबसाईट पर सूचना डालकर की जायेगी।

(ii) अधियाची निकाय को भी प्रतिवेदन प्रारूप की एक प्रति तामील कराई जायेगी। लोक सुनवाई के दिन प्रतिवेदन और सारांश की पर्याप्त प्रतियाँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

(5) एस.आई.ए. का कोई सदस्य लोक सुनवाई में सहयोग करेगा। संबंधित अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारी भी लोक सुनवाई के समय एस.आई.ए. दल की सहायता के लिए उपस्थित होंगे।

(6) सभी कार्यवाहियाँ हिन्दी भाषा में तथा जहाँ तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी एवं विश्वसनीय अनुवादकों के साथ होंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सहभागी समझ सकें और अपना दृष्टिकोण प्रकट कर सकें।

(7) अधियाची निकाय के प्रतिनिधिगण और जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी और प्रशासक भी लोक सुनवाई में भाग लेंगे तथा प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाये गये प्रश्नों एवं चिन्ताओं का निराकरण करेंगे।

(8) लोक सुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी और तदनुसार उसका नकल तैयार की जायेगी। अंतिम एस.आई.ए. प्रतिवेदन और एस.आई.एम.पी. के साथ इसकी रिकार्डिंग और नकल समाहर्ता को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(9) लोक सुनवाई की समाप्ति के पश्चात् एस.आई.ए. दल जनसभा में जुटाए गये सभी प्राप्त फीडबैक और सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार संशोधन एस.आई.ए. प्रतिवेदन में उस विश्लेषण को सम्मिलित करेगा।

(10) जन सभा में उठाई गयी हरेक आपत्ति को अभिलिखित किया जायेगा और एस.आई.ए. दल यह सुनिश्चित करेगा कि एस.आई.ए. प्रतिवेदन में हरेक आपत्ति पर विचार किया जायेगा।

12. एस.आई.ए. प्रतिवेदन और एस.आई.एम.पी. प्रस्तुत करना।

अंतिम एस.आई.ए. प्रतिवेदन और एस.आई.एम.पी. हिन्दी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद्, नगर पंचायत अथवा नगर निगम तथा उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी के कार्यालयों आदि में उपलब्ध कराए जाएगें तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर इसे डाला जायेगा।

13. विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का अंकन।

इस प्रयोजन हेतु उपायुक्त को समुचित सरकार समझा जाएगा तथा उपायुक्त द्वारा विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा।

(1) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह एस.आई.ए. प्रतिवेदन का मूल्यांकन करेगा और उस प्रभाव की अपनी अनुशंसा इसके गठन की तारीख से दो माह के भीतर देगा।

(2) विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएँ, प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर, संबंधित पंचायत, नगर परिषद्, नगर पंचायत अथवा नगर निकाय को हिन्दी भाषा में और जिला समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आदि

के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जायेगी तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा।

14. सामाजिक प्रभाव मृल्यांकन प्ररतिवेदन पद विचार, विषेशज्ञ समूह आदि की अनुशंसाएँ।

(1) समुचित सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, विषेशज्ञ समूह की अनुशंसाएँ, समाहर्त्ता का प्रतिवेदन, यदि कोई हो, की जाँच करेगी तथा अर्जन के लिए उस क्षेत्र को विनिश्चित करेगी जो कम से कम लोगों के विस्थापन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की न्यूनतम विचलन तथा प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम विपरीत प्रभाव को सुनिश्चित करेगी।

(2) उप-नियम(1) के अधीन समुचित सरकार का विनिश्चय प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम स्तर अथवा वार्ड स्तर पर सम्बद्ध पंचायत, नगर परिषद्, नगर पंचायत अथवा नगर निगम को हिन्दी भाषा में और उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू- अर्जन पदाधिकारी विषेश भू-अर्जन पदाधिकारी अज़ैर अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्धकारयी जायेगी तथा वसमंचित सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा।

15. भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए वेब-आधारित कार्यप्रवाह और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)।

राज्य सरकार समर्पित उपयोगकर्त्ता के अनुकूल वेबसाइट स्थापित कर सकेगी तथा जो एक लोक मंच रूप में सेवा प्रदान करेगा, जिसपर एस.आई.ए. की अधिसूचना से लेकर विनिश्चय, कार्यान्वयन और लेखा परीक्षा करने तक प्रत्येक कार्रवाई को रखते हुए प्रत्येक भूमि अर्जन मामले का पूरा कार्यप्रवाह रखा जाएगा।

16. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अतिरिक्त मानक।

समाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और सामाजिक मूल्यांकन प्रबंधन योजना के लिए पैरामीटर और विषय-सूची प्रपत्र - III एवं प्रपत्र - IV में दिए गए है, जिन्हें एस.आई.ए. दल को अपना प्रतिवेदन करते समय इस्तेमाल करना चाहिए।

17. परती, बंजर एवं अनुपयोजित भूमि की तालिका।

(i) न्यूनतम भू-भाग का अर्जन सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि की उपयोगिता को सुसाध्य बनाने के लिए, राज्य सरकार परती, बंजर और अनुपयोजित सरकारी भूमि और सरकारी भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि का जिला स्तरीय

तालिका प्रतिवेदन तैयार कर सकेगी और जिसे एस.आई.ए. दल एवं विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराया जा सकेगा। तालिका प्रतिवेदन को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

(ii) सिंचित बहुफसली भूमि का अर्जन प्रमाण्य अंतिम उपाय के रूप में किये जाने की स्थिति में राज्य के कुल बहुफसली सिंचित भूमि का दो प्रतिशत, एतद् निर्धारित सीमा में परिवर्तन की अवस्था में राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर अधिसूचना के अधीन, से अधिक बहुफसलीय सिंचित भूमि का अर्जन नहीं किया जायेगा। प्रतयेक जिला, जिले के भू-अर्जन मामलों में अपने जिलांतर्गत इस सीमा का पालन करेगा और यदि किसी जिला में सीमा से अधिक भूमि की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेकर ही भू-अर्जन प्रक्रिया को बढ़ायेंगे।

(iii) धारा -10(4) के अंतर्गत कृशि भूमि के अर्जन की अवस्था में राज्य के कुल शुद्ध बोया क्षेत्र का एक चौथाई क्षेत्र, एतद् निर्धारित सीमा में परिवर्तन की अवस्था में राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर अधिसूचना के अधीन, से अधिक भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जिला, जिले के भू-अर्जन मामलों में अपने जिलांतर्गत इस सीमा का पालन करेगा और यदि किसी जिला में सीमा से अधिक भूमि की आवश्यकता हो तो राज्य सरकारी की पूर्वानुमित लेकर ही भू-अर्जन प्रक्रिया को बढ़ायेंगे।

अध्याय - IV

<u>सहमति</u>

18. सहमति के लिए अपेक्षाएँ।

1) धारा 2 की उप-धारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि की स्थिति में, धारा 2 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति संबंधित समाहर्त्ता द्वारा, प्रपत्र V के भाग-क में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहित, प्राप्त की जाएगी।

2) संबंधित जिला समाहर्त्ता पूर्व सहमति प्राप्ति की प्रक्रिया में स्वयं को सहयोग करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारीयों का दल गठित कर सकेंगे।

3) समाहर्त्ता भू-अधिकार, भू-स्वत्व से संबंधित अभिलेख एवं प्रभावित क्षेत्रों के अन्य राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाएँगें, ताकि सहमति प्रक्रिया एवं भू-अर्जन की पहल करने के लिए भू-स्वामियों, भू-अधिवासियों एवं व्यक्तियों के नामों की पहचान की जा सके।

19. प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति।

(1) (i) सार्वजनिक, निजी भागीदारी परियोजनाओं एवं निजी कंपनियों की परियोजनाओं में सभी प्रभावित भू-स्वामियों की, जिनकी सहमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो, सूची जिला समाहर्ता द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ii) सहमति प्राप्त करने से कम-से-कम उस दिन पूर्व, प्रभावित क्षेत्रों से सहज दृश्य स्थानों पर सूची के संप्रदर्शन द्वारा, उक्त सूची प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्त्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जायेंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जायेगा।

(3) समाहर्त्ता, यथास्थिति, ग्राम पंचायतों, नगर परिषद्, नगर पंचायत या नगर निगमों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों की

बैठकें आहूत करने के लिए कम-से-कम दो सप्ताह पहले उसके संबंध में तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित करेंगे।

(4) अधियाची द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निबंधन एवं "शर्तें भी, प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को सम्मिलित कर, प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकें में कम-से-कम दो सप्ताह पहले से हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) (i) अधियाची निकाय या उनके ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकार के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम है, ऐसे सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(ii) अधियाची निकाय द्वारा प्रतिपादित किए गए निबंधन एवं "शर्तें, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर एवं अन्य उपाय सदस्यों को हिन्दी भाषा में और घनी आवादीवाले जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय भाषा में सविस्तार समझाया जाएगा तथा ऐसे निबंधन एवं "शर्तों पर सदस्यों एवं अधियाची निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएँगे।

(6) (i) अधिवेशन की समाप्ति पर प्रत्येक व्यक्तिगत भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या अंतर्वलित भूमि के अर्जन के लिए अपनी सहमति देता/देती हैं या रोकता है।

(ii) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और "शर्तों सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी। घोषणा की प्राप्ति पर जिला समाहर्त्ता या अपर समाहर्त्ता या अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे।

(7) (i) उन भू-स्वामियों को, जो अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामियों के अधिवेशन की तारीख से 15 दिन के भीतर समाहर्त्ता अथवा अंचल अधिकारी को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को जमा कर सकते हैं।

(ii) घोषणा प्रारूप प्राप्त होने पर, जिला समाहर्त्ता या अपर समाहर्त्ता या अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधन और "शर्तों सहित प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी। सहमति प्रक्रिया भू-स्वामियों के हस्ताक्षरित अथवा अंगूठें के निशान वाली, लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(8) भू-स्वामियों के अधिवेशन के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों का वीडियों रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों को लिखित दस्तावेज में होना चाहिए ।

(9) प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में सहयोग करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन उन के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

(10) कोई भी भूमि धारक अपनी सहमति उपर्युक्त रीति से एक बार दे देने के बाद उसे वापस नहीं ले सकेगा।

20. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति।

(1) भारत संविधान की पाँचवी अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन की स्थिति में ग्राम सभा की सहमति उपायुक्त द्वारा प्रपत्र-v के भाग 'ख' में प्राप्त की जाएगी। वे प्रभावित क्षेत्र में विषेश ग्रामसभा की बैठकें आहूत करने के लिए कम से कम दो सप्ताह पहले उसके संबंध में तिथि, समय अधिसूचित करेंगे। ग्राम सभाओं के सदस्यों को भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए लोक जागरूक अभियान भी चलाएँगे। भू-अर्जन के लिए 'यथास्थिति संबंधित ग्राम सभा या पंचायत की सहमति पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 की मार्गदर्शिका एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा-41 तहत् किया जाएगा।

रेखीय (Linear) परियोजना अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति हेतु जहां एक पंचायत का समावेश हो वैसे मामले में ग्राम पंचायत, एक से अधिक पंचायत का समावेश होने की स्थिति में पंचायत समिति, तथा एक से अधिक प्रखण्ड के समावेश होने की स्थिति में जिला परिषद् की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(2) ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्रात करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जा नियम 19 के अधीन विहित की गई हो।

(3) सहमति के वैध माने जाने के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम-से-कम एक तिहाई होगी।

परंतु ग्राम सभा के कुल महिला सदस्यों के एक तिहाई भी उस ग्राम सभा बैठक में उपस्थित रहेंगे।

यदि पहली ग्राम में कोरम पूरा नहीं होता है तो अगली ग्राम सभा में कोरम की बाध्यता नहीं होगी।

(4) कोई भी ग्राम सभा अपनी सहमति उपर्युक्त रीति से एक बार देने के बाद उसे वापस नहीं में सकेगी।

21. सहमति प्रक्रिया हेतु समुचित सरकार की भूमिका एवं उतरदायित्व।

(1) समाहर्ता, सहमति प्राप्त करने कि उद्देश्य से ग्राम सभाओं, पंचायतों एवं प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों के लिए तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित एवं प्रकाशित करेंगे और सहमति प्रक्रियाओं में प्रभावित भू-स्वामियों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए लोक जागरूकता अभियान का आयोजन करेंगे।

(2) समाहर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि निम्नलिखित को हिन्दी भाषा में प्रत्येक सदस्य को जिनकी सहमति प्राप्त की जानी है, कम-से-कम दो सप्ताह पहले उपलब्ध करा दिया जाए, यथा-

(क) हिन्दी भाषा में एस.आई.ए. प्रतिवेदन प्रारूप (यदि बना बनाया उपलब्ध हो) की प्रति;

(ख) प्रतिकर एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए दिए जाने वाले प्रारंभिक पैकेज;

(ग) उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित लिखित बयान, यह प्रमाणित करते हुए कि किसी परियोजना के लिए सहमति से इनकार किए जाने की स्थिति में कोई परिणाम नहीं भुगतान पड़ेगा और जिला समाहर्त्ता द्वारा यह भी अभिकथन जाएगा कि सहमति प्राप्त करने के लिए प्रपीड़न या डराने- धमकाने का कोई प्रयास अवैध होगा, और

(घ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के संबंध में प्रपीड़न के किसी प्रयास के मामले में संपर्क किए जाने वाले सरकारी दूरभाष संख्या सहित पदाधिकारी या प्राधिकार का संर्पक ब्यौरा।

(3) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा नियुक्त कोई भी पदाधिकारी ग्राम सभा और वार्ड सभा, भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे।

22. सहमति प्रक्रिया के लिए अधियाची निकाय की भूमिका एवं उत्तरदायित्व।

(1) अधियाची निकाय प्रतिकार एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के निबंधनों एवं शर्तों का बातचीत से तय करने के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम प्रतिनिधिगण नियुक्त करेंगे, जो प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे और भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(2) अधियाची निकाय सहमति प्राप्त करने के पूर्व परियोजना से संबंधित सभी जानकारी और कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएँगे।

अध्याय- V

<u>अधिसूचना एवं अर्जन</u>

23. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन।

(1) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष और यथास्थिति प्रभावित व्यक्ति या ग्राम सभा की सहमति के उपंरात जब समुचित सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र में कोई भूमि अपेक्षित है या अपेक्षा किए जाने जैसी है, तो प्रारंभिक अधिसूचना प्रपत्र VI में निर्गत किया जाएगा। धारा-40 के अंतर्गत अथवा एस.आई.ए. से मुक्त परियोजना हेतु भू-अर्जन मामले में प्रारंभिक अधिसूचना प्रपत्र VI A में निर्गत किया जायगा।

(2) प्रारंभिक अधिसूचना निम्नलिखित रीति से प्रकाशित की जाएगी।

(क) समुचित सरकार के राजपत्र में प्रकाशन कर की जायेगी।

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचालित दो दैनिक हिन्दी एवं अंग्रजी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(ग) ग्राम पंचायत, नगर परिशद, नगर पंचायत, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं छावनी क्षेत्र में, जो लागू हो तथा उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता अनुमंडल पदाधिकारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी बौर अंचलाधिकारी के कार्यालयों में हिन्दी भाषा में उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) समुचित सरकार की वेबसाईट पर सूचना डालकर।

(ड़) प्रभावित क्षेत्रों में डुगडुगी बजाकर और प्रभावित क्षेत्र के कुछ सहज दृश्य स्थलों पर हिन्दी भाषा में चिपकाई जायेगी।

(3) ऐसी प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि धारा-11 की उप-धारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि होगी।

(4) प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत, समाहर्त्ता दो माह की अवधि के भीतर यहाँ नीचे यथाविनिर्दिष्ट भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने का जिम्मा भी लेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे-

(क) मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों का विलोपन;

(ख) मृत व्यक्तियों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कराना;

(ग) भू-अधिकारों, यथा विक्रय, उपहार या बँटवारा, आदि के निबंधित अंतरणों को प्रभावी करना;

(ध) भू-अभिलेखों में बंधको की सभी प्रविष्टियाँ करना;

(ड़) लिए गए ऋणों के पूर्णरूपेण भुगतान किए जाने पर ऋण देने वाले अभिकरण द्वारा इसके संबंध में पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति में बंधक की प्रविष्टियों का विलोपन करना;

(च़) अनुसूचित जनताति और अन्य परांपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 अंतर्गत व्यक्तियों या समुदाय को प्राप्त अधिकार से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करना;

(छ़) सरकारी भूमि की स्थिति में, आवश्यक प्रविष्टि करना अगर राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार योग्य व्यक्तियों को बंदोबस्त किया गया है।

(ज) भूमि पर वृक्ष आदि आस्तियों से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करना;

(झ) काश्तकारी नियम के अनुसार भुगुत बंधक पर फसल पैदा करनेवालों के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि करना;

(ञ) उगाई हुई या बोई हुई फसलों एवं ऐसी फसलों के क्षेत्र के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि करना; और

(ट) भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में काई अन्य प्रविष्टि या अद्यतन करना।

24. अर्जन हेतु घोषणा का प्रकाशन।

(1) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबंधित समाहर्त्ता के प्रतिवेदन की पावती पर, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि अर्जन की घोषणा पुनर्वासन एवं पुनव्यवस्थापन स्कीम की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ समुचित सरकार द्वारा प्रपत्र VII में की जायेगी। फिर भी कोई भी ऐसी घोषणा उस समय तक नहीं की जाएगी, जब तक कि अधियाची निकाय द्वारा भूमि अर्जन की लागत के संबंध में पूरी रकम जमा न कर दी हो।

(2) ऐसी घोषणा निम्नलिखित रीति से प्रकाशित की जाएगी।

(क) समुचित सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचालित दो दैनिक हिन्दी एवं अंग्रजी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाऐगी।

(ग) ग्राम पंचायत, नगर परिषद्, नगर प्रचायत, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं छावनी क्षेत्र में, जो लागू हो तथा उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के कार्यालयों में हिन्दी भाषा में उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) समुचित सरकार की वेबसाईट पर सूचना डालकर।

(ड) प्रभावित क्षेत्रों में डुगडुगी बजाकर और प्रभावित क्षेत्र के कुछ सहज दृश्य स्थलों पर हिन्दी भाषा में चिपकाई जायेगी।

(3) ऐसी अंतिम घोषणा की तिथि धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि होगी।

अध्याय- VI

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

25 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की तैयारी एवं लोक सुनवार्ड।

(1) समाहर्त्ता द्वारा धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक स्वयं या अपर समाहर्त्ता या जिला भू-अर्जन पदाधिकारी या भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, या अंचल अधिकारी के माध्यम से या किसी अभिकरण/अभिकरणों को इस कार्य के संबंध में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऐसी प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, एक सर्वेक्षण करावाएँगे और प्रभावित परिवारों की जनगणना का दायित्व लेंगे।

(2) प्रशासक द्वारा इस प्रकार करवाए गए सर्वेक्षण और प्रभावित परिवारों की जनगणना में, वह एस.आई.ए. प्रतिवेदन पर आधारित आँकड़ों एवं द्वितीयक स्त्रोतों यथा पंचायत और सरकारी अभिलेखों से आँकड़ों का संग्रहण करेगा और इन आँकड़ों का सत्यापन प्रभावित परिवारों के दरवाजे-दरवाजे जाकर और प्रभावित क्षेत्र की आधारभूत संरचना की स्थिति में उन स्थलों का दौरा करके किया जाएगा।

(3) प्रशासक द्वारा तैयार किए गए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रारूप में धारा 16 की उप-धारा(2) में उल्लिखित विशिष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :-

(क) विस्थापित होने की संभावन वाले परिवारों की सूची,

(ख) प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की सूची,

(ग) प्रभावित क्षेत्र में भू-धृतियों की सूची,

(घ) प्रभावित क्षेत्र में व्यवसासियों की सूची,

(ड.) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची,

(च) प्रभावित क्षेत्र में अलाभप्रद समूहों यथा-अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विकलांग व्यक्तियों एवं महिलाओं की सूची,

(छ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन कृषक मजदूरों की सूची और

(ज) प्रभावित क्षेत्र में बेराजगार युवकों की सूची।

4) प्रशासक व्यापक एवं विस्तृत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रारूप् यथासंभव तैयार करेंगे।

5) प्रशासक प्रभावित क्षेत्र के दो स्थानी दैनिक ससमाचार पत्रों में स्कीम प्रारूप सर्वसाधारण-सूचना के तरीके से प्रकाशित करेंगे, तथा प्रभावित क्षेत्रों में वितरित करेंगे ताकि लोगों को प्रारूप स्कीम के बारे में जानकारी मिले।

6) प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में लोक-सुनवार्ड ऐसी तिथि, समय और स्थान पर करेंगे, जैसा कि वे उपयुक्त समझें, परंतु यह समय स्कीम प्रारूप के प्रकाशन के पंद्रह दिनों से पूर्व नहीं हो। लोक-सुनवार्ड से संबंधित नियम 11 के वर्णित उपबंध इस मामले में भी लागू होंगे।

26 प्रशासक की शक्ति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व।

संबंधित जिलों के अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(ख) के अंतर्गत नियुक्त पदाधिकारी पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक होंगे।

(क) नियम 25 में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय में सर्वेक्षण कराना तथा प्रभावित परिवारों की जनगणना कराना,

(ख) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रारूप तैयार करना,

(ग) नियम 25 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्कीम प्रारूप प्रकाशित करना,

(घ) संबंधित व्यक्तियों एवं प्राधिकरों को स्कीम प्रारूप उपलब्ध कराना,

(ड.) स्कीम प्रारूप पर लोक-सुनवार्ड का आयोजन एवं संचालन करना

(च) स्कीम प्रारूप पर सुझावों एवं टिप्पणियों के संबंध में अधियाची निकाय को अवसर उपलब्ध कराना

(छ) समाहर्त्ता को स्कीम प्रारूप सौंपना

(ज) प्रभावित क्षेत्र में अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रकाशित करना

(झ) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय (अवार्ड) तैयार करने में समाहर्त्ता को सहायता एवं सहयोग करना

(ञ) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय (अवार्ड) के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना

(ट) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन के पश्चात् ऑडिट में सहयोग करना और

(ठ) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित कोई अन्य कार्य।

27. अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन।

1) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त, सार्वजनिक सूचना द्वारा धारा 18 के अधीन अपने द्वारा अंतिम रूप से तैयार किया गया अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सारांश प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेंगे एवं समुचित सरकार के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

2) अनुमोदित स्कीम के प्रतियाँ संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं संबंधित क्षेत्र के प्रशासक के कार्यालयों में हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी।

28. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की मूल-वस्तु।

1) ऐसी जहाँ प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत कर दी गई है, वहाँ परियोजनाओं के प्रभावित परिवार ही अधिनियम के द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के अनुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की मूल वस्तुएँ प्राप्त करने के हकदार हैं।

2) विकसित भूमि का 20% प्रदान करते समय, जब भूमि का अर्जन शहरीकरण के प्रयोजनार्थ है, तब उस स्थिति में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सूक्ष्म विधाओं के घटकों के लिए प्रयुक्त भूमि को विकसित भूमि के 20% की परिगणना में नहीं लिया जाएगा।

3) जहाँ नौकरियाँ परियोजना के माध्यम से सृजित की गयी हो, तथा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन रोजगार की पसंद दी गयी हो और परियोजना प्रभावित परिवार द्वारा स्वीकार की गयी हो, वहाँ अधियाची निकाय अपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए व्यवस्था करेगा।

4) अधियाची निकाय उद्यमिता के विकास, स्वरोजगार के लिए तकनीकी एवं पेशेवर कौशल के विकास के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

5) अधियाची निकाय की ओर से भूमि अर्जन अंतर्ग्रस्त परियोजना, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, की स्थिति में प्रपत्र VIII में विकास योजना, समाहर्त्ता द्वारा प्रभावित परिवार के परामर्श से तैयार की जाएगी। उक्त योजना पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की लोक सुनवाई एवं इसको अंतिम रूप दिए जाने के दौरान जोर से पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

6) ऐसे पुनर्स्थापन क्षेत्रों में जिनमें मुख्यतया अनुसूचित जनजातीय लोगों को बसाया जाएगा, वहाँ पर सामुदायिक/धार्मिक सभाओं के लिए भूमि बिना लागत के मुहैया करायी जाएगी। प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन वासस्थल में पुनर्स्थापित करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आवंटित भूमि एवं आवास के स्वामित्व अधिकार संबंधी कागजात हस्तगत करा दिये जाएँगे। जिला प्रशासन के द्वारा नए पुनर्स्थापन वास स्थल को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित करने हेतु अविलंब कदम उठाए जाएँगे, यदि वह पूर्व में अवस्थित राजस्व ग्राम का हिस्सा नहीं हो। विस्थापित परिवार की सुविधा हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रमाण पत्र प्रपत्र XII में परियोजना प्रमुख एवं संबंधित उपायुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। भविष्य में उक्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के निमित्त उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति संबंधित जिला के अभिलेखागार में रखी जाएगी।

अध्याय VII
अधिनिर्णय एवं प्रतिकर

29. भूमि अर्जन अधिनिर्णय।

1) समाहर्ता, धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित एवं प्रदत्त सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई किसी प्रकार की आपत्तियों की जाँच-पड़ताल एवं निपटान के उपरांत इस नियमावली के नियम 30 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 23 और धारा 30 के अधीन प्रपत्र IX में भूमि अर्जन अधिनिर्णय करेंगे।

2) धारा 21 के अनुसार अर्जन की जानेवाली भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों के दावों की मांग करते समय, समाहर्ता अधियाची निकाय को नोटिस देंगे। अधियाची निकाय अर्जन की जानेवाली भूमि के बाजार मूल्य सहित प्रतिकर की रकम के संबंध में समाहर्ता के साथ अपनी राय अभिव्यक्त कर सकेगा।

3) यह सुनिश्ति करना समाहर्ता का कर्तव्य होगा कि अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 25 के अधीन विहित अवधि के भीतर किया जाय।

4) धारा-21(2) एवं धारा 21(4) के अनुसार अर्जन की जानेवाली भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों से सूचना की मांग प्रपत्र XIII में की जाएगी।

5) धारा-22 (1) के अनुसार अर्जन की जानेवाली भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों से सूचना की मांग प्रपत्र XIV में की जाएगी।

30. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

1) समाहर्ता अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार प्रभावित परिवारों के लिए या जहाँ सहमति प्राप्त की जानी हो, वहां बातचीत से तय हुए अनुबंध के अनुरूप

प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापन अधिनिर्णय भी करेंगे और प्रपत्र X में प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवारवार अधिनिर्णय सौंपेगे।

2) समाहर्ता प्रत्येक पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के लिए उपबंधित किये जाने वाले अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपबंध के लिए प्रपत्र XI में आदेश भी निर्गत करेंगे।

3) आयुक्त (पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन का गहन अनुश्रवण करेंगे।

31. प्रतिकर

1) धारा 26 से धारा 30 सहपठित अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर की परिगणना की जायेगी और उन सभी पक्षकारों को इसका भुगतान किया जायेगा जिनकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया हो।

2) अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कृषक मजदूरों, भुगुतबंधक, छोटे व्यापारियों और शिल्पकारों को निम्नलिखित दरों से प्रतिकर दिया जायेगा :-

   (क) कृषक मजदूर की स्थिति में, दो सौ दिनों की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य एक मुश्त रकम का भुगतान किया जायेगा।

   (ख) भुगुतबंधक को पचीस हजार रूपये प्रति एकड़, उस भूमि के लिए जिसपर वे भुगुतबंधक में फसल पैदा करने वाले खेती करते हैं, का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा।

   (ग) उन शिल्पकारों या छोट व्यापारियों की स्थिति में जो भूमि अर्जन के पूर्व प्रभावित क्षेत्र में तीन वर्षों तक कार्य करते रहे हों, उन्हें दो सौ दिनों की वर्तमान न्यूनतम मजूदरी के समतुल्य एक मुश्त रकम का भुगतान किया जायेगा।

3) प्रतिकर का भुगतान, संवितरण शिविरों का आयोजन करके और पानेवालों के खातों में देय चेक के माध्यम से, पन्द्रह दिनों के भीतर कर दिया जायेगा।

4) बाजार मूल्य के अवधारण की तिथि होगी जिस दिन प्रारम्भिक अधिसूचना, धारा 11 के अधीन निर्गत की गयी थी।

5) जहां "नजदीक समीपस्थ क्षेत्र" शब्दों का उपयोग धारा 26 की व्याख्या 1 में किया गया हों, वहां उससे अभिप्रेत है उस भूमि के ठीक समीप्य जिसका अर्जन किया जा रहा है।

6) चरणबद्व रूप में होनेवाली अर्जन प्रक्रिया के लिए और जहां भूमि का अर्जन क्रमवार हो रहा है, वहां धारा 26 के अधीन यथापरिगणित आधारमूल्य, उक्त अर्जन के लिए अर्जित किये जाने वाले समूचे क्षेत्र के लिए, प्रतिकर दिये जाने हेतु, सभी प्रभावित परिवारों के लिए प्रभावी मूल्य के रूप में लिया जायेगा।

7) भूमि मुआवजा का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा वित्त् विभाग की सहमति से समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

8) जहां धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिनिर्णय में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप् किसी व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया रकम अधिक साबित हो जाए और वह व्यक्ति भुगतान किया गया उक्त अधिक रकम वापस करने से इन्कार कर दे, वहां शेष ऐसी रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

32. निजी वार्ता के माध्यम से भूमि-खरीद की दशा में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध- इस नियमावली के अधीन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति से इतर कोई अन्य व्यक्ति भू-स्वामियों के साथ निजी वार्ता के माध्यम से 2000 (दो हजार) हेक्टेयर से अधिक भूमि का क्रय करता हो।

अध्याय- VIII

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति एवं राज्य अनुश्रवण समिति

33. परियोजना स्तर पर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन

(1) राज्य सरकार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की प्रगति एवं कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन करने के लिए और यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद्, नगर पंचायत या नगर निगम के परामर्श से कार्यान्वयन पश्चात् सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन हेतु, परियोजना स्तर पर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करेगी।

(2) समिति अपनी पहली बैठक उस समय आहूत करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप पूनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर लिया गया हो। समिति स्कीम पर विचार विमर्श करेगी और सुझाव देगी एवं अनुशंषा करेगी। तत्पश्चात पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया समाप्त होने तक, समिति महीने में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी और उसमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति का पुनर्विलोकन एवं अनुश्रवण करेगी।

(3) कार्यान्वन के पश्चात् सामाजिक अंकेक्षणों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ समिति, तीन महीना में, कम-से-कम एक बार बैठक करेगी।

(4) समिति की यदि इच्छा हो तो, प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित परिवारों से विचार विमर्श कर सकेगी और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र का भी दौरा कर सकेगी।

(5) समिति के सदस्यों को राज्य सरकार के वर्ग 1 के पदाधिकारियों को अनुमान्य दर से यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त होंगे। राशि का भुगतान परियोजा ऑथोरिटी द्वारा इस निमित उपलब्ध कराये गए राशि से उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।

34. राज्य अनुश्रवण समिति का गठन

(1) राज्य सरकार अधिनियम के अधीन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन के लिए राज्य अनुश्रवण समिति का गठन करेगी।

(2) राज्य अनुश्रवण समिति की पहली बैठक नियमावली प्रकाशन के एक माह के भीतर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए होगी। तत्पश्चात् समिति की बैठक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के समीक्षा एवं अनुश्रवण करने के लिए छः महीने में कम-से-कम एक बार आहूत की जायेगी।

(3) राज्य अनुश्रवण समिति के सदस्यों को राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारियों को अनुमान्य दर से यात्रा एवं दैनिक भत्ता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट से देय होगा।

अध्याय-IX

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार

35. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रमंडल के मुख्यालयों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए करेगी।

परंतु जबतक ऐसे प्राधिकार की स्थापना न हो, राज्य सरकार, झारखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से जिला न्यायालयों के न्यायालयों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के रूप में कार्य करने के लिए घोषित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता वही होगी जो प्राधिकार की स्थापना करने वाली अधिसूचना में वर्णित की जाय।

(3) ऐसे प्राधिकारों के पीठासीन पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना निर्गत कर के झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किये जाएगे।

(4) प्राधिकार के निबंधक उवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा-शर्त्ते वही होगी जो राज्य सरकार में कार्यरत सदृश्य ग्रेड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी।

(5) प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते वहीं होंगे जो राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे।

परंतु यह कि पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत जिला न्यायाधीश की दशा में, वे अपनी सेवा निवृति के समय अपने द्वारा अंतिम आहरित वेतन, घटाव पेंशन के समतुल्य वेतन के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोदभुत अन्य लाभ आहरित करेंगे।

(6) पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शर्त्ते वहीं होगी जो झारखण्ड राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे।

36. प्राधिकार की शक्ति और झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली।

(1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार को झूठे दावों या छलपूर्ण साधनों के माध्यम से लिये गये किसी पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली के मामलों में व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ होगी।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिये गये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभ के किसी मामले की जानकारी होती है तो समाहर्त्ता प्राधिकार को निर्देश करेंगे जो उस विषय को न्याय निर्णित करेगा। प्राधिकार द्वारा न्याय निर्णयन किये जाने के पश्चात् इस प्रकार लिये गये लाभ, यदि उक्त लाभ धन के रूप में प्राप्त कर लिया गया हों, जो भू-राजस्व के रूप में और यदि उक्त लाभ भूमि और घर के रूप में प्राप्त कर लिए गये हो तो गलत करने वालें को भूमि और घरों से बेदखल करके समाहर्त्ता द्वारा वसूल किये जाने हेतु बाध्य होगा।

(3) इस प्रकार खाली की गयी भूमि और घर, यथास्थिति उस परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए या सामुदायिक उद्देयश् के लिए उपयोग में लाये जायेंगे।

अध्याय-X

<u>अन्यान्य</u>

37. भूमि की वापसी।

(1) जहाँ अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा तक अनुपयोजित रह जाती है वहाँ अधियाची निकाय को जिसके लिए भूमि अधिगृहित की गयी थी, नोटिस निर्गत करके और सुनवाई का अवसर प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके उस भूमि को राज्य सरकार के भूमि बैंक को वापस कर दी जाऐगी।

(2) राज्य सरकार यथा उपार्युक्त लिखित आदेश पारित करने के पश्चात् उस भूमि को राज्य सरकार के भूमि बैंक को वापस करने के प्रयोजन से अर्जित भूमि का कब्जा लेने हेतु समाहर्त्ता को निदेश दे सकेगी।

(3) यदि अधियाची निकाय समाहर्त्ता को उक्त भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है, तो समाहर्त्ता अधियाचित निकाय को पूर्व सूचना देकर कब्जा लेने के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी और पुलिस बल की सहायता लेने हेतु सक्षम होगा।

38. अर्जन की वापसी - समुचित सरकार अधिनियम की धारा 39(1) के तहत् प्रपत्र XVII में भू-अर्जन की वापसी के मामलों में अधिसूचना जारी करेगी।

39. फार्म आदि - इस नियमावली में उल्लिखित प्रपत्रों एवं प्राकक्लनों की परिगणना के लिए टेम्पलेट इस नियमावली में संलग्न अनुसूची में दिये गये हैं।

40. कठिनाईयों को दूर किया जाना।

इस नियम के किसी उपबंध के व्याख्या में अथवा ऐसे उपबंध के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ निदेश देने की शक्तियाँ होगी। इस प्रकर निर्गत निदेश सभी सम्बद्ध पर बाध्यकारी होंगे। अधिनियम के किसी धारा और नियमावली के किसी नियम के व्याख्या में विरोधाभास होने की स्थिति में अधिनियम के धारा की व्याख्या मान्य होगी।

41. अनुसूची में संशोधन।

जब और जहाँ आवश्यक हो, राज्य सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अनुसूची/प्रपत्र का संशोधन अथवा सुधार के लिए सक्षम होगा।

प्रपत्र - V

भाग-क

पूर्व लिखित सहमति अथवा घोषणा प्रपत्र

(नियम 18 का उप-नियम (1) देखें)

क्र. सं.	संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा
1	व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम जिसके नाम से भूमि रजिस्ट्रीकृत है
2	पति/पत्नी का नाम
3	पिता/माता का नाम
4	पता
5	ग्राम/वार्ड
6	ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर क्षेत्र
7	अंचल/अनुमंडल
8	जिला
9	परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और उम्र (बच्चों और व्यस्क आश्रित सहित)
10	स्वामित्व वाली भूमि का विस्तार
11	विवादित भूमि, यदि कोई हो
12	पर्चा/पट्टा/अनुदान, यदि कोई हो
13	अभिधृति सहित कोई अन्य अधिकार यदि कोई हो
14	सरकार द्वारा मेरी भूमि का अर्जन किए जाने के संबंध में मैं निम्नलिखित कहना चाहता हूँ (कृपया नीचे किसी एक को घेर दें)
	मैंने इस सहमति प्रपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया तथा मुझे ..... भाषा में इसे समझा दिया गया है और **मैं इस अर्जन से सहमत हूँ/मैं इस अर्जन से सहमत नहीं हूँ।** **प्रभावित परिवार (परिवारों) का** **हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एवं तिथि :**
	ध्यातव्य 1 : अपनी भूमि के बदले में भूस्वामी को दी जाने वाली चीज एवं उनके पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में सभी सूचनाएं इस प्रपत्र पर उनका हस्ताक्षर किए जाने के पूर्व उपलब्ध करानी होगी। इस प्रपत्र के साथ ये निबंधन एवं शर्तें संलग्न रहेंगी। **हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त करने वाले अभिहित** **जिला के पदाधिकारी को हस्ताक्षर एवं तिथि** ध्यातव्य 2 : किसी भूस्वामी द्वारा सहमति देने से इंकार करने की स्थिति में या इस प्रपत्र पर अपनी सहमति न देने की बात करने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को धमकी देना या किसी प्रकार की हानि करवाना कानूनन अपराध है। ऐसी धमकी या कृत्य धन-हानि, शरीरिक क्षति या परिणामस्वरूप उनकी पारिवारिक कोई क्षति सम्मिलित हैं। ऐसी किसी भी धमकी की स्थिति में यह प्रपत्र अकृत एवं शून्य माना जायेगा।

भाग-ख

ग्राम सभा संकल्प हेतु फार्मेट

नियम 20 का उप-नियम (1) देखें

हमलोग, अधोहस्ताक्षरी सदस्य ग्राम सभा..... पंचायत..... अंचल..... जिला..... कहना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणन प्रशासन एवं पदधारियों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। इस आधार पर यह ग्राम सभा एतद् द्वारा यह प्रमाणित करती है कि यह प्रस्तावित परियोजना.....जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगें, को सहमति देती है या सहमति देने से इंकार करती है-

- ..... एकड़ निजी भूमि का अर्जन
- ..... एकड़ सरकारी जमीन परियोजना को अंतरण
- ..... एकड़ वन भूमि परियोजना को अंतरण

अधियाची निकाय (नाम-.....) द्वारा स्वीकृत प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों के निबंधन एवं शर्तो तथा सामाजिक प्रभाव प्रशमन उपाय संल्ग्न हैं।

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगुठे की निशान एवं तिथि :

संकल्प की पावती पर अभिहित जिला

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

3. एस आई ए एजेंसी की टीम विवरणी, दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली

3.1. टीम के सदस्यों की विवरणी

इस परियोजना की एस आई ए एजेंसी के लिए नाबार्ड कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है । परियोजना प्रभावित संभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा 24.09.2021 से 18.01.2022 तक आयोजित सर्वेक्षण जनित आंकड़ो के आधार पर तैयार किया गया है । सर्वेक्षण एसआईए के लिए नियुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा आयोजित की गई जिसमे प्रणय कुमार, सचिदानंद परुस्ती, प्रेम प्रकाश सिंह, रौशन कुमार, नवीन कुमार मेहता, सुबोध कुमार यादव, कामेश्वर गोप, संजय यादव, सूर्य कुमार, दीपक कुमार, मनोज कुमार एवं श्रवण कुमार आदि शामिल थे।

सामाजिक प्रभाव आंकलन की आवश्यकता

विकास संबंधी उपायो की शुरुआत करने और लागू करने से होनेवाले निजी संपत्ति के नुकसान, आय के नुकसान और विस्थापन के कारण परियोजना के डिज़ाइन में सामाजिक आंकलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभावित लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से संबन्धित मुद्दों की समझ एक उपयुक्त पुनर्वास योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक विकास की चिंताओं को परियोजना के डिज़ाइन में उत्तरदायी बनाने के लिए एक विस्तृत सामाजिक प्रभाव आंकलन किया गया। सामाजिक प्रभाव आंकलन ने गरीब और कमजोर लोंगों की चिंताओं, जोखिम और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा परियोजना के लाभ को बढ़ाने में मदद की। इस तरह के निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अन्य सामाजिक मुद्दों पर ज़ोर देना जैसे निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में श्रमिकों का आना आदि,एक व्यवस्थित मूल्यांकन सामाजिक प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना के पुनर्वास योजना को लागू करने के दौरान प्रभावित लोंगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और प्रभावित लोगों को परियोजना निर्माण के बाद बदतर स्थिति में न छोड़ दिया जाय। परियोजना निर्माण और परियोजना क्रियान्वयन के दौरान प्रभावित लोगों को परियोजना का लाभ मिल सके।

3.2. सामाजिक प्रभाव आंकलन की विधि एवं कार्यप्रणाली

सर्वेक्षण: अध्ययन दो चरणों मे किया गया है।

प्रथम चरण:पूर्व सर्वेक्षण क्रियाएँ:

- **परियोजना साहित्य का संग्रह और समीक्षा :** इस चरण के लिए संबन्धित साहित्य और पहलुओ की पहचान एकत्र करने के लिए संबन्धित और महत्वपूर्ण हितधारको के साथ परिचित होना है। इसमे दो आयामी दृष्टिकोण शामिल है । एक परियोजना कार्यान्वयन करने वाले अधिकारिओ और अन्य संबन्धित मामलो के साथ चर्चा एवं दूसरा उपलब्ध प्रासंगिक परियोजना साहित्य का संग्रह । भूमि के स्वामित्व की स्थापना के लिए संबन्धित राजस्व अधिकारियों के साथ परामर्श आयोजित किया गया । साहित्यिक समीक्षा और परामर्शों ने प्रमुख हितधारको की पहचान के लिए आधार बनाया ।

- **क्षेत्रीय गतिविधियो से परिचित होने के लिए तेज़ प्रारम्भिक सर्वेक्षण:** समीक्षा एवं परामर्श के बाद जमीनी परिस्थिती से अवगत होने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया । इसने फील्ड अनुसंधान की तैयारी के लिए आधार प्रदान किया और प्रश्नावली एवं चेकलिस्ट का परीक्षण करने मे मदद की।

- **स्कोपिंग और अन्य पूर्व सर्वेक्षण गतिविधियाँ:** दोनों समीक्षा एवं प्रारम्भिक सर्वेक्षण ने अध्ययन और कार्ययोजना के विवरण के अध्ययन उपकरणो और स्थापना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने मे मदद की।

द्वितीय चरण:- सर्वेक्षण गतिविधियाँ:

- **प्रभावित व्यक्तियों की गणना एवं सामाजिक - आर्थिक घरेलू सर्वेक्षण :** दूसरे चरण मे उपलब्ध सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के जनगणना सर्वेक्षण किया गया। सर्वे मे परियोजना के कारण उसके प्रभाव, सामाजिक - आर्थिक स्थितियो और प्रभावित लोंगों के जीवन स्तर के प्रभाव का आंकलन किया गया। सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की गई :

  - प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति
  - पारिवारिक संरचना और परिवार के सदस्यों की संख्या
  - साक्षरता के स्तर
  - व्यवसाय प्रकार और आय के स्तर
  - घरेलू संपत्ति की सूची
  - परियोजना के कारण अचल संपत्ति की हानि और उसके प्रकार
  - सामुदायिक संसाधनों की पहुँच
  - पुनर्वास और पुनर्वास के उपाय पर धारणा
  - कथित आय बहाली के उपाय
  - प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों और इसके निवारण
  - परियोजना में भाग लेने की इच्छा

- **गुणात्मक सर्वेक्षण:** प्रभावित आबादी और कार्यान्वयन क्षमता दोनों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक सर्वेक्षण किया गया। गुणात्मक सर्वेक्षण मे महिला समूह,ज्ञानवान व्यक्तियों और सामुदायिक नेताओं जैसे लोंगों के विभिन्न वर्गों के साथ गहराई से साक्षात्कार में उनके अपेक्षाओं और सुझावों को हासिल करने के लिए चर्चा की गयी। और मात्रात्मक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान की गई।

- **आजीविका के नुकसान का आंकलन :** अध्ययन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका को खोने वाले लोगों की पहचान करने का प्रयास किया। इसके अलावा आय के निर्माण और अन्य उपचारात्मक और बहाली के उपायों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं के माध्यम से उन नुकसान के पुनर्वासरण नीतियो के परामर्श के माध्यम से पहचान की गई। इसके लिए लोगों से संपत्तियों /संसाधनों को खोने इत्यादि संबंधों पर समुदाय के नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया।

- **कानूनी नीति प्रावधानों और कार्यान्वयन क्षमता की समीक्षा :** प्रासंगिक राष्ट्रीय और राज्य के कानूनों और विनियमों की समीक्षा की गई । इन व्यवस्थाओं के सेवाओं के सत्यापन के लिए कार्यान्वयन की व्यवस्था और इसकी क्षमता का अध्ययन करने और अधिकारियों के साथ गहन साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

- **अनुसंधान टूल्स एवं उपकरण :** विभिन्न सामाजिक अनुसंधान उपकरणो को यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है कि अध्ययन से संबन्धित सभी मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित जाए ताकि प्रदेय का एक सार्थक पैकेज विकसित हो सके। पूरे अभ्यास को सूचना के समीक्षा, संबन्धित सरकारी विभागों और परियोजना प्राधिकरणों के माध्यम से डेस्क अनुसंधान सहित सामाजिक शोध तकनीकों के उचित मिश्रण के माध्यम से किया गया। संरचित और अर्ध-संरचित साक्षात्कार, प्रभावित लोंगों और संबन्धित सरकारी एजेंसियो और समुदाय के साथ समूह चर्चा शुरू की गई। इस अध्ययन में परियोजना में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न मापकयंत्र का इस्तेमाल किया गया।

- **लोकपरामर्श:**

परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य और परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए प्रभावित व्यक्तियों एवं ग्राम के अन्य वर्गों के साथ परामर्श आवश्यक है। उनमें जागरूकता बढ़ाने से संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस कारण ग्रामीणो के साथ कई बैठकें की गई। इस विमर्श के मुख्य उद्देश्य थे :

- परियोजना के प्रभावों और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के प्रावधानों के बारे में व्यक्तिओ को जागरूक करना ।
- प्रभावित व्यक्तियों के बीच जागरूकता का निर्माण और परियोजना के उद्देश्य के बारे मे उन्हे सूचित करना ।

3.3. सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति

सभी प्रभावित परिवारों से संपर्क किया गया किन्तु 518 परिवारों ने सर्वेक्षण में भाग लिया।

3.4. उपयोग किए गए सूचना/ डेटा स्रोतों का अवलोकन

परिशिष्ट - 1, सेन्सस 1991,201,2011, अंचल अधिकारी का रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण को आधार बनाया गया।

3.5. प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श की अनुसूची और आयोजित जन सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

सामाजिक प्रभाव आंकलन सर्वे के दौरान जो बातें सामने आई वो निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	तिथि	मौज़ा	प्रश्न एवं सुझाव
1	12.11.2021	गाली, बलोदर, गोंदलपुरा	लोगों का मानना था कि सरकार मुआवजा बहुत कम देगी और मुआवजा देने में कठिनाई करेगी।
2	18.11.2021	गोंदलपुरा	• एस आई ए का विरोध • उच्च आधिकारिओ को ग्राम में आने की मांग • मुआवजा का दर क्या होगा
3	10.12. 2021	गोंदलपुरा	• जीविका संबंधी क्या योजना है • जॉब का क्या नियम होगा
4	28.12,2021	बलोदर	• सरकार जमीन लेने के पहले जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे • क्या जीविकोपार्जन व्यवस्था की गई है तभी भूअर्जन किया जाए

ग्राम सभा के पश्चात इस उद्धरण को पूर्ण किया जाएगा।

4. भूमि मूल्यांकन

4.1. भूमि सूची और प्राथमिक स्रोत से प्राप्त जानकारी

प्रभावित परिवारों को भूमि की हानि पर 2022 के सर्किल रेट के अनुसार उससे चौगुना राशि दी जाएगी। गोंदलपुरा, गाली, एवं बलोदर ग्रामीण कृषि क्षेत्र में आता है किन्तु ग्रामीणों से विचार विमर्श के दौरान लोगों का कहना था कि यह दर कम है और कोयला उत्खनन इन्डस्ट्रीअल कार्य है अतः दर उसी तरह से निर्धारित किया जाए। तालिका 16 में सर्कल रेट दर्ज है। भूअर्जन कानूनों की धारा 26 में दर निर्धारण की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है अतः उसे ध्यान में रखते हुए दर का निर्धारण किया जाएगा। तीनों गाँव एक दूसरे से सटे हुए हैं अतः दर निर्धारण में इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा ।

तालिका: 16 - सर्कल दर		
	गोंदलपुरा	**दर**
1	ग्रामीण कृषि	3,77,000
	ग्रामीण आवासीय	7,54,000
	ग्रामीण व्यावसायिक	11,31,000
	ग्रामीण इन्डस्ट्रीअल	5,66,000
2	**गाली**	
	ग्रामीण कृषि	2,88,000
	ग्रामीण औद्योगिक	4,32,000
	ग्रामीण आवासीय	5,76,000
	ग्रामीण व्यावसायिक	8,64,000
3	**बलोदर**	
	ग्रामीण कृषि	2,44,000
	ग्रामीण औद्योगिक	3,66,000
	ग्रामीण आवासीय	4,88,000
	ग्रामीण व्यावसायिक	7,32,000

संरचना की हानि होने पर भी पीडबल्यूडी द्वारा तय दर से दुगुनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

वृक्ष की हानि पर प्रचलित बाज़ार मूल्य पर क्षतिपूर्ति राशि।

4.2. परियोजना के प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र

इस खंड में परियोजना के बाह्य प्रभाव क्षेत्र एवं परियोजना प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। सामाजिक-आर्थिक मानदंड अर्थात जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य, कार्य भागीदारी दर व्यावसायिक संरचना, साक्षरता आदि, अध्ययन क्षेत्र की मानव आबादी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित गतिविधि के प्रभाव को निर्धारित करने में मत्वपूर्ण भूमिका निभातें हैं । ये प्रभाव लाभकारी या हानिकारक हो सकते हैं। इस अध्याय में उपलब्ध कराए गए आंकड़े वास्तविक सर्वेक्षण और भारत की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं।

बड़कागाँव हजारीबाग जिले का अंचल है, जिसमे कुल 82 गाँव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले के बड़कागांव ब्लॉक की कुल जनसंख्या 136,839 है। इनमें से 70,358 पुरुष हैं जबकि 66,481 महिलाएं हैं। 2011 में बड़कागांव प्रखंड में कुल 25,760 परिवार रहते थे। बड़कागांव प्रखंड का औसत लिंगानुपात 945 है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से 3.6% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जबकि 96.4% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 78.7% है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 64.9% है। साथ ही बड़कागांव ब्लॉक में शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात 874 है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात 948 है।

हजारीबाग जिले बड़कागाँव अंचल के पांच गांवों - गाली, बालोदर, हाहे, फुलांग और गोंदलपुरा; इन क्षेत्रों और समूहों के जनसांख्यिकीय विवरण का अध्ययन करने के लिए किया गया था।

यह अध्ययन अंकगणित वृद्धि विधि का उपयोग करता है। इस पद्धति में जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर दशक-दर-दशक स्थिर मानी जाती है। पहले से उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों से प्रति दशक औसत वृद्धि का पता लगाया जाता है। इस मात्रा का गुणनफल और दशकों की संख्या जिसके लिए जनसंख्या की गणना की जानी है, को n दशकों के बाद अनुमानित जनसंख्या प्राप्त करने के लिए विषय क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या में जोड़ा जाता है। $P_n = P + nd$ जहाँ, P_n = n दशकों के बाद की भावी जनसंख्या, P = वर्तमान जनसंख्या, n = दशकों की संख्या एवं d = प्रति दशक औसत वृद्धि। इस अध्ययन में 2021 के जनसांख्यिकीय डेटा का अनुमान और एक्सट्रपलेशन करने के लिए तीन जनगणना (1991, 2001 और 2011) के डेटा को ध्यान में रखा गया है। इसलिए 2021 डेटा को अनुमानित वर्ष डेटा माना गया है।

जनसांख्यिकीय रुपरेखा में जनसंख्या संरचना, रहने वाले परिवारों, साक्षरता दर का अध्ययन शामिल है जबकि आर्थिक गतिविधियां विभिन्न लिंगों की कार्य भागीदारी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिकों और परिवारों की संरचना के विस्तृत अध्ययन को दर्शाती हैं। यह अध्ययन, जनसंख्या की वैवाहिक स्थिति, उनकी आय और आश्रितों (बुजुर्ग लोगों) के प्रतिशत को भी दर्शाता है।

गृहस्थी

पांच गांवों (तालिका 17 के अनुसार) में परिवारों की कुल संख्या 1991 में 321 से बढ़कर 2001 में 510 हो गई, जो 58.9% की दशकीय वृद्धि दर्शाती है, एवं 56.5% की और वृद्धि दर्शाती है क्योंकि 2011 में घरों की संख्या बढ़कर 798 इकाइयों तक पहुंच गई। दशक 2011-2021 के लिए 29.9% दशकीय वृद्धि का अनुमान है क्योंकि पांच गांवों में परिवारों के कुल 1037 इकाइयों तक बढ़ने की

उम्मीद है। 1991-2001 में, सबसे अधिक वृद्धि बालोदर (117.8%) में दर्ज की गई थी और सबसे कम बिना वृद्धि फुलांग (0.00%) में दर्ज की गई थी। 2001-2011 के दशक में, घरों की उच्चतम वृद्धि फुलांग (100%) में दर्ज की गई, हाहे में दूसरी (86%) और सबसे कम गाली (19.6%) में दर्ज की गई। 2011-2021 के दशक के लिए, घरों की सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान फुलांग (50%) गाँव में है, इसके बाद बालोदर (37%) और सबसे कम गाली (21.3%) में है।

तालिका:17 - गृहस्थी (HHs)

गाँव का नाम	कुल HHs_ 1991	कुल HHs_ 2001	कुल HHs_ 2011	कुल अनुमानित HHs_ 2021*	दशकीय वृद्धि 1991-2001(in %)	दशकीय वृद्धि 2001-2011(in %)	दशकीय वृद्धि 2011-2021*(in %)
गाली	35	51	61	74	45.7	19.6	21.3
बालोदर	45	98	173	237	117.8	76.5	37.0
हाहे	33	43	80	104	30.3	86.0	29.4
फुलांग	0	1	2	3	0.0	100.0	50.0
गोंदलपुरा	208	317	482	619	52.4	52.1	28.4
कुल	**321**	**510**	**798**	**1037**	**58.9**	**56.5**	**29.9**

स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)

जनसंख्या

अध्ययन के तहत पाँच गाँवों की जनसंख्या 1991 में 2230 से बढ़कर 2001 में 2932 और 2011 में 4029 हो गई (तालिका 18 के अनुसार) । 2021 में इसके और बढ़कर 4929 हो जाने की उम्मीद है। हालाँकि अध्ययन (1991-2001) के पहले दशक में जनसंख्या में 31.03% की वृद्धि देखी गई, और अध्ययन के दूसरे दशक (2001-2011) में भी 37.89% की और वृद्धि, अध्ययन के तीसरे दशक (2011-2021) में जनसंख्या वृद्धि दर गिरकर 22.33% होने का अनुमान है। इसका श्रेय पिछले दशक में अध्ययन के तहत क्षेत्रों में हुए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को दिया जा सकता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला गाँव - गोंदलपुरा में सबसे कम विकास दर (17.48%) का अनुमान है, जबकि कम आबादी वाले गाँव फुलांग में सबसे अधिक वृद्धि (50%) होने का अनुमान है। निरपेक्ष रूप से, बालोदर की जनसंख्या वर्ष 1991 में दर्ज की गई अपनी प्रारंभिक जनसंख्या से छह गुना बढ़ने का अनुमान है (अर्थात 1991 में 284 से 2021 में 1294 तक)।

तालिका:18 - जनसंख्या							
गाँव का नाम	**कुल जनसंख्या_ जनगणना 1991**	**कुल जनसंख्या_ जनगणना 2001**	**कुल जनसंख्या_ जनगणना 2011**	**कुल अनुमानित जनसंख्या_ 2021***	**दशकीय वृद्धि 1991-2001(in %)**	**दशकीय वृद्धि 2001-2011(in %)**	**दशकीय वृद्धि 2011-2021*(in %)**
गाली	192	277	317	380	44.27	14.44	19.72
बालोदर	284	477	957	1294	67.96	100.63	35.16
हाहे	223	336	394	480	50.67	17.26	21.70
फुलांग	0	3	7	11	0.00	133.33	50.00
गोंदलपुरा	1531	1829	2354	2766	19.46	28.70	17.48
कुल	**2230**	**2922**	**4029**	**4929**	**31.03**	**37.89**	**22.33**
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)							

जनसंख्या (0-6 वर्ष आयु समूह)

0-6 वर्ष (तालिका 19 के अनुसार) के आयु वर्ग में आश्रितों की कुल संख्या में 1991 में 488 से 2001 में 616 और फिर 2011 में 725 (अर्थात् 17.69%) की वृद्धि हुई है। इसके 2021 में आगे बढ़कर 844 होने का अनुमान है, अर्थात् 16.41% की वृद्धि । गोंदलपुरा (441) में इस आयु वर्ग में बच्चों की सबसे अधिक आबादी होने का अनुमान है, इसके बाद बालोदर (261) और फुलांग में सबसे कम बच्चे (6) हैं। अनुमानित और पूर्व-अनुमानित दोनों दशकों (यानी 2001-2011 और 2011-2021) में सभी पाँच गांवों में उनके संबंधित क्षेत्रों की कुल आबादी में लगभग समान प्रतिशत आश्रित हैं।

तालिका:19 - जनसंख्या (0-6 वर्ष आयु समूह)				
गाँव का नाम	**जनसंख्या 06 वर्ष _1991**	**जनसंख्या 06 वर्ष _ 2001**	**जनसंख्या 06 वर्ष _ 2011**	**जनसंख्या 06 वर्ष _ 2021***
गाली	41(21%)	60 (22%)	57 (18%)	65(17%)
बालोदर	43(15%)	120(25%)	188(20%)	261(20%)
हाहे	58(26%)	92(27%)	68(17%)	73(15%)
फुलांग	0	1(33%)	3(43%)	5 (43%)
गोंदलपुरा	346(23%)	343(19%)	409(17%)	441(16%)
कुल	**488**	**616**	**725**	**844**
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)				

जनसंख्या (पुरुष और महिला)

इन पांच गांवों (तालिका 20 के अनुसार) की कुल पुरुष आबादी 1991 में 1155 से 2001 में 2103, और 2011 में 2716 तक लगातार वृद्धि हुई है, जिसके (2011-2021) के दशक में बढ़कर 2578 तक जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर गांवों की महिला आबादी में भी 1991 में 1075 से 2001 में 1926, और फिर 2011 में 2420 तक लगातार वृद्धि हुई है, जिसके (2011-2021) के दशक में बढ़कर 2353 होने की उम्मीद है। पुरुष जनसंख्या कुल जनसंख्या का 51% से 53% रही है, जबकि महिला जनसंख्या 47% से 49% तक कम हो गई है, जो समाज में पुरुष बच्चे के लिए एक सामान्य वरीयता और सामाजिक प्रतिरूप के पितृसत्तात्मक रूप को प्रकट करती है।

तालिका:20 - जनसंख्या (पुरुष और महिला)

गाँव का नाम	कुल पुरुष_1991	कुल महिला_1991	कुल पुरुष_2001	कुल महिला_2001	कुल पुरुष_2011	कुल महिला_2011	कुल पुरुष_2021*	कुल महिला_2021*
गाली	100 (52%)	92 (48%)	141 (51%)	136 (49%)	161 (51%)	156 (49%)	192 (51%)	188 (49%)
बालोदर	157 (55%)	127 (45%)	239 (50%)	238 (50%)	487 (51%)	470 (49%)	652 (50%)	642 (50%)
हाहे	115 (52%)	108 (48%)	172 (51%)	164 (49%)	208 (53%)	186 (47%)	255 (53%)	225 (47%)
फुलांग	0	0	1(33%)	2(67%)	2(29%)	5(71%)	3(29%)	8(71%)
गोंदलपुरा	783 (51%)	748 (49%)	937 (51%)	892 (49%)	1245 (53%)	1109 (47%)	1476 (53%)	1290 (47%)
कुल	**1155**	**1075**	**2103**	**1926**	**2716**	**2420**	**2578**	**2353**

स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)

जाति वितरण

जनसंख्या (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति)

अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1991 में 591 से लगभग दोगुनी होकर 2011 में 1193 हो गई है। इसके 1991 के 591 से (2011-2021) के दशक में तीन गुना बढ़कर 1494 होने का अनुमान है। जबकि, अनुसूचित जन-जाति आबादी ने 1991 के बाद से तीन गुना वृद्धि दर्ज की थी (अर्थात 1991 में 109 से 2011 में 326 तक) और 2021 में 435 हो जाने की उम्मीद है (अर्थात 1991 के बाद से इसके आकार का चार गुना)। हाहे में कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति

आबादी नहीं है। फुलांग गांव में, सभी निवासी अनुसूचित जाति के हैं और गाली में कुल आबादी का लगभग 90% अनुसूचित जाति के हैं। बाकी दो गांवों - बालोदर और गोंदलपुरा में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आबादी बालोदर में है (औसतन 64% अनुसूचित जाति और 17% अनुसूचित जन-जाति के साथ) और सबसे कम गोंदलपुरा में (औसतन 17% अनुसूचित जाति और 6% अनुसूचित जन-जाति के साथ)।

तालिका:21 - जनसंख्या (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति)

गाँव का नाम	P_SC_1991	P_ST_1991	P_SC_2001	P_ST_2001	P_SC_2011	P_ST_2011	P_SC_2021*	P_ST_2021*
गाली	167 (87%)	0	222 (80%)	0	289 (91%)	0	350 (92%)	0
बालोदर	182 (64%)	0	302 (63%)	79 (17%)	483 (50%)	148 (15%)	634 (49%)	222 (17%)
हाहे	0	0	0	0	0	0	0	0
फुलांग	0	0	3(100%)	0	7(100%)	0	11(100%)	0
गोंदलपुरा	242 (16%)	109 (6%)	310 (17%)	83(5%)	414 (18%)	178 (8%)	500 (18%)	213 (8%)
कुल	**591**	**109**	**837**	**162**	**1193**	**326**	**1494**	**435**

स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)

जनसंख्या (अनुसूचित जाति - पुरुष और महिला)

हाहे (तालिका 22 के अनुसार) में कोई अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है । फुलांग में भी 2011 में 2 अनुसूचित जाति पुरुष और 5 अनुसूचित जाति महिला की संख्या दर्ज की गई थी (वर्ष 1991 में कोई नहीं), जहाँ कि पुरुष महिला अनुसूचित जाति अनुपात औसतन कम है। सभी दशकों में कुल पुरुष अनुसूचित जाति और कुल महिला अनुसूचित जाति के बीच का अंतर 7 से 23 के बीच है। गाली में अनुसूचित जाति पुरुष (44.75%) और अनुसूचित जाति महिला (42.75%) का उच्चतम प्रतिशत है जबकि गोंदलपुरा में अपने संबंधित गांवों की कुल आबादी में सबसे कम अनुसूचित जाति पुरुष (9%) और अनुसूचित जाति महिला (8%) हैं ।

तालिका:22- जनसंख्या (अनुसूचित जाति - पुरुष और महिला)								
गाँव का नाम	**M_SC_1991**	**F_SC_1991**	**M_SC_2001**	**F_SC_2001**	**M_SC_2011**	**F_SC_2011**	**M_SC_2021***	**F_SC_2021***
गाली	85 (44%)	82 (43%)	115 (42%)	107 (38%)	147 (46%)	142 (45%)	178 (47%)	172 (45%)
बालोदर	100 (35%)	82 (29%)	142 (30%)	160 (33%)	238 (25%)	245 (26%)	307 (24%)	327 (25%)
हाहे	0	0	0	0	0	0	0	0
फुलांग	0	0	1(33%)	2(63%)	2(29%)	5(71%)	3(29%)	8(76%)
गोंदलपुरा	122 (8%)	120 (8%)	157 (9%)	153 (8%)	220 (9.5%)	194 (8.5%)	269 (10%)	231 (8%)
कुल	**307**	**284**	**415**	**422**	**607**	**586**	**757**	**737**
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

जनसंख्या (अनुसूचित जन-जाति - पुरुष और महिला)

गाली, हाहे और फुलांग में अनुसूचित जनजाति की कोई आबादी नहीं है (तालिका 23 के अनुसार)। यहां तक कि 1991-2001 के दशक में बालोदर में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं थी, लेकिन 2001 के बाद से यहाँ पर कुल आबादी का 9% अ. ज. जा. पुरुष और 7.5% अ. ज. जा. महिला के रूप में दर्ज किया गया है। निरपेक्ष रूप से अ. ज. जा. पुरुषों की संख्या 2001 में 48 से बढ़कर 2011 में 79 हो गई, जो अनुमानित रूप से 2021 में बढ़कर 119 हो गई है। अ. ज. जा. महिलाओं की संख्या भी 2001 में 31, 2011 में 69 से बढ़कर 2021 में 104 हो गई है। गोंदलपुरा की कुल आबादी में अ. ज. जा. पुरुषों का प्रतिशत औसतन 3.5% रहा है, जबकि अ. ज. जा. महिलाओं का प्रतिशत प्रत्यावर्ती दशकों में 4% से 2% के बीच रहा है।

तालिका:23- जनसंख्या (अनुसूचित जन-जाति - पुरुष और महिला)								
गाँव का नाम	**M_ST_1991**	**F_ST_1991**	**M_ST_2001**	**F_ST_2001**	**M_ST_2011**	**F_ST_2011**	**M_ST_2021***	**F_ST_2021***
गाली	0	0	0	0	0	0	0	0
बालोदर	0	0	48(10%)	31(7%)	79(8%)	69(7%)	119(9%)	104(8%)
हाहे	0	0	0	0	0	0	0	0
फुलांग	0	0	0	0	0	0	0	0
गोंदलपुरा	53(3%)	56(4%)	47(3%)	36(2%)	95(4%)	83(4%)	116(4%)	97(3%)
कुल	**53**	**56**	**95**	**67**	**174**	**152**	**235**	**200**
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

साक्षरता

साक्षरों की कुल संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और 2021 के अनुमानित वर्ष में 2,812 होने की उम्मीद है जो 1991 के प्रारंभिक वर्ष के 416 के छह गुना से अधिक है (तालिका 24 के अनुसार)। पाँच गाँवों की कुल जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ, साक्षरों की कुल संख्या में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत भी 1991 में 18.7% से बढ़कर 2011 में 50% हो गया है और 2021 तक इसके बढ़कर 57% होने का अनुमान है। अनुमानित दशक 2021 के लिए साक्षर-निरक्षर अनुपात गोंदलपुरा में 3:2, गाली में 4:3 और हाहे में 2:1 है जबकि फुलांग और बालोदर में यह अनुपात 4:5 होने का अनुमान है। पाँच गाँवों में गोंदलपुरा में सभी तीन दशकों में साक्षर व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है।

तालिका:24 - साक्षर (व्यक्ति)

गाँव का नाम	P_LIT_ 1991	P_ILL_ 1991	P_LIT_ 2001	P_ILL_ 2001	P_LIT_ 2011	P_ILL_ 2011	P_LIT_2 021*	P_ILL_2 021*
गाली	25	167	84 (30%)	193 (70%)	153 (48%)	164 (52%)	217	163
बालोदर	3	281	94 (20%)	383 (80%)	403 (61%)	554 (39%)	603	691
हाहे	71	152	132 (39%)	204 (61%)	242 (61%	152 (39%)	328	152
फुलांग	0	0	2(67%)	1(33%)	3(43%)	4(57%)	5	6
गोंदलपुरा	317	1214	729 (40%)	1100 (60%)	1212 (51%)	1142 (49%)	1660	1106
कुल	**416**	**1814**	**1041**	**1881**	**2013**	**2016**	**2812**	**2117**

स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)

पुरुष एवं महिला साक्षरता

वर्ष 1991 में महिला साक्षरों की कुल संख्या 63 थी, एवं उसी दशक में 353 पुरुषों की तुलना में गाली में 2 महिला साक्षर, हाहे में 9 और गोंदलपुरा में 52 महिला साक्षर थीं। यद्यपि पुरुष और महिला साक्षरता की कुल संख्या ने तीन दशकों (तालिका 25 के अनुसार) के माध्यम से वृद्धि की उच्च दर दिखाई है, फिर भी 2021 के दशक के वर्ष में कुल महिला साक्षरों (1217) की संख्या पुरुष साक्षरों (1595) की कुल संख्या से कम होने का अनुमान है।

तालिका:25 - साक्षर (पुरुष और महिला)								
गाँव का नाम	**M_LIT_1991**	**F_LIT_1991**	**M_LIT_2001**	**F_LIT_2001**	**M_LIT_2011**	**F_LIT_2011**	**M_LIT_2021***	**F_LIT_2021***
गाली	23	2	61(22%)	23(8%)	92(29%)	61(19%)	127	91
बालोदर	3	0	69(14%)	25(5%)	233 (24%)	170 (18%)	348	255
हाहे	62	9	81(24%)	51(15%)	142 (36%)	100 (25%)	182	146
फुलांग	0	0	1 (33.33%)	1 (33.33%	1(14%)	2(29%)	2	3
गोंदलपुरा	265	52	481 (26%)	248 (14%)	713 (30%)	499 (21%)	937	723
कुल	**353**	**63**	**693**	**348**	**1181**	**832**	**1595**	**1217**
स्रोत:- भारत की जनगणना 2001, 2011 * 2021- अनुमानित (लेखकों का अनुमान)								

बीपीएल परिवार

तालिका 26 इंगित करती है कि एक पूर्ण पैमाने में, गोंदलपुरा में अनुमानित दशक 2021 के लिए सबसे अधिक बीपीएल परिवार (एचएच) 341 हैं, इसके बाद बालोदर में 137, गाली में 59 और हाहे में 53 हैं। फुलांग में कोई बीपीएल परिवार नहीं है। जबकि, कुल परिवार में बीपीएल परिवार के प्रतिशत पर विचार करते हुए, गाली 83.1% के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद बालोदर 55.2%, गोंदलपुरा 52.7% और हाहे 45.3% के साथ है।

तालिका:26- बीपीएल गृहस्थी (बीपीएल HHs)			
गाँव का नाम	**कुल गृहस्थियाँ (अनुमानित *2021)**	**बीपीएल गृहस्थियाँ**	**कुल गृहस्थियों के परिप्रेक्ष्य में BPL गृहस्थियों का प्रतिशत (अनुमानित *2021)**
गाली	71	59	83.1
बालोदर	248	137	55.2
हाहे	117	53	45.3
फुलांग	3	NA	NA
गोंदलपुरा	647	341	52.7
स्रोत:- www.hazaribagh.nic.in.2018			

वैवाहिक स्थिति

तालिका 27 में दिखाए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि गाली, बालोदर और गोंदलपुरा की कुल आबादी का लगभग 62.8% एक समान पुरुष महिला अनुपात के साथ विवाहित है, जो दर्शाता है कि विवाह समुदायों या आसपास के क्षेत्रों में होते हैं। इन तीन गांवों की कुल आबादी का 37% अविवाहित है, अविवाहित महिलाओं (300) की तुलना में अविवाहित पुरुष (437) अधिक हैं। बाकी 0.2% आबादी में से 7 तलाकशुदा हैं, जिनमें से 6 महिलाएं हैं और एक पुरुष है और 3 पुरुष अलग हैं।

तालिका:27 - वैवाहिक स्थिति

गाँव	लिंग	विवाहित	अविवाहित	तलाकशुदा	पृथक	कुल
बालोदर	पुरुष	48(30%)	38(23%)	0	0	86(53%)
	महिला	48(30%)	25(15%)	3(2%)	0	76(47%)
	कुल	**96(60%)**	**63(38%)**	**3(2%)**	**0**	**162**
गाली	पुरुष	70(32%)	48(22%)	0	0	118(54%)
	महिला	69(32%)	30(14%)	0	0	99(44%)
	कुल	**139(64%)**	**78(36%)**	**0**	**0**	**217**
गोंदलपुरा	पुरुष	440(29.6%)	351(23.7%)	1(0.1%)	3(0.2%)	795(53.6%)
	महिला	441(29.7%)	245(16.5%)	3(0.2%)	0	689(46.4%)
	कुल	**881(59.4%)**	**596(40.2%)**	**4(0.3%)**	**3(0.2%)**	**1484**

बुजुर्ग आबादी

सर्वेक्षण की गई कुल जनसंख्या में से अर्थात 1865 व्यक्ति में से; 88 बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो जनसंख्या का 4.72% है। गोंदलपुरा में 5.05% (75 बुजुर्ग व्यक्ति) की सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी है, इसके बाद बालोदर में 4.94% (8 बुजुर्ग व्यक्ति) और गाली में 2.30% (5 बुजुर्ग व्यक्ति) हैं।

तालिका:28- बुजुर्गों की जनसंख्या

गाँव	बुजुर्गों की जनसंख्या	सर्वेक्षण की गई कुल जनसंख्या	बुजुर्ग आबादी का%
गाली	5	217	2.30
बालोदर	8	162	4.94
गोंदलपुरा	75	1486	5.05
कुल	**88**	**1865**	**4.72**

आय स्तर

तालिका 29 सर्वेक्षण के निष्कर्षों को दर्शाती है कि 795 परिवारों में से 700 की आय 5000 प्रति माह रुपये से कम है, 67 परिवारों की आय 5,000 और 10,000 रुपये प्रति माह के बीच है, जबकि केवल 28 परिवारों की आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक है। परिवारों के बीच आय के वितरण से पता चलता है कि गांवों की औसत आय बहुत कम है और लोगों के पास आजीविका का निर्वाह निम्न स्तर है। यह कार्यबल में गिरावट की व्याख्या करता है और प्रवास के कारण की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है।

तालिका:29- आय स्तर

गाँव	कुल परिवार	रु. 5,000 से कम	रु. 5,000 से रु. 10,000 के बीच	रु. 10,000 से ज्यादा
गाली	61	58 (95%)	3(5%)	0
बालोदर	162	137(85%)	21(13%)	4(2%)
हाहे	84	47(56%)	35(42%)	2(2%)
फुलांग	2	1(50%)	1(50%)	0
गोंदलपुरा	486	457(94%)	7(1%)	22(5%)

वंचित परिवार और भूमिहीन मजदूर

तालिका 30 के आंकड़े वंचित परिवारों और भूमिहीन परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं। 795 परिवारों में से 353 वंचित परिवार हैं जिनमें से 154 भूमिहीन परिवार हैं। फुलांग के दो घर हैं और दोनों ही वंचित परिवार हैं। गाली में वंचित परिवारों का उच्चतम प्रतिशत (86.89%) है, इसके बाद बालोदर (70.37%), हाहे (58.33%) और गोंदलपुरा (48.35%) हैं। भूमिहीन वंचित परिवारों के संबंध में, हाहे में भूमिहीन वंचित परिवारों की संख्या सबसे अधिक है यानी कुल परिवारों का 48.81% और गोंदलपुरा में सबसे कम भूमिहीन वंचित परिवार हैं जो कुल घरों का 12.55% हैं।

तालिका:30- वंचित परिवार और भूमिहीन मजदूर

गाँव	कुल परिवार	वंचित परिवार	वंचित परिवार_भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं	कुल परिवार से वंचित परिवार (%)	कुल परिवार से वंचित भूमिहीन परिवार (%)
गाली	61	53	29	86.89	47.54
बालोदर	162	114	23	70.37	14.20

हाहे	84	49	41	58.33	48.81
फुलांग	2	2	0	100.00	0.00
गोंदलपुरा	486	235	61	48.35	12.55
स्रोत:- सामाजिक अर्थशास्त्र और जाति जनगणना, 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार					

4.3. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता

गोंदलपुरा कोयला परियोजना में 5 गाँव प्रभावित हैं । 2 गाँव हाहे और फुलांग में रैयती भूमि प्रभावित नहीं है। परियोजना से प्रभावित कुल 1638 खसरा एवं 942 रैयत एवं 781 प्रभावित परिवार हैं। ग्राम वार संख्या निम्नलिखित हैं :

तालिका: 31 - रैयतों का ब्योरा

क्रम संख्या	अंचल	ग्राम	कुल खसरा	रैयत	प्रभावित परिवार	रकबा
1	बड़कागाँव	गोंदलपुरा	953	489	620	284.63
		गाली	374	185	90	175.45
		बलोदर	311	268	71	91.51
		हाहे	0	0	0	0
		फुलांग	0	0	0	0
		कुल	**1638**	**942**	**781**	**551.59**

4.4. परियोजना क्षेत्र के आसपास के किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग

प्रभावित पाँच (5) गाँव में कुल 716.49 एकड़ भूमि प्रभावित होगी जिसमे 173.74 एकड़ सरकारी भूमि , 542.75 एकड़ वन भूमि प्रभावित हो रही है। इसका ब्योरा तालिका 32 में दर्शाया गया है।

तालिका: 32 - प्रभावित सार्वजनिक भूमि का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम	सरकारी भूमि	वन भूमि	कुल भूमि
1	गोंदलपुरा	61.26	9.12	**70.38**
2	गाली	25.37	291.39	**316.76**
3	बलोदर	64.57	233.97	**298.54**
4	हाहे	21.81	8.27	**30.08**
5	फुलांग	0.73	0	**0.73**
	कुल	**173.74**	**542.75**	**716.49**

4.5. परियोजना के लिए पूर्व में अधिग्रहण या खरीदगी

इस परियोजना में कोई भी भूमि पूर्व अधिग्रहित नहीं है। इस परियोजना के लिए कोई भी भूमि की खरीददारी नहीं की गई है।

4.6. परियोजना हेतु अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान

प्रभावित पाँच (5) गाँव में कुल 1268.08 एकड़ भूमि प्रभावित होगी जिसमे 173.74 एकड़ सरकारी भूमि , 542.75 एकड़ वन भूमि एवं 551.59 एकड़ निजी भूमि प्रभावित हो रही है। परिशिष्ट 1 में सभी निजी भूमि को कृषि भूमि दर्शाया गया है एवं उसमे भूमि के प्रकार भी दर्शाई गई है । किन्तु झारभूमि में सिर्फ एक ही प्रकार - कृषि भूमि है, अतः आकलन के लिए सिर्फ निजी भूमि को कृषि भूमि माना गया है। तालिका 33 में प्रभावित भूमि के प्रकार को दिखलाया गया है।

तालिका: 33 - प्रभावित भूमि का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम	निजी भूमि
1	गोंदलपुरा	284.63
2	गाली	175.45
3	बलोदर	91.51
4	हाहे	0
5	फुलांग	0
	कुल	**551.59**

4.7. भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और कृषि भूमि की दशा में सिंचाई कवरेज और फसल पैटर्न्स

प्रकृति वर्णन एवं जल निकास

प्रकृतिवर्णन

पट्टा क्षेत्र की स्थलाकृति - पूर्वी भाग में पहाड़ियाँ और पश्चिम एवं उत्तर की ओर नदी घाटी के साथ ऊबड़-खाबड़ है। सतह की औसत ऊंचाई समुद्रतल से उच्चतम 516 मीटर से न्यूनतम 417

मीटर तक भिन्न होती है। सामान्य ढलान उत्तरी और पश्चिमी भागों से दक्षिण की ओर है। नदियाँ 'बदमही' नदी से निकलती हैं और दक्षिण की ओर दामोदर नदी में मिलती हैं।

जलनिकासी

बदमही नदी का प्रवाह और परियोजना की सामान्य स्थलाकृति इंगित करती है कि खदान को विशेष रूप से मानसून के दौरान सतही जलनिकासी से सुरक्षा की आवश्यकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए गोंडुलपारा कोयला खदान कोइ सतरह परिकल्पित किया गया है कि मानसून के मौसम के दौरान सक्रिय खदान की सीमा के भीतर पानी का प्रवाह कम होता कि खनन गतिविधि पूरे वर्ष जारी रह सके।

जलसंसाधन

यह परिकल्पना की गई है कि निर्माण, पीने के पानी, स्वच्छता के साथ-साथ खदान संचालन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रारंभिक 2-3 वर्षों के लिए भूजल से पूरा किया जाएगा । तत्पश्चात खदान में पर्याप्त पानी जमा हो जाएगा जिससे खदान की औद्योगिक मांग पूर्ण की जा सकेगी । हालांकि, खदान एवं अन्य सुविधाओं हेतु पेयजल की मांग भूजल के माध्यम से ही पूरी की जाएगी । प्रस्तावित गोंडुलपारा कोयला खदान के लिए 77 घन मीटर/घंटा (1386 केएलडी) पानी की आवश्यकता होगी। चूंकि खदान का कुछ क्षेत्र बदमही नदी के उच्च बाढ़ स्तर (अर्थात न्यू.स.त. से 415 मीटर ऊपर) में पड़ता है, इसलिए मानसून के दौरान खदान को बाढ़ से बचाने के लिए बदमही के दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षा तटबंध बनाने का प्रस्ताव है। सुझाव है कि तटबंध के शीर्ष आरएल का निर्माण अंतिम दर्ज की गई एचएफएल लाइन से 5 मीटर उपर किया जाए । प्रस्तावित खदान की सीमाओं के चारों ओर गारलैंड निकास का प्रावधान किया जाएगा और जहां तक संभव हो पर्याप्त सुरक्षा उपाय के लिए समय-समय पर उनका रखरखाव किया जाएगा। भारी बारिश के दौरान फुटपाथ की क्षति और फिसलन की स्थिति से बचाव के लिए हॉल सड़कों और अन्य सड़कों में उचित जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी।

फसल

इन क्षत्रों में धान गेहूं एवं सब्जी की खेती की जाती है। यहाँ खेती के लिए स्वयं कृषक सिचाई की व्यवस्था करते हैं वर्षा आधारित तालाब एवं अन्य सिचाई के साधन हैं। आकलन के दौरान ये पाया

गया की प्रभावित परिवारों में कुल 15.71% लोग ही कृषि पर आधारित हैं।

4.8. जोत का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि वितरण, और आवासीय घरों की संख्या

प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतर स्वामित्व सम्मिलात खाता है लोग एक से अधिक स्थानों पर स्वामित्व है। इसका आकलंन तालिका 34 से किया जा सकता है। कुल प्लॉटों की संख्या खातिहान में दर्ज है, एवं पारिवारिक जनगणना 2011 से ली गई है।

तालिका:34 - प्लॉटों की संख्या

क्रम सं.	गाँव का नाम	कुल प्लाटों की संख्या	गृहस्थी
1	गोंदलपुरा	1280	482
2	गाली	593	61
3	बलोदर	1859	173

इस परियोजना में ली जाने वाली भूमि एवं रैयत तालिका 35 में दर्शाई गई है। कुल 1638 खसरा में 942 रैयत हैं। इससे भी यह प्रमाणित होता है की रैयत एक से अधिक खसरा के मालिक हैं। जिसका आकलन भूअर्जन अधिनियम के धारा 16 के समय स्पष्ट होगा।

तालिका:35 - भूमि एवं रैयतों की संख्या

क्रम संख्या	अंचल	ग्राम	कुल खसरा	रैयत	प्रभावित परिवार	रकबा
1	बड़कागाँव	गोंदलपुरा	953	489	620	284.63
		गाली	374	185	90	175.45
		बलोदर	311	268	71	91.51
		हाहे	0	0	0	0
		फुलांग	0	0	0	0
		कुल	**1638**	**942**	**781**	**551.59**

तालिका:36 - आवासीय घरों की संख्या

क्रम संख्या	ग्राम	प्रभावित संरचना
1	गोंदलपुरा	426
2	गाली	73
3	बलोदर	45
	कुल	**544**

4.9. भूमि की कीमतें और पिछले 3 वर्षों में भूमि के स्वामित्व, हस्तांतरण और उपयोग में हाल के परिवर्तन

प्रभाव आकलन के दौरान ये पता चला कि भू हस्तांतरण नहीं के बराबर है, और लोगों ने भूमि उपयोग में भी परिवर्तन नहीं किया है। ये प्रभाव उन क्षेत्रों को छोड़ कर हैं जो दूसरे परियोजनाओं में अर्जित की गई है।

5. प्रभावित परिवार और संपत्ति की गणना

5.1. प्रभावित परिवार पर प्रभाव

हजारीबाग जिला के बड़कागाँव अंचल के 3 गाँव के 942 रैयत और उनमें से 781 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसका ब्योरा तालिका 37 में दर्शाया गया है। इन 781 परिवार में 518 हाउसहोल्ड ने मूल सर्वेक्षण में भाग लिया। तालिका 38 में वैसे परिवार हैं जिन्होंने सर्वे में भाग लिया।

तालिका:37 - प्रभावित परिवारों की संख्या

क्रम संख्या	अंचल	ग्राम	कुल खसरा	रैयत	प्रभावित परिवार	रकबा
1	बड़कागाँव	गोंदलपुरा	953	489	620	284.63
		गाली	374	185	90	175.45
		बलोदर	311	268	71	91.51
		हाहे	0	0	0	0
		फुलांग	0	0	0	0
		कुल	**1638**	**942**	**781**	**551.59**

तालिका:38 - प्रभावित कुटुंब (हाउस्होल्ड)

क्रम संख्या	ग्राम	प्रभावित परिवार
1	गोंदलपुरा	415
2	गाली	61
3	बलोदर	42
	कुल	**518**

5.2. भूमि पर प्रभाव

इस परियोजना में ली जाने वाली भूमि एवं रैयत तालिका 39 में दर्शाई गई है। कुल 1638 खसरा में 942 रैयत हैं। इससे भी यह प्रमाणित होता है की रैयत एक से अधिक खसरा के मालिक हैं। जिसका आकलन भूअर्जन अधिनियम के धारा 16 के समय स्पष्ट होगा।

तालिका:39 - रैयतों की संख्या

क्रम संख्या	अंचल	ग्राम	कुल खसरा	रैयत	प्रभावित परिवार	रकबा
1	बड़कागाँव	गोंदलपुरा	953	489	620	284.63
		गाली	374	185	90	175.45
		बलोदर	311	268	71	91.51
		हाहे	0	0	0	0
		फुलांग	0	0	0	0
		कुल	**1638**	**942**	**781**	**551.59**

5.3. संरचना पर प्रभाव

परियोजना प्रभावित इन गाँव मे 1118 जिसमें कच्चा एवं पक्का संरचना की संख्या 544 एवं अन्य संरचना 574 प्रभावित हो रही है। अन्य संरचनाओं में चहारदीवारी,गौशाला, कुआं, बोरेवेल इत्यादि हैं। इसका विवरण तालिका 40 में दर्शाया गया है। आकलन के दौरान ये बतलाया गया कि प्रभावित परिवार एक से अधिक घर बनाए हैं जो आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। सामाजिक आकलन के दौरान ये भी पाया गया कि लोग अपनी भूमि पर या गैरमजूरवा भूमि पर भी मकान बनाया है क्योंकि मकान बनाने के समय पैमाइश नहीं की जाती है और सिर्फ अन्य रैयत की भूमि में मकान नहीं बनाई गई है इसका ध्यान रखा जाता है। कुल 11 संरचना गोंदुलपुरा में आंशिक रूप से प्रभावित है। किन्तु धारा 94 भू अर्जन अधिनियम के अनुसार इन्हे भी पूर्ण मुआवजा देने का प्रावधान है और उत्खनन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे भी पूर्ण माना जाना चाहिए।

तालिका:40 - संरचनाओं की विवरणी

क्रम संख्या	ग्राम	प्रभावित संरचना	अन्य संरचना	कुल संरचना
1	गोंदलपुरा	426	470	896
2	गाली	73	65	138
3	बलोदर	45	39	84
	कुल	**544**	**574**	**1118**

घरों के प्रकार

5.4. परियोजना प्रभावित परिवार और सदस्य

कुल 781 प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिसमे 999 पुरुष एवं 864 महिला सदस्य हैं। पुरुषों का प्रतिशत 53.62% एवं महिलाओ का 46.37% है। कुल 1863 सदस्यों में 1283 लोगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 582 लोगों की 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों का प्रतिशत 68.86 है।

तालिका:41 - प्रभावित परिवार एवं सदस्य

ग्राम	कुल परिवार	कुल सदस्य			उम्र	
		पुरुष	महिला	कुल	18 वर्ष से अधिक	18 वर्ष से कम
गोंदलपुरा	620	799	690	1489	1014	477
गाली	90	118	99	217	158	59

बलोदर	71	82	75	157	111	46
कुल	**781**	**999**	**864**	**1863**	**1283**	**582**

5.5. अधिग्रहीत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर काश्तकार हैं/कब्जा करते हैं

प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर रैयतों का ही कब्जा है।

5.6. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है

वनाधिकार के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अलग से कार्रवाई की जा रही है।

5.7. सार्वजनिक संरचना

प्रभावित ग्रामों में कुल 21 सार्वजनिक संरचनाएं हैं। इसका विवरण तालिका 42 में दर्शाई गई है। इन 21 संरचनाओं के अलावा 8 तालाब हैं। जिसमे गोंदलपुरा में 2, गाली में 4 और बलोदर में 2 हैं।

तालिका:42 - सार्वजनिक संरचना का विवरण

क्रम सं.	ग्राम	सरना स्थल	शवदाह	पैक्स भवन	मंदिर	स्वास्थ्य केंद्र	आंगनबाड़ी	स्कूल	पँचायत भवन	सामुदायिक भवन
1	गोंदलपुरा	-	1	1	5	1	1	4	1	-
2	गाली	1	-	-	-	-	-	2	-	-
3	बलोदर	1	-	-	-	-	-	2	-	1

Shiv mandir
gondalpura
(Basti)

पंचायत भवन गोंदलपुरा

गोदाम सह कार्यालय
Ambuja
Cement
Ambuja
Cement
Ambuja
Cement

5.8. राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि का निपटान नही किया गया है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन नहीं है

प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का अन्य किसी योजना के तहत निपटान नहीं किया गया है ।

5.9. अधिग्रहण से पहले तीन साल के लिए आजीविका के प्राथमिक स्रोत एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में निम्नलिखित आंकलन किया गया था जो 2011 जनगणना के आधार पर है।

तालिका:43 - वंचित परिवार और भूमिहीन मजदूर

गाँव	कुल परिवार	वंचित परिवार	वंचित परिवार_भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं	कुल परिवार से वंचित परिवार (%)	कुल परिवार से वंचित भूमिहीन परिवार (%)
गाली	61	53	29	86.89	47.54
बालोदर	162	114	23	70.37	14.20
हाहे	84	49	41	58.33	48.81
फुलांग	2	2	0	100.00	0.00
गोंदलपुरा	486	235	61	48.35	12.55

स्रोत:- सामाजिक अर्थशास्त्र और जाति जनगणना, 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

6. प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रुपरेखा

6.1. परियोजना में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण क्षेत्र।

कुल 781 प्रभावित परिवार का सर्वेक्षण किया गया जिसमे 999 पुरुष एवं 864 महिला सदस्य हैं। पुरुषों का प्रतिशत 53.62% एवं महिलाओ का 46.37% है। कुल 1863 सदस्यो में 1283 लोगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 582 लोगों की 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों का प्रतिशत 68.86 है। इसमे 781 (धारा 3 m)के अनुसार परिवार के श्रेणी में आते हैं।

तालिका:44 - प्रभावित परिवार एवं सदस्य						
ग्राम	कुल परिवार	कुल सदस्य			उम्र	
		पुरुष	महिला	कुल	18 वर्ष से अधिक	18 वर्ष से कम
गोंदलपुरा	620	799	690	1489	1014	477
गाली	90	118	99	217	158	59
बलोदर	71	82	75	157	111	46
कुल	**781**	**999**	**864**	**1863**	**1283**	**582**

6.2. आय और गरीबी का स्तर

रोजगार की स्थिति :

कुल प्रभावित पुरुष सदस्यों में 571 (57.16%) पुरुष विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। परिवार के सदस्यों की रोजगार की स्थिति विस्तार में निम्नलिखित है: अगर इसका आकलन किया जाए तो सिर्फ 15.71% पुरुष ही कृषि पर आधारित हैं, 5 व्यक्ति व्यापार एवं उद्योग में करते हैं, 31 व्यक्ति लघु व्यवसाय पर आधारित हैं।

तालिका:45 - प्रभावित सदस्यों की रोजगार की स्थिति				
रोजगार	पुरुष	%	महिला	%
कृषि	157	15.71	91	10.53
कृषि मज़दूर	74	7.41	43	4.98
अन्य मज़दूर	159	15.92	34	3.94
लघु व्यवसाय	31	3.10	2	0.23
व्यापार/उद्योग	5	0.50	0	0
सरकारी नौकरी	12	1.20	4	0.46
प्राइवेट नौकरी	66	6.61	12	1.39
घरेलू उद्योग/ कारीगर	7	0.70	161	18.63
तकनीकी	5	0.50	2	0.23
अन्य	55	5.51	8	0.93
नॉन वर्किंग	428	42.84	507	58.68
कुल	**999**	**100%**	**864**	**100**

प्रभावित परिवार के आय का स्तर :

प्रभावित व्यक्तियों के आय के स्तर में 73 (10.97 %) परिवारों की मासिक आय 5000 से कम है । 283 (42.55%) परिवारों की 5001-7000, 180 (27,06%) परिवारों की 7001 से 10000 तक, 74 (11.12%) परिवारों की 100010 से 15000 तक एवं 55 (8.30%) परिवार की आय 15001 से ज्यादा है।

तालिका:46 - प्रभावित परिवार के मासिक आय का स्तर

मासिक आय	संख्या	प्रतिशत
5000 से कम	73	10.97
5001 - 7000	283	42.55
7001 - 10000	180	27.06
10001 - 15000	74	11.12
15001 से ज़्यादा	55	8.3
कुल	**665**	**100%**

6.3. विपन्नता एवं कमजोर वर्ग

कुल 518 सर्वेक्षित प्रभावित परिवारों मे 394 परिवार विपन्नता की श्रेणी में आते हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति के 22, अनुसूचित जाति के 167 और बीपीएल 205 हैं।

तालिका:47 - प्रभावित परिवार

ग्राम	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	बीपीएल	कुल
गोंदलपुरा	19	97	150	266
गाली	0	49	50	99
बलोदर	3	21	05	29
कुल	**22**	**167**	**205**	**394**

प्रभावित परिवार की सामाजिक श्रेणी

कुल 518 परिवारों में अनुसूचित जनजाति के 22 (2.82 %), अनुसूचित जाति के 167 (21.38%) , पिछड़ी जाति के 325 (41.61%) एवं सामान्य श्रेणी के 4 (0.51%) परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सामाजिक श्रेणी की विवरणी तालिका 48 में प्रदर्शित है।

तालिका:48 - सामाजिक श्रेणी					
ग्राम	सामाजिक श्रेणी				
	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	सामान्य	कुल
गोंदलपुरा	19	97	295	4	415
गाली	0	49	12	0	61
बलोदर	3	21	18	0	42
कुल	**22**	**167**	**325**	**4**	**518**

धार्मिक स्थिति: प्रभावित क्षेत्र में हिन्दू , ईसाई एवं सिख धर्म को मानने वाले परिवार रहते है। जिनमें बहुसंख्यक हिन्दू परिवारों की संख्या 471 (90.93%), ईसाई परिवारों की संख्या 46 (8.89%) एवं सिख परिवारों की संख्या 1 (0.1%) है।

तालिका:49 - धार्मिक श्रेणी				
ग्राम	हिन्दू	सिख	ईसाई	कुल
गोंदलपुरा	377	0	38	415
गाली	52	1	8	61
बलोदर	42	0	0	42
कुल	**471**	**1**	**46**	**518**

साक्षरता का स्तर

प्रभावित सदस्यों में पुरुषों की साक्षरता महिलाओं की तुलना में अधिक है। पुरुषों में केवल 29.03% लोग निरक्षर हैं एवं केवल 6.00% लोग साक्षर हैं अर्थात लिखना पढ़ना जानते हैं एवं 64.97% लोग शिक्षित हैं। महिलाओं में 35.53% निरक्षर हैं। 7.06% केवल साक्षर एवं 57.41% शिक्षित हैं।

तालिका:50 - प्रभावित सदस्यों की साक्षरता का स्तर				
साक्षरता की स्थिति	पुरुष	%	महिला	%
निरक्षर	290	29.03	307	35.53
केवल साक्षर	60	6.0	61	7.06
प्रायमरी	220	22.02	184	21.30

हाइ स्कूल	174	17.41	112	12.96
इंटर	45	4.51	42	4.87
स्नातक	63	6.31	38	4.40
स्नातकोत्तर	2	0.2	3	0.34
तकनीकी	8	0.8	4	0.46
अन्य	137	13.72	113	13.08
कुल	**999**	**100%**	**864**	**100%**

6.4. भूमि उपयोग और आजीविका

यद्यपि तीन दशकों में कुल कार्य भागीदारी (व्यक्तियों में) में वृद्धि हुई है, कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) ने अध्ययन के दिए गए दशकों में एक लहर जैसी प्रवृत्ति दिखाई है। तालिका 1 के अनुसार, डब्ल्यूपीआर 1991 में 33.6% से बढ़कर 2001 में 52.9% हो गया और फिर घटकर 41.7% हो गया, लेकिन फिर 2011-2021 के दशक में 43.5% तक बढ़ने का अनुमान है। तालिका 3 एवं 4 में वृतरित वर्णन किया गया है।

6.5. स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

आर्थिक गतिविधियों में हाल के वरसों में बढ़ोतरी हुई है। 5 ईंट भट्टे हैं जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तालिका 51 में ये दर्शाया गया है की महिलायें गृह उद्योग में काफी अधिक हैं।

तालिका:51 - व्यवसाय

रोजगार	पुरुष	%	महिला	%
लघु व्यवसाय	31	3.10	2	0.23
व्यापार/उद्योग	5	0.50	0	0
घरेलू उद्योग/ कारीगर	7	0.70	161	18.63

6.6. स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक

मूलतः आजीविका कृषि आधारित मानी जा सकती है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य असंगठित क्षेत्र से भी जीविकाओपार्जन कर रहें हैं। पास के अंचल में कोई रोजगार कर लेते हैं। बाजार की कमी एवं संसाधनों की कमी के कारण रोजगार की कमी है।

उपभोगता स्वामित्व

उपभोगता स्वामित्व के आकलन से पता चलता है कि सभी समृद्ध परिवार हैं

तालिका:52 - उपभोगता स्वामित्व

ग्राम	हाँ/नहीं	गैस चूल्हा	टेलीफ़ोन/ मोबाइल	टेलिविजन	साइकिल	दोपहिया	तीन पहिया	चार पहिया	बस	ट्रैक्टर	अन्य
बलोदर	हाँ	36	41	25	33	22	0	0	0	1	0
	नहीं	5	0	16	8	19	41	41	41	40	41
गाली	हाँ	58	60	25	31	33	0	0	0	0	0
	नहीं	3	1	36	30	28	61	61	61	60	61
गोंदलपुरा	हाँ	379	410	288	333	290	2	14	2	21	19
	नहीं	37	6	128	83	126	414	402	414	396	397
कुल		518	518	518	518	518	518	518	518	518	518

6.7. रिश्तेदारी के पैटर्न और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

पारिवारिक स्थिति :

कुल 518 परिवारों मे 440 परिवार एकल परिवार, 73 संयुक्त परिवार एवं 5 परिवार विस्तृत परिवारों की श्रेणी में आते हैं।

तालिका:53 - परिवारों का विवरण

ग्राम	एकल	संयुक्त	विस्तृत
गोंदलपुरा	352	59	4
गाली	54	6	1
बलोदर	34	8	0
कुल	**440**	**73**	**5**

6.8. प्रशासनिक संगठन

हजारीबाग जिले का मुख्यालय हजारीबाग में है। ये पाँच गाँव बड़कागाँव सब डिविजन एवं अंचल में आते हैं एवं दो पंचायतों में पड़ता है। गोंदुलपुरा पंचायत में गोंदुलपुरा और गाली में कुल 7 गाँव हैं तथा महुगाईकरमा पंचायत में फुलांग हाहे और बलोदर में कुल 8 गाँव हैं ।

6.9. राजनीतिक संगठन

राजनैतिक दृष्टिकोण से ये सब गाँव बहुत ही सशक्त है एवं सभी राजनैतिक पार्टियां यहाँ पर सक्रिय हैं। वर्तमान में यहाँ की विधायिका काँग्रेस पार्टी से तालुक रखती हैं। मुखिया और सरपंच भी विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका अदा करतें हैं।

6.10. समुदाय आधारित और नागरिक समाज-संगठन

समुदाय आधारित भी संगठन क्रियाशील हैं एवं सिविल सोसाइटी भी जागरूक है और गाँव एवं पंचायतों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखतें हैं। सर्वेक्षण के दौरान इन लोगों से बात हुई और इन लोगों की भी बातों पर आकलन किया गया।

6.11. पर्यावरण की गुणवत्ता

इस क्षेत्र की जलवायु तीव्र ग्रीष्मकाल के साथ-साथ उष्णकटिबंधीय है। गर्मियों (मार्च से जून) के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। गर्मियों के दिन धूल भरी हवाओं के साथ गर्म होते हैं लेकिन रातें आमतौर पर सुखद होती हैं। गर्मियों का न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है । सर्दियाँ (नवंबर से फरवरी) ठंडी होती हैं और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। बारिश का मौसम आमतौर पर जून से अक्टूबर तक होता है। औसतन कुल वर्षा लगभग 1250 मि.मी. है, जिसमें से 90% वर्षा केवल वर्षा ऋतु के दौरान होती है।

7. सामाजिक प्रभाव

7.1. प्रभाव की पहचान के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

एसआईए अर्थात सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट पहले से ही उन सामाजिक नतीजों का आकलन करना चाहता है जो विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं जैसे बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बदंरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास, बिजली परियोजनाओं और हरित क्षेत्र निर्माण इकाइयों को स्थापित करने आदि के बाद होते हैं। यह एक ऐसा माध्यम या उपकरण है जो निर्णय लेने वालों को यह बता सकता है कि उनके कार्यों का क्या संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिससे उन्हें रोकने या कम से कम उन्हें सीमित करने के लिए आवश्यक कदम समय पर उठाए जा सकें। सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया मे सहायता के रूप

में, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे मे जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखा जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र के लोगों के जीवन पर असर डालता है।

सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए सिद्धातों और दिशानिर्देशों पर अंतर-संगठनात्मक समिति (आईओसीपीजीएसआईए 2003) के अनुसार सामाजिक प्रभावों की अवधारणा का एक पारंपरिक तरीका है कि निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तन लाए जाएं।

- लोगों की जीवन शैली - अर्थात वे कैसे रहते हैं, काम करते हें, खेलते हैं और दिन-प्रतिदिन एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते है
- उनकी संस्कृति - अर्थात उनकी साझा मान्याएं, रीति-रिवाज, मूल्य और भाषा या बोली
- उनका समुदाय - उसकी एकता, स्थिरता चरित्र सेवाएं और सुविधाएं

उनकी राजनीतिक व्यवस्था - जिस हद तक लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम हैं, लोकतांत्रीकरण का स्तर जो हो रहा है, और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधन।

- **उनका पर्यावरण** - लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली हवा और पानी की गुणवता उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता, खतरे या जोखिम का स्तर, धूल और शोर, वह जिसका सामना करते हैं: स्वच्छता की पर्याप्तता, उनकी शारीरिक सुरक्षा, और संसाधनों तक उनकी पहुँच कितनी है और कितना नियंत्रण है ।
- **उनका स्वास्थ्य और कल्याण** - मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण का होना है न की केवल बीमारियों या दुर्बलताओं का न होना ।
- **उनके व्यक्तिगत और संपति के अधिकार**- विशेष रूप से क्या लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हैं या व्यक्तिगत नुकसान हुआ है और जिसमें उनकी नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- **उनके डर और उनकी आकांक्षाएं**- अपनी सुरक्षा के विषय में उनकी क्या धारणाएं हैं, अपने समुदाय के भविष्य के बारे में उनके क्या डर हैं और अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएं।

सामाजिक समाघात आकलन करने की प्रक्रिया को इस तरह से बनाया गया था, जिसमें प्रस्ता वित अधिग्रहण के प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित दृष्टिकोण में शामिल किया गया था।

प्रभावों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया जा सकता है:

- अस्थायी जनसंख्या में वृद्धि के कारण नागरिक सुविधाओं (जैसे सड़क, परिवहन, संचार, जल आपूर्ति और स्वाच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजक सुविधाओं) पर दबाव पड़ना।
- लोगों और गांवों के पुनर्वास के कारण क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता में बदलाव होगा जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष हो सकते हैं।
- जमीन, मकान और अन्य संपत्ति गंवाने वाले लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। इससे गरीब होने और सीमांत पर जाने का खतरा बढ़ जाएगा।
- जो प्रभावित जनसँख्या है, उसे जो मुआवजे मिलेगा उसके कारण क्षेत्र में अचानक से ही धन का उछाल आएगा और इसके कारण बातचीत का पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि लोगों के एक निश्चित समूह पहले की तरह ही गरीब रहेगा। इससे सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है।
- स्थानीय सेवाओं और उत्पादों जैसे अंडा, मछली, सब्जियां, दूध आदि के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि।

7.2. आजीविका और आय पर प्रभाव

स्थानीय लोग आजीविका के लिए अधिकतर कृषि पर ही निर्भर हैं। हालांकि, कम कृषि उत्पादकता के कारण लोगों के लिए केवल कृषि से ही अपना जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन कार्य है। सभी प्रभावित परिवारों के सामने यह आंशका है कि उनकी आजीविका उनके हाथ से निकल जाएगी क्योंकि उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से ही प्राप्त होती है। अधिकतर लोग एक सामान्य और बस जीवन निर्वाह करने वाली ही अर्थव्यस्था में रहते हैं, जहाँ उनका गुजारा ही मुश्किल से पूरा हो पाता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें उचित क्षतिपूर्ति दी जाए और उनकी आजीविका बनी रहे इसलिए एक अच्छी तरह से तैयार योजना के माध्यम से यह निर्देशित किया जाए कि उनकी क्षतिपूर्ति की राशि का उपयोग कैसे करना है।

7.3. स्वास्थ्य पर प्रभाव

स्वास्थ्य संकेतकों के साथ-साथ स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के मामले में स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब है। अध्ययन में पाया गया कि लोग अभी भी इलाज के लिए परम्परागत पद्धतियों का ही उपयोग करते हैं। सरकारी सुविधाओं तक पहुँच का अभाव और अधिकांश ग्रामीणों द्वारा निजी क्लीनिकों तक न पहुँच पाने की जो विवशता है वह उन्हें मजबूर करती है कि वह पारंपरिक चिकित्सकों (ओझाद्व और छोलाछाप से ही इलाज कराएं।

चूंकि यहाँ पर जल निकासी की सुविधा नहीं है इसलिए विभिन्न स्रोतों से पैदा जल पोखरों में जमा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जल से होने वाले कई रोग हो जाते हैं। इस क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया, पेचिश, गैस की समस्या, पीलिया और त्वचा रोग पाई जाने वाली कुछ सामान्य बीमारियाँ थीं। बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती थी। पैथोलोजिकल परीक्षण सुविधाओं के विषय में पता ही नहीं लग पाता है। अधिकांश प्रभावित परिवार इस बात से सहमत थे कि परियोजना से होने वाले प्रदूषण के चलते स्थानीय की स्थिति प्रभावित होगी और परियोजना से इसके आसपास के लोगों के लिए अधिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा होगा।

7.4. खतरों के सम्पर्क में आने की संभावना पर प्रभाव

प्रभावित परिवारों ने यह आशंका व्यक्त की कि वह इस परियोजना के परिणामस्वरूप कई प्रकार के खतरों का सामना करेंगे। वे इस बात से सहमत थे कि इस परियोजना से उनके परिवारों में कई संबंधित बीमारियों का संक्रमण होने के कारण यह आंशका है कि उनके परिवारों में शारीरिक और सामाजिक तनाव में वृद्धि होगी और उन्हें चिंता है कि उनका स्वास्थ्य खराब होगा। विडंबना यह है कि अधिकांश प्रभावित परिवार इस बात से भी सहमत थे कि परियोजना के कारण जो आसान रूप से धन प्राप्त होगा उसके कारण यहाँ के युवा न केवल शराब बल्कि ड्रग्स का भी शिकार होंगे।

7.5. संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव

प्रभावित जनसंख्या इस बात पर सहमत थी कि यह परियोजना उनके परस्पर संबंधों को तोड़ देगी और उनके सामुदायिक जीवन को प्रभावित करेगी। अधिकतर लोगों को इस बात का भय है कि इस परियोजना से अपराध में वृद्धि होगी। यह सामाजिक एकता के विघटन में वृद्धि करेगी

और सांस्कृतिक एकीकरण में बाधा पैदा करेगी। कुछ आबादी परियोजना के पक्ष में है। उनका मानना है कि इससे प्रभावित जनसंख्या की शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के स्तर में वृद्धि होगी।

7.6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अनुभव एवं सामुदायिक धारणाएं

परियोजना से होने वाले संभावित सामाजिक प्रभावों को नीचे तालिका 54 में दिखाया गया है, जिन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् 1) परियोजना के लाभ या सकारात्मक प्रभाव और 2) परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव। यहा यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नीचे प्रस्तुत सामुदायिक धारणाएं पूरी खनन संचालन परियोजना के सम्बन्ध में है।

तालिका:54 - परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभाव

प्रमुख प्रभाव आकलन पैरामीटरर्स	परियोजना के कथित लाभ या साकारात्मक प्रभाव	परियोजना के कथित प्रतिकूल प्रभाव
आर्थिक	• परियोजना के परिणामस्वरूप हमारे पास युवाओं को प्रदान करने के लिए रोजगार के अधिक अवसर होंगे। • परियोजना के कारण बेरोजगारी में धीर-धीरे कमी आएगी। • इस परियोजना के परिणास्वरूप हमारे पास कई तरह के नए रोजगार शुरू करने के अवसर होंगे और इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। • इस परियोजना के कारण हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं।	• परियोजना के कारण कृषि उत्पादन या भूमि आधारित आय में गिरावट आएगी। • लोग आसानी से मिले धन का दुरूपयोग कर सकते हैं। • सभी वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाएगी। • लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। • कृषि दिहाड़ी मजदूरों की अनुपलब्धता बढ़ेगी।

	• हम नए घर बनाएंगे और किराए पर दे सकते हैं। • निर्माण कार्यों के लिए अवसर प्राप्त होंगे। • हम ब्याज का पैसा प्राप्त करने के लिए सारा पैसा बैंक में जमा कर देंगे। • हम परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए धन से नई जमीन खरीद सकते हैं • हम सभी आय से स्तर पर आत्मनिर्भर होंगे और यह हमारे आर्थिक स्तर को भी बदल सकता है। • लोगों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।	
सामाजिक	• परियोजना के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि से हमारी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। • पानी की कमी नहीं होगी। • हम अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। • हमारे क्षेत्र में व्यापार में वृद्धि होगी। • हमारे क्षेत्र में नि:शुल्क शिक्षा या फिर अच्छे स्कूल या कॉलेजों की उपलब्धता में वृद्धि होगी	• बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश से हमारी एकता में कमी आएगी। • लोगों के बीच गलतफहमी भी पैदा होगी। • पेय जल दूषित होने का खतरा बढ़ेगा। • क्षतिपूर्ति को राशि से युवा बिगड़ सकता है। • क्षेत्र में अपराध बढ़ने की भी आंशका है। • हमारे क्षेत्र में नशीले पदार्थों का सेवन करने लोग बढ़ेंगे। • गांव में असामाजिक तत्वों की बढ़ने की भी आंशका है।

	• इस परियोजना के कारण अब महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय करके आत्मर्निभर हो सकती हैं। • हम विकसित क्षेत्र में अपने घर का निर्माण कर सकते है।	
शिक्षात्मक	• क्षतिपूर्ति वाली राशि से हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। • बेहतर सड़क और संचार सुविधा की उपलब्धता से हमारे बच्चों के लिए भी यह सुविधा होगी कि वह आसपास के बड़े कॉलेज आदि में क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के लिए जा सकते हैं। • बेहतर शैक्षणिक संस्थान खोली जा सकती है।	•

सांस्कृतिक	• परियोजना में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने के कारण एक-दूसरे के पंरपरा एवं संस्कृति से परिचित हो सकेंगे।	• सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग शामिल नहीं होंगे • हमारी परम्पराओं से हमारे लोग दूर होंगे। • बाहरी लोगों से हमारी संस्कृति प्रभावित होगी। • हमारे गांव की कला और संस्कृति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

पर्यावरण	• वर्षा जल संरक्षण(Rain Water Harvesting) के द्वारा भूगर्भीय जल के स्तर का संरक्षण किया जायेगा। • तालाबों एवं अन्य जन स्त्रोंतो को गहरा किया जायेगा जिससे भूगर्भीय जल के स्तर में वृद्धि होगी।	• कोयले के परिवहन से गांव का वातावरण प्रदूषित होगा। प्रदूषण के कारण अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ेंगे। • तापमान में भी वृद्धि होगी। • लोग तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित होंगे। • ध्वनि प्रदूषण भी होगा। • भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़क क्षतिग्रस्त हो जाएगी। • नदी ओर तालाब का पानी प्रदूषित होगा।

8. लागत एवं लाभ का विश्लेषण तथा अधिग्रहण पर अनुशंसा

8.1. अंतिम निष्कर्ष: सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन

ये परियोजना ताप विद्युत घरों को एवं अन्य ऐसी परियोजनों को कम लागत पर घरेलू कोयला प्रदान करेगी एवं कोयला उत्खनन क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं रोजगार का सृजन होगा अतः ये परियोजना लोकहित में है। ये परियोजना अदानी इंटरप्राइजेज की ओर से किया जा रहा है, अतः धारा 2(2) के अनुसार 80 % रैयतों की सहमति चाहिए। ग्राम सभा के पश्चात इसे प्राप्त किया जाएगा और इसे सार्वजनिक उद्देश्य कहा जाएगा।

8.2. कम-विस्थापन विकल्प, भूमि की न्यूनतम आवश्यकताएं

इस उत्खनन कार्य में व्यर्थ की भूमि नहीं ली जा रही है, अतः इस दृष्टिकोण से ये न्यूनतम अर्जन है, और ये न्यूनतम विस्थापन है।

9. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन में एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स इस परियोजना के लिए बनाया गया है

परियोजना की जागरूकता: 84% प्रतिशत परिवारों को परियोजना के बारे में पता है इसका माध्यम अखबार एवं अन्य स्रोत हैं ।

तालिका:55 - परियोजना की जागरूकता

ग्राम	हाँ	नहीं	कुल
बलोदर	35	6	41
गाली	48	13	61
गोंदलपुरा	356	60	416
कुल	**439**	**79**	**518**

परियोजना से लाभ: सर्वेक्षण के दौरान 81% उत्तरदाता रोजगार में वृद्धि मानते हैं ।

तालिका:56 - परियोजना का सकारात्मक प्रभाव

ग्राम	कोई जवाब नहीं	रोजगार एवं जमीन की कीमत में बढोत्तरी	आर्थिक और रोजगार के अवसरों एवं सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि	आर्थिक और रोजगार के अवसरों तक पहुंच एवं, भूमि की कीमतों में वृद्धि	सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच एवं भूमि की कीमतों में वृद्धि	कुल
बलोदर	7	35	0	0	0	41
गाली	13	47	0	0	0	61
गोंदलपुरा	66	341	2	2	5	416
कुल	**86**	**423**	**2**	**2**	**5**	**518**

परियोजना के नकारात्मक प्रभाव :

82% उत्तरदाताओं ने भूमि का नुकसान (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी का प्रवाह, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, सड़क में वृद्धि दुर्घटनाओं को नकारात्मक प्रभाव माना। तालिका 57 में आकलन प्रदर्शित है।

तालिका:57 - परियोजना के बारे में नकारात्मक प्रभाव							
ग्राम	**भूमि का नुकसान (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी का प्रवाह, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, सड़क में वृद्धि दुर्घटनाओं**	**भूमि का नुकसान (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी की आमद, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि**	**भूमि की हानि (उत्पादक), मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि)**	**मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव (सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बाहरी आबादी की आमद, एचआईवी / एड्स के प्रति संवेदनशीलता, आदि बाहरी आबादी की आमद के कारण, बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि)**	**बाहरी आबादी की आमद, एचआईवी/एड्स के प्रति संवेदनशीलता, बाहरी आबादी की आमद के कारण, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि**	**कोई जवाब नहीं**	**कुल**
बलोदर	35	0	0	0	0	6	41
गाली	47	0	0	0	0	14	61
गोंदलपुरा	343	3	1	1	3	65	416
कुल	**425**	**3**	**1**	**1**	**3**	**85**	**518**

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति को पूर्ववत बहाल रखने या उससे बेहतर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड एलएआरआर के अनुसार कई प्रावधान हैं।

क्षतिपूर्ति राशि :

क. प्रभावित परिवारों को भूमि की हानि पर 2022 के सर्किल रेट के अनुसार उससे चौगुना राशि दी जाएगी। गोंदलपुरा, गाली, एवं बलोदर ग्रामीण कृषि क्षेत्र में आता है किन्तु ग्रामीणों से विचार विमर्श के दौरान लोगों का कहना था कि यह दर कम है और कोयला उत्खनन इन्डस्ट्रीअल कार्य है अतः दर उसी तरह से निर्धारित किया जाए। तालिका 58 में सर्कल रेट दर्ज है। भूअर्जन कानूनों की धारा 26 में दर निर्धारण की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है अतः उसे ध्यान में रखते हुए दर का निर्धारण किया जाएगा। तीनों गाँव एक दूसरे से सटे हुए हैं अतः दर निर्धारण में इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा ।

तालिका: 58 - सर्कल दर		
	गोंदलपुरा	**दर**
1	ग्रामीण कृषि	3,77,000
	ग्रामीण आवासीय	7,54,000
	ग्रामीण व्यावसायिक	11,31,000
	ग्रामीण इन्डस्ट्रीअल	5,66,000
2	**गाली**	
	ग्रामीण कृषि	2,88,000
	ग्रामीण औद्योगिक	4,32,000
	ग्रामीण आवासीय	5,76,000
	ग्रामीण व्यावसायिक	8,64,000
3	**बलोदर**	
	ग्रामीण कृषि	2,44,000
	ग्रामीण औद्योगिक	3,66,000
	ग्रामीण आवासीय	4,88,000
	ग्रामीण व्यावसायिक	7,32,000

ख. संरचना की हानि होने पर भी पीडबल्यूडी द्वारा तय दर से दुगुनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

ग. वृक्ष की हानि पर प्रचलित बाज़ार मूल्य पर क्षतिपूर्ति राशि।

सहायता राशि : पुनर्वास नीति के तहत निम्न सहायता राशि देने का प्रावधान है:

1. पुनर्वास सहायता राशि - रु 50,000
2. विपन्नता सहायता राशि - रु 50,000 (बीपीएल,अनुसूचित जनजाति, अनुसूचितजाति, महिला संपोषित परिवारएवं वृद्ध)
3. पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च - रु 25,000
4. कारीगरों /छोटे व्यापारियों को एकमुश्त अनुदान - रु 25,000
5. विस्थापित कुटुंब के लिए परिवहन खर्च - रु 50,000
6. विस्थापित कुटुंब के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान - प्रतिमाह 3000 की दर से 36,000 रु

7. वार्षिकी या नियोजन का विकल्प : प्रति प्रभावित कुटुंब 5,00,000/-

इन प्रावधानों के अलावा निम्न बिंदुओं पर भी नीति बनाई जाएगी

घ. स्वास्थ्य सुरक्षा : गाँव के कुछ व्यक्तियों को ट्रेनिंग देकर उप स्वास्थ्य कर्मी बनाना। गाँव में एम्बुलेंस देना इत्यादि

ङ. पर्यावरणीय सुरक्षा : ग्रामीणों को उत्प्रेरित कर उनके माध्यम से पर्यावरणीय सुरक्षा कराई जाएगी

च. जंगल से चार पत्ती के हानी के लिए चार पत्ती का मुआवजा कुल 5 सालों के लिए एवं चार पत्ती के लिए जग सुनिश्चित कर उसका उत्पादन।

न्यूनतम भूअर्जन:

यह उत्खनन कार्य में व्यर्थ की भूमि नहीं ली जा रही है, अतः इस दृष्टिकोण से ये न्यूनतम अर्जन है।

तालिका:59 - विभिन्न भूमि उपयोग

क्रम संख्या	भूमि	रकबा (हे)
1	**कुल वन भूमि**	**219.65**
2	**गैर मजूरवा**	**70.95**
	रैयती	**222.58**

विभिन्न कम्पोनेन्ट में उपयोग में लाने वाले भूमि का विवरण नीचे **तालिका 60** में वर्णित है।

S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)	Total (ha)
1	External OB Dump Area Outside of Block	65.23	38.03	103.26
2	External OB Dump Area Within block	24.59	1.5	26.09
3	Excavation Area	100.39	225.62	326.01
4	Safety Zone	2.6	3.9	6.5
5	Settling pond	2.2	0	2.2

6	Road & Infrastructure area	10.12	2.68	12.8
7	Embankment	2.3	16.24	18.54
8	Green Belt	10.69	0	10.69
9	Water Reservoir/River	0	5.56	5.56
10	Garland Drain	1.53	0	1.53
	Total	**219.65**	**293.53**	**513.18**

उपयुक्त संरेखण:

क्योंकि यह उत्खनन कोल ब्लॉक भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है अतः इसमें कोई फेर बदल संभव नहीं है। अतः यह सबसे उपयुक्त संरेखण है ।

बहु फसल पर प्रभाव:

इस परियोजना में बहुफसलीय भूअर्जन नहीं किया जा रहा है। इसका प्रमाण पत्र कृषि विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

विस्थापन:

इस परियोजना से कुल 781 परिवार विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कालोनी में बसाया जाएगा। अभी इसका जगह प्रस्तावित नहीं किया गया है। पुनर्वास कालोनी के बनाने के क्रम में इसका डिजाइन आर आर कमिटी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

लागत लाभ अनुपात:

इस परियोजना से लागत लाभ अनुपात धनात्मक है। कुल लाभ प्रभावित व्यक्तियों के सकल आय में बढ़ोतरी करेगी इस परियोजना से विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना है। नैशनल स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से जोड़ कर प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। झारखंड रोजगार नियमावली के अनुसार कंपनी में भी स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करना है।

परियोजना विशिष्ट पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति

अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) नीति अनैच्छिक पुनर्वास पर परिचालन नीतियाँ RFCTLARRA 2013 पर आधारित है । नीति में निर्धारित व्यापक

रूपरेखा के आधार पर कार्य योजना तैयार की गई है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) नीति का सिद्धांत परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए एक विकास दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक है। परियोजना विशिष्ट पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) नीति यह मानती है कि अनैच्छिक पुनर्वास के परिणामस्वरूप मौजूदा उत्पादन प्रणाली और जीवन शैली को समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए, सभी पुनर्वास कार्यक्रम कल्याण दृष्टिकोण के बजाय विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। नीति परियोजनाओं के दौरान परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के घरों और आजीविका को फिर से स्थापित करने में सहायता का विवरण देती है। अनुमोदित नीति में दिए गए एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

तालिका: 61 - एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स

क्रमांक	आवेदन	हकदार इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
A. निजी कृषि, घरेलू और वाणिज्यिक भूमि की हानि				
1	भूमि	शीर्षक धारक परिवार। और पारंपरिक भूमि वाले परिवार अधिकार	बाजार मूल्य पर मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वास	क) भूमि के लिए भूमि, यदि उपलब्ध हो। या, प्रतिस्थापन मूल्य पर भूमि के लिए नकद मुआवजा, जो कि RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत निर्धारित किया जाएगा। ख) यदि भूमि आवंटित की जाती है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम होगी। ग) यदि अधिग्रहण के बाद, बची हुई भूमि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है, तो भूमि मालिक के पास भूमि को बनाए रखने या बेचने का विकल्प होगा। घ) परियोजना द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रतिस्थापन भूमि के लिए किए गए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की वापसी ; परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रतिस्थापन भूमि खरीदी जानी चाहिए। ङ) 36000 रुपये का निर्वाह भत्ता एकमुश्त अनुदान के रूप में । च) 500,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान या वार्षिकी । छ) फसलों के नुकसान के लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा, यदि कोई हो
B. निजी संरचनाओं का नुकसान (आवासीय/वाणिज्यिक)				
2	संरचना	शीर्षक धारक / स्वामी	बाजार मूल्य पर मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वास सहायता	क) प्रतिस्थापन मूल्य पर संरचना के लिए नकद मुआवजा जो RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ख) पुनर्वास कॉलोनी में विस्थापितों एक निर्मित घर। यदि मकान आवंटित किया जाता है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। ग) ध्वस्त संरचनाओं से सामग्री के निस्तारण का अधिकार। घ) संरचनाओं को खाली करने के लिए दो महीने का नोटिस। ङ) नए वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की वापसी, जैसा कि ऊपर (A) में निर्धारित है , बाजार मूल्य पर प्रचलित दरों पर। मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर वैकल्पिक मकान/दुकानें खरीद ली जानी चाहिए।

तालिका: 61 - एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स

क्रमांक	आवेदन	हकदार इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				च) आंशिक रूप से प्रभावित संरचनाओं के मामले में और शेष संरचना व्यवहार्य रहती है, संरचना को बहाल करने के लिए अतिरिक्त 10%। आंशिक रूप से प्रभावित संरचनाओं के मामले में और शेष संरचना अव्यवहार्य हो जाती है, मुआवजे की राशि का अतिरिक्त 25% विच्छेद भत्ता के रूप में। छ) रुपये के बराबर निर्वाह भत्ता। 36000 एकमुश्त अनुदान के रूप में। ज) विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को एकमुश्त 50,000 रुपये स्थानांतरण भत्ता की वित्तीय सहायता मिलेगी। झ) प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित है और जिसके पास मवेशी हैं, को मवेशी शेड के निर्माण के लिए 25,000/- रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। ञ) 50,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान पुनर्वास सहायता के रूप में ट) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो एक ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वरोजगार व्यक्ति है और जो विस्थापित हो गया है (इस परियोजना में किसी आवासीय-सह-वाणिज्यिक संरचना के मालिक) को 25,000/- रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी। वर्किंग शेड या दुकान का निर्माण। ठ) 500,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान या नौकरी एक व्यक्ति को प्रत्येक प्रभावित परिवार से जहां तक नौकरी संभव होगा,अन्यथा रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का खर्च प्रयोक्ता एजेंसी वहन करेगी।
3	संरचना	किरायेदार / पट्टा धारक	पुनर्वास और पुनर्वास सहायता	क) पंजीकृत पट्टेदार लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय मुआवजे के विभाजन के हकदार होंगे। ख) किरायेदारों के मामले में, स्थानांतरण भत्ता के लिए 50,000 रुपये के साथ तीन महीने का लिखित नोटिस प्रदान किया जाएगा ।
C. पेड़ों और फसलों का नुकसान				
4	खड़े पेड़, फसलें।	मालिक और लाभार्थी (पंजीकृत / अपंजीकृत किरायेदार, अनुबंध किसान, पट्टाधारक और बटाईदार	बाजार मूल्य पर मुआवजा	क) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को फल काटने, खड़ी फसल और पेड़ों को हटाने के लिए तीन महीने की अग्रिम सूचना। ख) मुआवजे की अनुमानित दर पर निम्नलिखित अनुसार भुगतान किया जाना है: i. लकड़ी के पेड़ों के लिए वन विभाग ii. फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग iii. फल/फूल वाले वृक्षों के लिए उद्यान विभाग । ग) पंजीकृत काश्तकार, अनुबंधित किसान और पट्टाधारक और बटाईदार मालिक और लाभार्थियों के बीच समझौते के दस्तावेज के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के पात्र होंगे। घ) अपंजीकृत काश्तकार, ठेके पर खेती करने वाले, पट्टाधारक और बटाईदार मालिक और लाभार्थियों के बीच आपसी समझ के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के पात्र होंगे।
D. गैर-शीर्षक धारकों को आवासीय/वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान				
5	सरकारी भूमि पर संरचनाएं	परियोजना जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार पहचान की गई संरचनाओं के मालिक या	पुनर्वास और पुनर्वास सहायता	क) गैर संवेदनशील अतिक्रमणकारियों को कब्जे वाली जमीन खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा ख) कमजोर अतिक्रमणकारियों/ निपटानों को RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 में वर्णित संरचनाओं के नुकसान के लिए प्रतिस्थापन लागत पर नकद सहायता प्रदान की जाएगी।

तालिका: 61 - एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स

क्रमांक	आवेदन	हकदार इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
		संरचनाओं के मालिक		ग) किसी भी अतिक्रमणकर्ता की पहचान गैर-संवेदनशील के रूप में की जाती है, लेकिन उपयोग की गई संरचना का 25% से अधिक खो जाने पर संरचनाओं के नुकसान के लिए प्रतिस्थापन लागत पर नकद सहायता का भुगतान किया जाएगा। राशि का निर्धारण RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 के अनुसार किया जाएगा। घ) सभी अवैध निवासियों को उनकी संरचनाओं के लिए प्रतिस्थापन लागत पर नकद सहायता का भुगतान किया जाएगा जो कि RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 29 में उल्लिखित के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ङ) कियोस्क के अलावा अन्य सभी निवासियों को स्थायी संरचना के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में 50,000 रुपये प्रति परिवार और रुपये का स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा । अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 30,000 और रु 10,000 एक अस्थायी संरचना के लिए । च) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो एक ग्रामीण कारीगर, छोटा व्यापारी या स्वरोजगार व्यक्ति है, को कार्यशील शेड की दुकान के निर्माण के लिए रु 25,000/- की सहायता। छ) कियोस्क के मामले में, केवल रु. 5000 एकमुश्त अनुदान के रूप में भुगतान किया जाएगा।
E. आजीविका की हानि				
6	प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार	शीर्षक धारक/ गैर-ख़िताबी धारक/ बटाईदार, कृषि मजदूर और कर्मचारियों	पुनर्वास और पुनर्वास सहायता	क) 36,000 रुपये का निर्वाह भत्ता, एकमुश्त अनुदान के रूप में। (उपरोक्त 1(च), 2(च) और 5(ङ) के अंतर्गत आने वाले PAP इस सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। ख) प्रति परिवार आय सृजन के लिए 25,000/- रुपये की प्रशिक्षण सहायता । ग) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को परियोजना निर्माण कार्य में अस्थायी रोजगार, निर्माण के दौरान परियोजना ठेकेदार द्वारा कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए, जहां तक संभव हो।
F. कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता				
7	परिवार	एससी, एसटी , बीपीएल, डब्ल्यूएचएच परिवार	पुनर्वास और पुनर्वास सहायता	50,000 रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता। खंड 5 के तहत पहले से ही आच्छादित अतिक्रमण करने वाले और अतिक्रमण करने वाले इस सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।
G. सामुदायिक अवसंरचना/सामान्य संपत्ति संसाधनों की हानि				
8	संरचनाएं और अन्य संसाधन (जैसे भूमि, पानी, संरचनाओं आदि तक पहुंच)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक संरचना का पुनर्निर्माण और • सामान्य संपत्ति संसाधन	समुदाय के परामर्श से सामुदायिक संरचना और सामान्य संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण।
H निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
9	भूमि और संपत्ति अस्थायी रूप से असर पड़ा दौरान निर्माण	जमीन के मालिक और संपत्तियां	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव के लिए मुआवजा जैसे सामान्य यातायात का मोड़, भारी परिवहन के कारण भूमि / संपत्ति के आसन्न पार्सल को नुकसान	'ठेकेदार' और 'प्रभावित पार्टी' के बीच पूर्व समझौते के अनुसार संपत्ति, फसलों और किसी भी अन्य क्षति के नुकसान के लिए ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाना है ।

तालिका: 61 - एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स				
क्रमांक	**आवेदन**	**हकदार इकाई की परिभाषा**	**पात्रता**	**विवरण**
			मशीनरी और संयंत्र स्थल।	
I पुनर्वास स्थल				
10	आवासीय संरचनाओं का नुकसान	विस्थापित शीर्षकधारक और गैर-शीर्षक धारक	पुनर्वास स्थल/विक्रेता बाजार का प्रावधान	यदि कम से कम 25 परियोजना विस्थापित परिवार सहायता प्राप्त पुनर्वास का विकल्प चुनते हैं, तो परियोजना के हिस्से के रूप में पुनर्वास स्थलों को विकसित किया जाएगा। पुनर्वास स्थल पर भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन में कमजोर पीएपी को वरीयता दी जाएगी। प्लॉट का आकार RFCTLARR अधिनियम 2013 में दिए गए अधिकतम प्रावधान के अधीन खोए हुए आकार के बराबर होगा। RFCTLARR अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास स्थल पर परियोजना द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । इसी तरह, यदि कम से कम 25 विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान (लघु व्यवसाय उद्यम) खरीददारी इकाइयों का चयन करते हैं, परियोजना प्राधिकरण विस्थापित व्यक्तियों के परामर्श से निकटवर्ती क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर विक्रेता बाजार का विकास करेगा। परियोजना द्वारा वेंडर मार्केट में अप्रोच रोड, बिजली कनेक्शन, पानी और स्वच्छता की सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन में कमजोर पीएपी को वरीयता दी जाएगी। एक विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल या विक्रेता बाजार में दुकान पर केवल एक भूमि भूखंड के लिए पात्र होगा।

लिंग कार्य योजना

हालांकि महिलाएं कुल आबादी का आधा हिस्सा हैं, फिर भी समाज में लैंगिक भेदभाव कायम है। ज्ञान, आर्थिक संसाधनों, राजनीतिक शक्ति और निर्णय लेने में व्यक्तिगत स्वायत्तता तक उनकी पहुंच के संबंध में भारत और झारखंड में महिलाओं की स्थिति काफी कम है। शादी के बाद बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है। महिलाओं के पास अभी भी उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण का अभाव है। सभी सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में महिलाएं अपने पुरुष समकक्ष की तुलना में अधिक वंचित साबित हुई हैं और यहां तक कि महिला विधवाओं, अलग, तलाकशुदा और महिला मुखिया वाले घरों में भी विशेष रूप से कमजोर हैं। इसी तरह, सभी समूहों में महिलाओं की आर्थिक संसाधनों और आजीविका विकल्पों तक सीमित पहुंच के कारण उन्हें समान रूप से कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो गंभीर गरीबी का सामना करने के लिए स्थायी जोखिम में हैं। कुल महिलाओं में से पच्चीस प्रतिशत से अधिक श्रम शक्ति में हैं, लेकिन महिलाओं के आर्थिक योगदान पर किसी का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उनकी

पारंपरिक भूमिका को हल्के में लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में, वे घरेलू और पारंपरिक नौकरियों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र में, ज्यादातर निम्न-स्तर के पदों पर कार्यरत थे।

महिलाओं की स्थिति का एक ठोस माप उनकी शैक्षिक प्राप्ति थी। यद्यपि संविधान महिलाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, लेकिन कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों ने लड़कियों के नामांकन में कमी और उच्च विद्यालय छोड़ने की दर में योगदान दिया है। निरक्षरता ने महिलाओं के लिए समान अवसर और स्थिति को बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा लगाई। वे पितृसत्तात्मक समाज द्वारा लगाए गए दुष्चक्र में फंस गए। उनकी निम्न स्थिति ने उनकी शिक्षा में बाधा डाली, और शिक्षा की कमी ने बदले में, उनकी स्थिति और स्थिति को सीमित कर दिया। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, 1990 के दशक की शुरुआत में यह स्तर पुरुष स्तर से बहुत कम था।

परियोजना में महिलाओं की भागीदारी:

चूंकि महिलाएं अलग-अलग घरों, जातियों, समुदायों और क्षेत्रों में स्थित हैं और अलग-अलग रीति-रिवाजों, प्रथाओं और सत्ता के ढांचे से बंधी हैं, वे शायद ही कभी खुद को समान मांगों और जरूरतों वाले समूह के रूप में देखती हैं। वे अक्सर उन निर्णयों द्वारा शासित होती हैं जो अन्य उनकी ओर से लेते हैं जिनका निर्विवाद रूप से पालन किया जाता है। भारत में एक तिहाई से अधिक विवाहित महिलाएं घरेलू स्तर पर निर्णय लेने में भाग लेती हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए विश्लेषण से संकेत मिलता है कि महिलाएं समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी समाज में उनकी स्थिति बहुत कम है और घरेलू संसाधनों पर उनका बहुत कम नियंत्रण है; काफी स्वास्थ्य खतरा; और गरीबी। इसलिए यह माना गया है कि विश्व बैंक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किसी भी उप परियोजना को ऐसे लैंगिक मुद्दों और असमानताओं को संबोधित और एकीकृत करना चाहिए।

महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों पर प्रभाव:

महिलाओं और हाशिए के कमजोर समूहों को सीमित आय और संसाधनों पर घर चलाने की अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यह महिलाओं के साथ-साथ बच्चों को घरेलू आय के पूरक के लिए अनैच्छिक कार्यों में भाग लेने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे

महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक पूंजी/नेटवर्क भी खराब हो सकता है, जिससे वे सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए परियोजना प्रभावित महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों की स्थिति, उनके संभावित प्रभावों का आकलन करना और तदनुसार एक उपयुक्त रणनीति/योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है।

महिला मुखिया परिवार

केवल दो सीधे प्रभावित PAP हैं, हालांकि प्रभाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जिन पर परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान ध्यान देने की आवश्यकता है।

परियोजना में महिलाओं की भागीदारी

विकास के अनुभव से पता चलता है कि महिलाओं से परामर्श करना और उन्हें सूचित विकल्प बनाने और अपने स्वयं के विकास के लिए निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें विकल्प प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है:

तालिका: 62 - परियोजना में महिलाओं की भागीदारी

महत्वपूर्ण संकेतक	परियोजना द्वारा उठाए गए कदम
सभी बैठकों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उपस्थिति	जो भी बैठकें हुईं, उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बैठकें/परामर्श ऐसे समय आयोजित किए जाते हैं जब महिलाओं को भाग लेना सुविधाजनक लगता है, ताकि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
बैठकों का स्थान महिलाओं के साथ चर्चा पर आधारित होता है ताकि वे अपनी चर्चाओं में स्वतंत्र और निर्बाध महसूस कर सकें।	बैठक स्थल का चयन आम तौर पर प्रतिभागियों द्वारा किया जाता था। बैठकें प्रभावित प्रभाव क्षेत्र के भीतर हुईं।
कार्यान्वयन और निगरानी में महिलाओं की भागीदारी और भागीदारी सुनिश्चित करना।	महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में केवल टोकन के रूप में स्थितियों से बचने के लिए, महिलाओं को गतिविधियों की प्राथमिकता और उनके कार्यान्वयन की निगरानी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निगरानी और मूल्यांकन के लिए महिलाओं की भागीदारी की गुंजाइश होगी। महिलाओं को लाभ से संबंधित

तालिका: 62 - परियोजना में महिलाओं की भागीदारी	
महत्वपूर्ण संकेतक	**परियोजना द्वारा उठाए गए कदम**
	परियोजना इनपुट की निगरानी में उनकी भागीदारी को आमंत्रित करना चाहिए जिससे प्रक्रिया उनके लिए और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। महिलाओं को उनके दृष्टिकोण से परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहतर और अनुकूल स्थिति बनाने के लिए परियोजना में आगे संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनके उपयोगी सुझावों को नोट किया जाना चाहिए।
सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं को शामिल करना	प्रत्येक परिवार के लिए लिंग-पृथक डेटा एकत्र किया गया था जिसमें शामिल हैं; संसाधनों का स्वामित्व और उपयोग; वित्त और संसाधन उपयोग के संबंध में निर्णय लेना; महिलाओं की औपचारिक और अनौपचारिक आय-अर्जन गतिविधियाँ; दैनिक जीवन, पशुधन, घर के बगीचे आदि के लिए नदी पर महिलाओं की निर्भरता की सीमा; तथा महिलाओं का कौशल।

निर्माण गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी

निर्माण ठेकेदार अपने निर्माण शिविरों को चिन्हित स्थानों पर स्थापित करेगा जहाँ निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक श्रम बल को अस्थायी आवासीय आवास और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक श्रम बल ज्यादातर उच्च-कौशल प्रकृति का होगा क्योंकि परियोजना में बहुत सारे मशीनी काम शामिल होंगे। साथ ही अकुशल श्रम की आवश्यकता होगी जहां महिलाएं निश्चित रूप से योगदान देंगी। इसके अलावा कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के परिवार की सदस्य के रूप में महिलाएं भी निर्माण शिविरों में रहेंगी और निर्माण चरण के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगी।

श्रमिक परिवारों में उनके बच्चे भी शामिल होंगे। निर्माण ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने श्रम बल को साथ लाएगा। इस प्रकार, ज्यादातर मामलों में मजदूर, पुरुष और महिला दोनों, प्रवासी मजदूर होंगे। लेकिन, स्थानीय श्रम बल की भागीदारी, विशेष रूप से अकुशल गतिविधियों के लिए, पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, स्थानीय श्रम शक्ति में स्थानीय महिलाओं की भी भागीदारी होगी। निर्माण गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए, निर्माण चरण के दौरान विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण और कल्याण के लिए कुछ उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

निर्माण शिविर में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

यह इंगित करने की आवश्यकता है कि परिवार के पुरुष सदस्य के साथ-साथ निर्माण कार्य में लगे हो सकते हैं और अमानवीय स्थिति में अस्थायी निर्माण शिविरों में रह सकते हैं। उन्हें कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की संभावना है और इसे महसूस करते हुए, निर्माण शिविर में रहने वाली सभी महिलाओं और बच्चों को कवर करने के लिए इस खंड के तहत उल्लिखित कई कल्याणकारी प्रावधानों की योजना बनाई गई है।

अस्थाई आवास

निर्माण कार्य चरण के दौरान, मजदूरों/श्रमिकों के परिवारों को एकल परिवारों के लिए उपयुक्त आवासीय आवास प्रदान किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य केंद्र

निर्माण शिविर के लिए अस्थाई रूप से स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक विजिटिंग डॉक्टर, नर्स, सामान्य ड्यूटी स्टाफ, मुफ्त दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं या मामूली आकस्मिक मामलों से निपटने के लिए न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए, बड़ी बीमारियों और गंभीर मामलों के रोगियों को रेफर करने के लिए निकटतम उच्च क्रम के अस्पताल से जुड़ाव होना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के लिए आवश्यक नियमित टीकाकरण की व्यवस्था की जाए।

डे क्रेच सुविधाएं

यह उम्मीद की जाती है कि महिला श्रमिकों में शिशुओं और छोटे बच्चों वाली माताएँ होंगी। एक दिवसीय क्रेच के प्रावधान से ऐसी महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो सकता है जो अपने बच्चों को ऐसे क्रेच में छोड़कर निर्माण गतिविधियों में दिन भर काम कर सकती हैं। क्रेच में बच्चों की देखभाल के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए। कार्यकर्ता, अधिमानतः महिलाएं, बच्चों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकती हैं। आपात स्थिति में, प्रशिक्षित होने के कारण, वह बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपट सकती है और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से जुड़कर उपचार की व्यवस्था कर सकती है ।

निर्माण कार्यों का उचित निर्धारण

तेजी से निर्माण कार्य की मांग के कारण 24 घंटे लंबे कार्य शेड्यूल के संचालन में आने की उम्मीद है। महिलाओं को जहां तक हो सके रात्रि पाली के कार्यों से छूट दी जानी चाहिए।

शिक्षा सुविधाएं

निर्माण श्रमिक मुख्य रूप से लोगों के मोबाइल समूह हैं। वे अपने परिवारों को साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते पाए जाते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों को उनके काम के स्थान पर शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए निर्माण शिविरों के पास कम से कम प्राथमिक विद्यालयों की योजना बनाने की आवश्यकता है। जहां भी संभव हो, प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं के साथ डे क्रेच सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है ।

एसटीडी और एड्स को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय

एकान्त वयस्क पुरुष आमतौर पर निर्माण शिविरों की श्रम शक्ति पर हावी होते हैं। वे यौन संचारित रोगों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्माण शिविरों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में वे विभिन्न महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते पाए जाते हैं। यह अस्वास्थ्यकर यौन व्यवहार एसटीडी और एड्स को जन्म देता है। हालांकि इस तरह की गतिविधियों को रोकना मुश्किल है, लेकिन ऐसी बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों के लिए प्रावधान करना बुद्धिमानी है। निर्माण शिविर और आसपास के गांवों में भी लक्षित लोगों के लिए जागरूकता शिविर, और पुरुष श्रमिकों को रियायती दर पर कंडोम की आपूर्ति इस संबंध में घातक बीमारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक मदद कर सकती है।

महिला भागीदारी के संभावित क्षेत्र

परियोजना के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को शामिल करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए हैं ।

कार्यान्वयन के दौरान प्रबंधक के रूप में महिलाएं

परियोजना आरएपी को लागू करने के लिए एक स्थानीय एनजीओ को काम पर रख सकती है। यह प्रस्तावित है कि एनजीओ को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

कि एनजीओ को प्रमुख कर्मियों के हिस्से के रूप में कम से कम एक महिला का प्रस्ताव देना चाहिए। प्रस्तावित महिला प्रमुख व्यक्ति अनुबंध की अवधि के कम से कम 50% के लिए साइट पर काम करने के लिए उपलब्ध होगा।

अनुबंध के लिए चयनित महिला प्रमुख व्यक्तियों को अनुबंध की अवधि के दौरान केवल समकक्ष योग्यता और अनुभव वाली महिला प्रमुख व्यक्तियों के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

यह कि एनजीओ साइट पर काम करने के लिए एक 'तकनीकी/पेशेवर' टीम की प्रतिनियुक्ति करेगा, जिसमें कम से कम 33 प्रतिशत महिला सदस्य शामिल होंगी। कनिष्ठ सहायक कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को तकनीकी/पेशेवर नहीं माना जाएगा।

परियोजना चक्र में लैंगिक मुद्दों को संबोधित करना

योजना गतिविधियों और कार्यक्रमों के एक सेट के माध्यम से विभिन्न लिंग संबंधी मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करती है। विभिन्न संस्थागत खिलाड़ियों की भूमिकाओं को निर्दिष्ट करने वाले कार्यान्वयन तंत्र, आगे के मूल्यांकन के लिए संकेतक और सत्यापन के साधन निर्दिष्ट किए गए हैं। जेंडर विकास योजना को एक समयबद्ध पहल बनाने के लिए प्रत्येक गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए एक समय सीमा भी निर्दिष्ट की गई है ।

तालिका: 62 - परियोजना चक्र में जेंडर मुद्दे

क्रमांक	मुद्दा	गतिविधियां	कार्यान्वयन	संकेतक	की गई कार्रवाई / सत्यापन के साधन	समय सीमा
परियोजना योजना चरण						

तालिका: 62 - परियोजना चक्र में जेंडर मुद्दे						
क्रमांक	**मुद्दा**	**गतिविधियां**	**कार्यान्वयन**	**संकेतक**	**की गई कार्रवाई / सत्यापन के साधन**	**समय सीमा**
1	परियोजना क्षेत्र की महिलाओं ने दी परियोजना की जानकारी	परियोजना के बारे में सूचना अभियान (सार्वजनिक परामर्श, लिखित सामग्री और समाचार पत्र) सभी स्तरों पर महिलाओं / ग्राहकों तक पहुँचता है	परियोजना और सलाहकार	परियोजना के मुख्य तत्वों से परिचित महिलाएं	RAP . में बताए अनुसार महिला परामर्श किया गया	जनगणना सर्वेक्षण के दौरान
2	परियोजना नियोजन प्रक्रिया में सभी स्तरों पर महिलाएं भाग लेती हैं	अदानी में कार्यरत लिंग/सामाजिक विशेषज्ञ परियोजना महिला पीएपी से नियमित आधार पर मिलती है	परियोजना कार्यालय;	आयोजित महिला परामर्शों की संख्या महिलाओं की टिप्पणियां और सुझाव योजनाओं और डिजाइनों में परिलक्षित होते हैं या वे कारणों को समझते हैं कि सुझावों को शामिल	सामुदायिक बैठकों के रिकॉर्ड जैसा कि आरएपी में संलग्न है	परियोजना की तैयारी के दौरान

तालिका: 62 - परियोजना चक्र में जेंडर मुद्दे						
क्रमांक	**मुद्दा**	**गतिविधियां**	**कार्यान्वयन**	**संकेतक**	**की गई कार्रवाई / सत्यापन के साधन**	**समय सीमा**
				क्यों नहीं किया गया।		
3	प्रमुख हितधारक परियोजना में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं से पूरी तरह अवगत हैं	प्रमुख हितधारकों की लैंगिक जागरूकता/सुग्राहीकरण एनजीओ में कार्यरत योग्य महिलाएं	परियोजना और सलाहकार	जेंडर एक्शन प्लान तैयार एनजीओ के संदर्भ की शर्तों के हिस्से के रूप में एनजीओ सर्वेक्षण टीम में महिला कर्मचारी		
परियोजना कार्यान्वयन चरण						
1	महिलाएं प्रबंधन और कार्यान्वयन की निगरानी में भाग लेती हैं और मुद्दों को सुलझाने में समान भागीदार होती हैं	परियोजना कार्यालय में सूचना के साथ सूचना डेस्क; ठेकेदार, पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, परियोजना में जिम्मेदार लोग, कार्य अनुसूची, और जहां मुद्दों को उठाना है।	परियोजना, गैर सरकारी संगठन, एम एंड ई सलाहकार, निर्माण पर्यवेक्षण सलाहकार	एनजीओ टीम, एम एंड ई टीम और सीएससी टीम में महिला सदस्य। परामर्श में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या	एनजीओ की प्रगति रिपोर्ट एम एंड ई रिपोर्ट, सीएससी प्रगति रिपोर्ट स्थानीय समुदाय के माध्यम से प्रतिक्रिया	पुनर्वास की शुरुआत में शुरू होता है और कार्यान्वयन चरण के माध्यम से जारी रहता है

तालिका: 62 - परियोजना चक्र में जेंडर मुद्दे						
क्रमांक	**मुद्दा**	**गतिविधियां**	**कार्यान्वयन**	**संकेतक**	**की गई कार्रवाई / सत्यापन के साधन**	**समय सीमा**
2	सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन	घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर सरल निगरानी प्रारूप विकसित करें परियोजना के प्रभावों के बारे में लिंग के आधार पर अलग-अलग जानकारी एकत्र करें	परियोजना और एनजीओ	महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने की संख्या गठित महिला विशिष्ट एसएचजी की संख्या। आय सृजन गतिविधियों में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	एम एंड ई, एनजीओ प्रगति रिपोर्ट द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट	कार्यान्वयन से पहले आधार रेखा। सहमत अंतराल पर बाद के आकलन
परियोजना के पूरा होने के बाद						
1	आर्थिक प्रभावों का आकलन	परियोजना के प्रभावों के बारे में लिंग के आधार पर अलग-अलग जानकारी एकत्र करें	परियोजना और एनजीओ।	सक्रिय एसएचजी की संख्या आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	एम एंड ई, एनजीओ की वापसी रिपोर्ट द्वारा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट	परियोजना के पूरा होने के बाद अंतिम प्रभाव मूल्यांकन

तालिका: 62 - परियोजना चक्र में जेंडर मुद्दे						
क्रमांक	**मुद्दा**	**गतिविधियां**	**कार्यान्वयन**	**संकेतक**	**की गई कार्रवाई / सत्यापन के साधन**	**समय सीमा**
				महिला मुखिया परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि		

बजट :

क्रम संख्या	**घटक**	**इकाई**	**संख्या**	**दर**	**प्रतीकर की धनराशि**	**कुल राशि**
A	**मुआवजा**					
1	**ज़मीन का मुआवजा (सोलेशियम सहित)**					
	गोंदलपुरा	एकड़				
	गाली					
	बलोदर					
					योग A	
2	संरचना का मुआवजा		मूल्यांकन के बाद गणना की जाएगी			
3	वृक्ष का मुआवजा	संख्या	मूल्यांकन के बाद गणना की जाएगी			
B	**सहायता राशि**					
1	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	प्रभावित परिवार	781	500000		

2	दुकान की हानि	आजीविका की हानि		25000		
3	पुनर्वास कॉलोनी	मकान				
4	पुनर्वास सहायता राशि	प्रभावित परिवार	781	50000		
5	विपन्नता सहायता राशि	प्रभावित परिवार	162	50000		
6	जीवन निर्वाह अनुदान	प्रभावित परिवार	781	36000		
7	पशु शाला	प्रभावित परिवार		25000		
8	स्थानातरण सहायता राशि	संरचना की राशि	781	50000		
9	कौशल प्रशिक्षण	प्रभावित परिवार	781			
10	अंबुलेस		2			
11	चार पत्ती	प्रभावित परिवार	781	1200/प्रति माह		
					योग B	
					कुल योग	

10. उपरोक्त विश्लेषण इक्विटी सिद्धांत का उपयोग कर अधिग्रहण पर अंतिम अनुशंसा की जाएगी

ग्राम सभा के पश्चात इसका विश्लेषण किया जाएगा।